इंफ्रा एंड सर्विसेस

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड

14वीं वार्षिक रिपोर्ट

2022-23

मिशन और विजन

"विशिष्टता प्राप्त अवसंरचना विकासकर्ता के रुप में पहचान बनाना तथा पर्यावरण, गुणवत्ता व सुरक्षा पर विशेष बल देते हुए अवसंरचना परियोजनाओं के सभी क्षेत्रों के लिए विख्यात सेवाप्रदाता के रुप में स्वयं को स्थापित करना"

विषयवस्तु

क्र.सं.		पृष्ठ सं.
1.	अध्यक्ष का संबोधन	06
2.	निदेशक की रिपोर्ट	13
3.	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिवधियों पर रिपोर्ट	33
4.	प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट	38
5.	कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट	46
6.	कॉर्पोरेट शासन पर प्रमाणपत्र	64
7.	सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	66
8.	फॉर्म एओसी-2 में संबंधित पक्षों के साथ संविदाओं या व्यवस्थाओं का विवरण	73
	वित्तीय विवरण 2022-23	
9.	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	77
10.	तुलन पत्र	97
11.	लाभ और हानि विवरण	98
12.	रोकड़ प्रवाह विवरण	99
13.	इक्विटी परिवर्तन का विवरण	101
14.	लेखांकन नीतियां	103
15.	लेखों संबंधी नोट	140
16	नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक से प्रमाणपत्र	212

निदेशक मंडल

श्री पराग वर्मा,
अध्यक्ष
(01 अक्टूबर 2022 से)

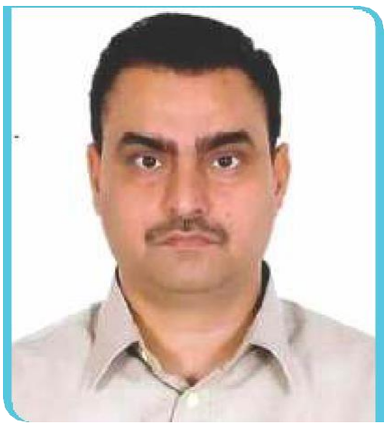

श्री सुरेंद्र सिंह
निदेशक
(1 जुलाई 2021 से))

श्री राजीव कुमार सिन्हा
निदेशक
(7 दिसंबर 2022 से)

श्री अभिजीत कुमार सिन्हा
निदेशक
(1 अप्रैल 2022 से)

मुख्य प्रबंधन कार्मिक

श्री अजय पाल सिंह
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(6 मार्च 2020 से)

श्रीमती प्रीति शुक्ला
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(1 मार्च, 2022 से)

सुश्री मनीषा गुप्ता
कंपनी सचिव
(3 अप्रैल 2023 से)

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स के.एम.जी.एस. एवं एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बेसमेंट 18, नेशनल पार्क, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली-110024

सचिवीय लेखापरीक्षक

मैसर्स कंचन साह एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव,
आई-31, गली नंबर 3, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 1100924

आंतरिक लेखापरीक्षक

मेसर्स एम.एम. एवं एसोसिएट्स, लागत एवं प्रबंधन लेखाकार 10डी, सेक्टर-7, पॉकेट-1, द्वारका, नई दिल्ली-110075

मुख्य बैंकर

इंडियन ओवरसीज बैंक एचडीएफसी बैंक आईसीआईसीआई बैंक

बहु उद्देशीय परिसर

हरिद्वार

जम्मू

सिलिगुडी

दिगा

प्रयागराज

रायपुर

उदयपुर

इलाहबाद

अध्यक्ष का संबोधन

गणमान्य शेयरधारकों,

आपकी कंपनी की 14वीं वार्षिक साधारण बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपार्ट तथा निदेशक की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तथा सचिवीय संपरीक्षकों की रिपोर्ट आपको परिपत्रित की गई है और मैं इस आशय की अनुमति हेतु अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ लिया गया होगा।

वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, आपकी कंपनी ने 218.91 करोड़ रूपए का प्रचालनिक राजस्व रिकार्ड किया है, जो कि पिछले वर्ष की 170.84 करोड़ रूपए की प्रचालनिक आय से 28.14 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है और कंपनी ने पिछले वर्ष के 177.89 करोड़ रूपए की तुलना में

इस वर्ष 222.88 करोड़ रूपए का कुल राजस्व अर्जित किया हैं। कंपनी ने 7.13 करोड़ रूपए का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है और कर पश्चात लाभ 5.32 करोड़ रूपए है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में टर्नओवर में पिछले वर्ष की तुलना में 28.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो मुख्य रूप से परामर्श परियोजनाओं के निष्पादन की मात्रा में वृद्धि और जनशक्ति को किराए पर लेन/मशीनरी को पट्टे पर देने और ओ एंड एम ट्रैक कार्यों के एक नए खंड के कुछ परियोजनाओं के पुरस्कार के कारण था।

प्रचालनिक प्रोफाइल

आपकी कंपनी ने रेल मंत्रालय के लिए तेईस चिन्हित रेलवे स्टेशन परिसरों में चौबीस बहु–कार्यात्मक परिसरों के विकास का कार्य किया था। इन 24 एमएफसी में से, तारापीठ, राजगीर और तिरुवाला में एमएफसी को वित्तीय रूप से अव्यवहार्य माना गया और समझौते की शर्तों के अनुसार रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को वापस कर दिया गया। इरकॉनआईएसएल ने 21 एमएफसी को तीसरे पक्ष को सफलतापूर्वक उप–पट्टे पर दे दिया है। रियायतग्राहियों द्वारा की गई चूक के कारण, 21 परिचालन एमएफसी में से 7 एमएफसी के उप–पट्टा समझौते को समाप्त कर दिया गया है। समाप्त किए गए रियायतग्राहियों को बेदखल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और बेदखल होने पर, इन्हें संभावित रियायतग्राहियों को उप–पट्टे पर देने के लिए पुनः निविदा दी जाएगी।

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने निम्नलिखित पांच नई परियोजना प्रबंधन परामर्श परियाजनाओं को प्राप्त किया हैः

क. खरसिया से कोरीछापर खंड के मौजूदा ओएंडएम समझौते के समान नियमों और शर्तों के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यक्षेत्र विस्तार के माध्यम से 11.27 करोड़ रुपये की राशि के साथ नए चालू किए गए कोरीछापर से धरमजयगढ़ खंड और घरगोड़ा से भालूमुडा खंड में परियोजना परिसंपत्तियों का रखरखाव।

ख. 12 महीने की अवधि के लिए परियोजना लागत पर 4.49 प्रतिशत की दर से पीएमसी शुल्क पर वाणिज्यिक परिसर के साथ मल्टी लेवल कार पार्किंग सुविधा के रूप में मादीपुर, पंजाबी बाग, नई दिल्ली में सामुदायिक केंद्र में स्थित एसडीएमसी के तहत भूमि पार्सल का विकास और मुद्रीकरण।

ग. 5 वर्षों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के नव प्रवेशित भवन की सुविधा प्रबंधन सेवाएँ और वार्षिक संचालन सह व्यापक रखरखाव प्रदान करना।

घ. जेएनवी और अन्य भवनों के निर्माण और रखरखाव और मरम्मत (एम एंड आर) कार्यों के लिए पीएमसी सेवाएं प्रदान करना रु

- हैदराबाद, जयपुर और पुणे क्षेत्र"– परियोजना लागत पर 3.25 प्रतिशत की दर से पीएमसी शुल्क
- शिलांग क्षेत्र– परियोजना लागत पर 3.40 प्रतिशत की दर से पीएमसी शुल्क।

ड. परियोजना लागत पर 3.25 प्रतिशत की दर से पीएमसी शुल्क पर जेएनवी साबरकांठा (गुजरात) में चरण–ख का निर्माण कार्य।

वर्ष के दौरान प्राप्त की गई नई परियोजनाओं के अतिरिक्त, आपकी कंपनी भारत में बारह परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान कर रही है, जिनमें से प्रमुख हैं:–

(क) आपकी कंपनी दुघोला, पलवल, हरियाणा में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एसवीएसयू) की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श उपलब्ध करा रही है और परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 425.98 करोड़ रूपए (पीएमसी शुल्कों सहित) है। आज की तारीख कार्य की भौतिक प्रगति 75 प्रतिशत है और इसके दिसंबर, 2023 तक पूरा होने का कार्यक्रम है।

(ख) आपकी कंपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, तकनीकी भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली के नए अत्याधुनिक भवन के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श भी उपलब्ध करा रही है और परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 192 करोड़ रूपए (पीएमसी शुल्कों सहित) है। प्रथम चरण का कार्य पूरा हो गया है और इसे सौंप दिया गया है जिसमें ब्लॉक–।, ब्लॉक–।। तथा ब्लॉक–।।। शामिल हैं, जबकि चरण–।। का कार्य निष्पादित किया जा रहा है।

(ग) आपकी कंपनी भारतीय भू पोत प्राधिकरण (एलपीएआई) द्वारा 04 भू–पोर्टों पर सुरक्षा कार्मिकों के लिए बैरिक एकोमोडेशन के निर्माण के लिए के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श भी उपलब्ध करा रही है, यथा 1.अटारी–पंजाबी, 2.जोगबनी–बिहार 3. पेट्रापोल–पश्चिम बंगाल, 4.दवकी–मेघालय तथा, जिसकी कुल परियोजना लागत लगभग 118.82 करोड़ रूपए (पीएमसी शुल्कों सहित) है। अटारी, पंजाब में काम पूरा हो चुका है

और सौंप दिया गया है। जोगबनी–बिहार में काम 98 प्रतिशत पूरा हो चुका है। दाउकी–मेघालय और पेट्रापोल–पश्चिम बंगाल के अन्य दो स्थानों पर काम प्रगति पर है और 42 प्रतिशत और 45 प्रतिशत पूरा हो चुका है।

(घ) आपकी कंपनी ने कडकोला स्टेशन, मैसूर जिला, कर्नाटक के समीप मल्टी मॉडल लाजेस्टिक पार्क (एमएमएलपी) के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श भी प्रदान किया है। इसके करार पर दिनांक 20.01.2017 को हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 61.66 करोड़ रूपए है। कार्य प्रगति पर हैं और इस परियोजना के समापन की अनुसूचित तिथि 06.12.2023 है।

(ड.) आपकी कंपनी ने पारादीप (ओडीशा) में भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर) द्वारा प्रदान किए गए मल्टी मॉडल लाजेस्टिक पार्क (एमएमएलपी) के निर्माण कार्य के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श भी प्रदान किया है और इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 90.75 करोड़ रूपए है। इस कार्य की भौतिक प्रगति 72 प्रतिशत है और इस परियोजना के समापन की अनुसूचित तिथि फरवरी, 2024 है।

(च) आपकी कंपनी एमएमएलपी पारादीप बंदरगाह ओडिशा में मैसर्स इफको के लिए प्रबंधन सुविधाओं के विकास के लिए एक परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवा भी प्रदान कर रही है, जिसकी संषोधित अनुमानित परियोजना लागत लगभग 121.03 करोड रूप्ए है। परियोजना की वास्तविक प्रगति 83 प्रतिशत है और इसे अक्टूबर, 2023 तक पूरा किया जाना निर्धारित है।

(छ) आपकी कंपनी लगभग 201 करोड़ रूपए की अनुमानित परियोजना लागत पर कॉनकॉर के लिए दहेज, गुजरात के मल्टी मॉडल लॉजेस्टिक पार्क की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करने की परियोजना है। यह कार्य पूरा करके ग्राहक को दिनांक 09.08.2022 को सुपुर्द कर दिया गया है।

(ज) आपकी कंपनी लगभग 49.19 करोड रुपये की अनुमानित लागत पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी), ऊंचाहार में स्टेज–1 (2x210 मे.वा) केएमजीआर सिस्टम के पीआरसी स्लीपरों के साथ सीएसटी–9 स्लीपरों के प्रतिस्थापन के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवा भी प्रदान कर रही है। यह कार्य नवंबर, 2023 तक पूरा किया जाना निर्धारित है। आज की तारीख को परियोजना की भौतिक प्रगति 46 प्रतिशत है।

(झ) आपकी कंपनी ने दक्षिण पूर्व रेलवे में सीईआरएल के खरसिया–कोरिछापर खंड में ईस्ट रेल कॉरिडोर चरण–I परियोजना परिसंपत्तियों (ट्रैक ब्रिज और अन्य संबद्ध संपत्ति, ओएचई और एसटी) के संचालन और रखरखाव के लिए छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड सीईआरएल) के साथ दिनांक 22.08.2019 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है और यह कार्य प्रगति पर है। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 87 करोड़ रूपए है। ओ एंड एम कार्य दिनांक 12.10.2019 को शुरू हो गया है और यह कार्य प्रगति पर है।

(ट) आपकी कंपनी (i) जेएनवी में दो नवोदय विद्यालय, आगर मालवा (मध्य प्रदेश) और (ii) साबरकांठा (गुजरात) में क्रमशः 25.09 करोड़ और 29.09 करोड़ रुपये की लागत पर नवोदय विद्यालय समिति (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन) के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श कार्य भी प्रदान कर रही है। दोनों ही कार्य पूरे कर लिए गए हैं और एनवीएस को सौंप दिए गए हैं।

(ठ) आपकी कंपनी नागपुर में एनडीआरएफ अकादमी में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पीएमसी फीस सहित 79.90 करोड रुपये की लागत से परियोजना प्रबंधन परामर्श भी प्रदान कर रही है और इस कार्य की समापन अनुसूची मार्च, 2024 है। आज की तिथि को कार्य की प्रगति 68 प्रतिशत है।

(ड) आपकी कंपनी अपनी विभिन्न परियोजनाओं के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को ''कार्मिकों की आपूर्ति'' का कार्य भी कर रही है और वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 1.36 करोड़ रुपये की परिचालन आय अर्जित की है।

(ढ) आपकी कंपनी अपनी विभिन्न परियोजनाओं के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को ''मशीनरी को पट्टे पर देने'' का कार्य भी कर रही है और वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 1.18 करोड़ रुपये की परिचालन आय अर्जित की है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी अच्छे निगमित शासन तथा डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों तथा सभी अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियामों के अनुपालन और नैतिकता के अनुसार व्यवसाय का संचालन करते हुए पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वांछित ब्यौरे को प्रस्तुत करने वाले निगमित शासन का एक पृथक खंड निदेशक की रिपोर्ट का भाग है। वर्ष के दौरान, कंपनी

कंपनी के लिए वित्ती वर्ष 2022–23 हेतु अनुछेद 135 (5) के अनुसार औसत निवल लाभ के 2 प्रतिषत के रूप में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति 28 लाख रूप्ए खर्च करना अपेक्षित है। वांछित ब्यौरे को प्रस्तुत करने वाले निगमित शासन का एक पृथक खंड निदेशक की रिपोर्ट का भाग है।

आभारोक्ति

निदेशक मंडल और कंपनी की ओर से, मैं रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय तथा रेल भूमि विकास प्राधिकरण, तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण, अपनी धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा शेयरधारकों का, उनके निरंतर सहयोग तथा मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं कंपनी के कर्मचारियों के प्रयासों की भी सराहना करता हूं, जो हमारी सर्वाधिक मूल्यवान संपत्ति हैं और मैं अपने ग्राहकों, वेंडरों तथा साझेदारों को उनके विश्वास और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

जैसा कि हम नए वित्तीय वर्ष में व्यवसाय को आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर हैं, हमें विश्वास है कि आपके समग्र समर्पण, विवेक, कड़ी मेहनत और समर्थन के साथ, हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता आने वाले महीने में बेहतर होगी और हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे।

ह/–
पराग वर्मा
अध्यक्ष
(डीआईए सं. 05272169)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.09.2023

निदेशक की रिपोर्ट

निदेशक की रिपोर्ट

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड के गणमान्य शेयरधारकों,

आपकी कंपनी के निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी के कार्यकलापों की 14वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है।

1. वित्तीय परिणाम और वित्तीय निष्पादन

क. वित्तीय परिणाम

(रुपए करोड़ में)

क्र सं.	विवरण	2022-23	2021-22
1.	प्राधिकृत शेयर पूंजी	65.00	65.00
2.	अंशदायी तथा प्रदत्त शेयर पूंजी	65.00	65.00
3.	आरक्षित निधि व अधिशेष	105.26	99.94
4.	प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	-	-
5.	कुल राजस्व	222.85	177.89
6.	प्रचालनों से राजस्व	218.91	170.84
7.	कर पूर्व लाभ	7.13	13.35
8.	कर पश्चात लाभ	5.32	5.30
9.	निवल संपत्ति	170.26	164.94
10.	प्रति शेयर आमदनी (रूपए)	0.82	0.82

ख. वित्तीय निष्पादन विशेषताएं :

क. वित्तीय निष्पादनः

- वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, आपकी कंपनी ने 218.91 करोड़ रूपए का प्रचालनिक राजस्व रिकार्ड किया है, जो कि पिछले वर्ष की 170.84 करोड़ रूपए की प्रचालनिक आय से 28.14 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है। कुल परिचालन आय में वृद्धि मुख्य रूप से परामर्श परियोजनाओं के निष्पादन की बढ़ी हुई मात्रा और ओ एंड एम ट्रैक कार्यों के एक नए खंड के पुरस्कार के कारण है।

- वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी ने 7.13 करोड़ रूपए का कर पूर्व लाभ और 5.32 करोड रूपए का कर पश्चात लाभ अर्जित किया है।

- वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए प्रति शेयर आमदनी पिछले वर्ष में 0.82 रूपए है।

- दिनांक 31 मार्च 2023 को कंपनी की निवल संपत्ति 170.26 करोड़ रूपए हो गई है।

ग. आरक्षित निधि में अंतरण

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान आपकी कंपनी ने आरक्षित निधि में 5.32 करोड रूपए अंतरित किए हैं।

घ. विदेशी मुद्रा आमदनियां और निर्गम

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, इरकॉन की श्रीलंका और बांग्लादेश परियोजनाओं के लिए जनशक्ति आपूर्ति और विदेशी परियोजना से परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) शुल्क के कारण कंपनी की विदेशी मुद्रा आय 2.56 करोड़ रुपये है। इसी तर्ज पर कंपनी का विदेशी मुद्रा व्यय 0.99 करोड़ रुपये है। वित्तीय वर्ष 2022–2023 के दौरान कंपनी की शुद्ध विदेशी मुद्रा आय 1.57 करोड़ रुपये है।

ड. लाभांशः

कंपनी के संसाधनों के संरक्षण और कंपनी के विकास के लिए लाभों को प्राप्त करने हेतु, निदेशक मंडल दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर किसी प्रकार के लाभांश की सिफारिश नहीं करता है।

च. शेयर पूंजीः

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी की शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कंपनी की प्राधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी 65 करोड़ रुपये है, जिसमें प्रत्येक 10 रुपये के 6,50,00,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं। कंपनी की 100 प्रतिशत भुगतान इक्विटी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के पास है।

2. प्रचालन निष्पादन

क. आपकी कंपनी ने रेल मंत्रालय के लिए तेईस चिन्हित रेलवे स्टेशन परिसरों में चौबीस बहु–कार्यात्मक परिसरों के विकास का कार्य किया था। इन 24 एमएफसी में से, तारापीठ, राजगीर और तिरुवाला में एमएफसी को वित्तीय रूप से अव्यवहार्य माना गया और समझौते की शर्तों के अनुसार रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को वापस कर दिया गया। इरकॉनआईएसएल ने 21 एमएफसी को तीसरे पक्ष को सफलतापूर्वक उप–पट्टे पर दे दिया है। रियायतग्राहियों द्वारा की गई चूक के कारण, 21 परिचालन एमएफसी में से 7 एमएफसी के उप–पट्टा समझौते को समाप्त कर दिया गया है। समाप्त किए गए रियायतग्राहियों को बेदखल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और बेदखल होने पर, इन्हें संभावित रियायतग्राहियों को उप–पट्टे पर देने के लिए पुनः निविदा दी जाएगी।

ख. भारत में चालू परियोजनाएं

आपकी कंपनी ने निम्नलिखित बारह भारतीय परियोजनाओं को निष्पादित किया है:–

(क) आपकी कंपनी दुधोला, पलवल, हरियाणा में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एसवीएसयू) की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श उपलब्ध करा रही है और परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 425.98 करोड़ रूपए (पीएमसी शुल्कों सहित) है। आज की तारीख कार्य की भौतिक प्रगति 75 प्रतिशत है और इसके दिसंबर, 2023 तक पूरा होने का कार्यक्रम है।

दुधोला, पलवल, हरियाणा में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना

(ख) आपकी कंपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, तकनीकी भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली के नए अत्याधुनिक भवन के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श भी उपलब्ध करा रही है और परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 192 करोड़ रूपए (पीएमसी शुल्कों सहित) है। प्रथम चरण का कार्य पूरा हो गया है और इसे सौंप दिया गया है जिसमें ब्लॉक–I, ब्लॉक–II तथा ब्लॉक–III शामिल हैं, जबकि चरण–II का कार्य निष्पादित किया जा रहा है।

(ग) आपकी कंपनी भारतीय भू पोत प्राधिकरण (एलपीएआई) द्वारा 04 भू–पोर्टों पर सुरक्षा कार्मिकों के लिए बैरिक एकोमोडेशन के निर्माण के लिए के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श भी उपलब्ध करा रही है, यथा 1.अटारी–पंजाबी, 2.जोगबनी–बिहार 3. पेट्रापोल–पश्चिम बंगाल, 4.दवकी–मेघालय तथा, जिसकी कुल परियोजना लागत लगभग 118.82 करोड़ रूपए (पीएमसी शुल्कों सहित) है। अटारी, पंजाब में काम पूरा हो चुका है और सौंप दिया गया है। जोगबनी–बिहार में काम 98 प्रतिशत पूरा हो चुका है। दाउकी–मेघालय और पेट्रापोल–पश्चिम बंगाल के अन्य दो स्थानों पर काम प्रगति पर है और 42 प्रतिशत और 45 प्रतिशत पूरा हो चुका है।

जोगबनी में सुरक्षा कर्मियों के लिए बैरक आवास का निर्माण

(घ) आपकी कंपनी ने कडकोला स्टेशन, मैसूर जिला, कर्नाटक के समीप मल्टी मॉडल लाजेस्टिक पार्क (एमएमएलपी) के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श भी प्रदान किया है। इसके करार पर दिनांक 20.01.2017 को हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 61.66 करोड़ रूपए है। कार्य प्रगति पर हैं और इस परियोजना के समापन की अनुसूचित तिथि 06.12.2023 है।

कडाकोला स्टेशन, मैसूर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) की स्थापना

(ड.) आपकी कंपनी ने पारादीप (ओडीशा) में भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर) द्वारा प्रदान किए गए मल्टी मॉडल लाजेस्टिक पार्क (एमएमएलपी) के निर्माण कार्य के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श भी प्रदान किया है और इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 90.75 करोड़ रूपए है। इस कार्य की भौतिक प्रगति 72 प्रतिशत है और इस परियोजना के समापन की अनुसूचित तिथि फरवरी, 2024 है।

(च) आपकी कंपनी एमएमएलपी पारादीप बंदरगाह ओडिशा में मैसर्स इफको के लिए प्रबंधन सुविधाओं के विकास के लिए एक परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवा भी प्रदान कर रही है, जिसकी संषोधित अनुमानित परियोजना लागत लगभग 121.03 करोड रूप्ए है। परियोजना की वास्तविक प्रगति 83 प्रतिशत है और इसे अक्टूबर, 2023 तक पूरा किया जाना निर्धारित है।

(छ) आपकी कंपनी लगभग 201 करोड़ रूपए की अनुमानित परियोजना लागत पर कॉनकॉर के लिए दहेज, गुजरात के मल्टी मॉडल लॉजेस्टिक पार्क की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करने की परियोजना है। यह कार्य पूरा करके ग्राहक को दिनांक 09.08.2022 को सुपुर्द कर दिया गया है।

(ज) आपकी कंपनी लगभग 49.19 करोड रुपये की अनुमानित लागत पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी), ऊंचाहार में स्टेज–1 (2x210 मे.वा) केएमजीआर सिस्टम के पीआरसी स्लीपरों के साथ सीएसटी–9 स्लीपरों के प्रतिस्थापन के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवा भी प्रदान कर रही है। यह कार्य नवंबर, 2023 तक पूरा किया जाना निर्धारित है। आज की तारीख को परियोजना की भौतिक प्रगति 46 प्रतिशत है।

(झ) आपकी कंपनी ने दक्षिण पूर्व रेलवे में सीईआरएल के खरसिया–कोरिछापर खंड में ईस्ट रेल कॉरिडोर चरण–। परियोजना परिसंपत्तियों (ट्रैक ब्रिज और अन्य संबद्ध संपत्ति, ओएचई और एसटी) के संचालन और रखरखाव के लिए छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड सीईआरएल) के साथ दिनांक 22.08.2019 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है और यह कार्य प्रगति पर है। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 87 करोड़ रूपए है। ओ एंड एम कार्य दिनांक 12.10.2019 को शुरू हो गया है और यह कार्य प्रगति पर है।

(ट) आपकी कंपनी (i) जेएनवी में दो नवोदय विद्यालय, आगर मालवा (मध्य प्रदेश) और (ii) साबरकांठा (गुजरात) में क्रमशः 25.09 करोड़ और 29.09 करोड़ रुपये की लागत पर नवोदय विद्यालय समिति (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन) के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श कार्य भी प्रदान कर रही है। दोनों ही कार्य पूरे कर लिए गए हैं और एनवीएस को सौंप दिए गए हैं।

(ठ) आपकी कंपनी नागपुर में एनडीआरएफ अकादमी में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पीएमसी फीस सहित 79.90 करोड रुपये की लागत से परियोजना प्रबंधन परामर्श भी प्रदान कर रही है और इस कार्य की समापन अनुसूची मार्च, 2024 है। आज की तिथि को कार्य की प्रगति 68 प्रतिशत है।

(ड) आपकी कंपनी अपनी विभिन्न परियोजनाओं के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को ''कार्मिकों की आपूर्ति'' का कार्य भी कर रही है और वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 1.36 करोड़ रुपये की परिचालन आय अर्जित की है।

(ढ) आपकी कंपनी अपनी विभिन्न परियोजनाओं के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को ''मशीनरी को पट्टे पर देने'' का कार्य भी कर रही है और वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 1.18 करोड़ रुपये की परिचालन आय अर्जित की है।

ग. भारत में नई परियोजनाएं

वित्तीय वर्ष 2022–2023 के दौरान, इरकॉनआईएसएल ने पांच नई प्रबंधन परामर्श परियोजनाएं प्राप्त की हैं।

क. खरसिया से कोरीछापर खंड के मौजूदा ओएंडएम समझौते के समान नियमों और शर्तों के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यक्षेत्र विस्तार के माध्यम से 11.27 करोड़ रुपये की राशि के साथ नए चालू किए गए कोरीछापर से धरमजयगढ़ खंड और घरगोड़ा से भालूमुडा खंड में परियोजना परिसंपत्तियों का रखरखाव।

ख. 12 महीने की अवधि के लिए परियोजना लागत पर 4.49 प्रतिशत की दर से पीएमसी शुल्क पर वाणिज्यिक परिसर के साथ मल्टी लेवल कार पार्किंग सुविधा के रूप में मादीपुर, पंजाबी बाग, नई दिल्ली में सामुदायिक केंद्र में स्थित एसडीएमसी के तहत भूमि पार्सल का विकास और मुद्रीकरण।

ग. 5 वर्षों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के नव प्रवेशित भवन की सुविधा प्रबंधन सेवाएँ और वार्षिक संचालन सह व्यापक रखरखाव प्रदान करना।

प्रौद्योगिकी भवन, नई महरौली रोड, नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के नए अत्याधुनिक भवन का निर्माण

घ. जेएनवी और अन्य भवनों के निर्माण और रखरखाव और मरम्मत (एम एंड आर) कार्यों के लिए पीएमसी सेवाएं प्रदान करना :

- हैदराबाद, जयपुर और पुणे क्षेत्र"– परियोजना लागत पर 3.25 प्रतिशत की दर से पीएमसी शुल्क
- शिलांग क्षेत्र– परियोजना लागत पर 3.40 प्रतिशत की दर से पीएमसी शुल्क।

ड. परियोजना लागत पर 3.25 प्रतिशत की दर से पीएमसी शुल्क पर जेएनवी साबरकांठा (गुजरात) में चरण–ख का निर्माण कार्य।

3. निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कंपनी के बोर्ड में सभी निदेशक अंशकालिक निदेशक हैं, जिनकी नियुक्ति होल्डिंग कंपनी द्वारा की जाती है। दिनांक 31 मार्च, 2023 को कंपनी के निदेशक मंडल इस प्रकार थे:

1. श्री पराग वर्मा, (डीआईएन 05272169) (10 अक्टूबर, 2022 से)
2. श्री सुरेंद्र सिंह (डीआईएन 09214484) (1 जुलाई, 2021 से)
3. श्री राजीव कुमार सिन्हा (डीआईएन 8320520) (07 दिसंबर, 2022 से)
4. श्री अभिजीत कुमार सिन्हा (डीआईएन 09213782) (1 अप्रैल, 2022 से)

वित्त वर्ष 2022–23 की समाप्ति के दौरान और उसके बाद निदेशकों और केएमपी के कार्यालय में परिवर्तन

निदेशकों/केएमपी के कार्यालय में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए :

i. श्री पराग वर्मा को 10 अक्टूबर 2022 से श्री योगेश कुमार मिश्रा के स्थान पर कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री योगेश कुमार मिश्रा ने 10 अक्टूबर 2022 से अंशकालिक निदेशक के रूप में त्यागप; दे दिया है।

ii. श्री अभिजीत कुमार सिन्हा को 01 अप्रैल, 2022 से श्री सुरजीत दत्ता के स्थान पर अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

iii. श्री राजीव कुमार सिन्हा को 07 दिसंबर 2022 से अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

iv. सुश्री मनीषा गोला ने 25.05.2022 से कंपनी के कंपनी सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है।

v. सुश्री स्वाति पोद्दार को 17.08.2022 से कंपनी के कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्होंने 14.03.2023 से कंपनी के कंपनी सचिव के रूप में इस्तीफा दे दिया है।

vi. श्रीमती प्रीति शुक्ला को 01.03.2023 से श्रीमती पूजा चौरसिया के स्थान पर कंपनी के सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है

vii. सुश्री मनीषा गुप्ता को 03 अप्रैल, 2023 से कंपनी के कंपनी सचिव और केएमपी के रूप में नियुक्त किया गया है।

इस रिपोर्ट की तिथि तक पद धारण करने वाले प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण इस प्रकार है :

क.	श्री अजय पाल सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी	06.03.2020 से आगे
ख.	श्रीमती प्रीति शुक्ला, मुख्य वित्तीय अधिकारी	01.03.2023 से आगे
ग.	सुश्री मनीषा गुप्ता, कंपनी सचिव	03.04.2023 से आगे

4. बोर्ड समितियां

कंपनी में निम्नलिखित बोर्ड समितियां विद्यमान हैं:

1. लेखापरीक्षा समिति
2. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति
3. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

लेखापरीक्षा समिति, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना से संबंधित ब्यौरे को निगमित शासन रिपोर्ट में शामिल किया गया है, जो इस रिपोर्ट का भाग है और यह **अनुबंध–ग** पर संलग्न है।

5. निदेशक मंडल और लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2022–2023 के दौरान निदेशक मंडल की छह बैठकें और लेखापरीक्षा समिति की पांच बैठकें आयोजित की गईं थीं। बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था।

निदेशक मंडल तथा लेखापरीक्षा समिति और अन्य बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकों का ब्यौरा निगमित शासन रिपोर्ट में **अनुबंध–ग** के रूप में उपलब्ध कराया गया है।

6. रोटेशन द्वारा निदेशकों की सेवानिवृत्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 में रोटेशन द्वारा निदेशकों की सेवानिवृत्ति के संबंध में प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधान स्वतंत्र निदेशकों पर लागू नहीं हैं। चूंकि कंपनी में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है, इसलिए कंपनी के सभी निदेशकों को रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त माना जाएगा। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों के अनुसार, अन्य सभी निदेशकों में से एक तिहाई निदेशक (अपर निदेशकों को छोडकर) यथा श्री सुदेन्द्र सिंह (डीआईएनः 09214484) रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए योग्य है और पात्र होने पर उन्होंने स्वयं के लिए पुनःनियुक्ति का प्रस्ताव किया है।

आगामी एजीएम में पुनःनियुक्ति के लिए निदेशक के विवरण कंपनी के एजीएम के नोटिस में निहित हैं।

7. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और जोखिम प्रबंधन

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा जोखिम प्रबंधन का ब्यौरा प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट में उपलब्ध कराया गया है।

8. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और स्तरोन्नयन

पर्यावरण पर समान महत्व के साथ ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान, पर्यावरण सुरक्षा, संरक्षण और हरित भवन अवधारणा के कियान्वयन

को सुनिश्चित करने के लिए उचित और पर्याप्त उपाय किए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों से संबंधित विविध पर्यावरणीय कानूनों को कंपनी द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों के भाग के रूप में पालन किया गया है।

कंपनी ने ई–टेंडरिंग, एक इंटरनेट आधारित प्रक्रिया को भी अपनाया है, जिसमें पूर्ण निविदा प्रक्रिया विज्ञापन से लेकर निविदा संबंधी जानकारी प्राप्त करने और जमा करने तक ऑनलाइन किया जाता है। यह कंपनी को अधिक कुशल बनाने में सक्षम है क्योंकि इससे सूचना के त्वरित आदान–प्रदान की सुविधा के लिए, कागज–आधारित लेनदेन कम या समाप्त हो जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, पारदर्शिता, जवाबदेही, डेटा समेकन को बढ़ाने, कार्यस्थल में अधिक सहयोग को बढ़ावा देने और प्रभावी ज्ञान प्रबंधन के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय में ई–ऑफिस का उपयोग शुरू किया गया है। विक्रेताओं/ठेकेदारों आदि को किए गए सभी भुगतान ऑनलाइन लेनदेन द्वारा किए जाते हैं।

चूंकि कंपनी मुख्य रूप से परियोजना प्रबंधन परामर्श व्यवसाय में लगी हुई है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के तहत कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित निर्धारित प्रारूप प्रासंगिक नहीं है और इसलिए, निर्धारित प्रारूप में जानकारी नहीं दी गई है।

9. लेखापरीक्षक

क. सांविधिक लेखापरीक्षक

वर्ष 2022–23 के लिए कम्पनी के लेखों की लेखापरीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स केएमजीएस एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकारों की नियुक्ति की गई थी।

ख. सचिवीय लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षा का संचालन करने के लिए मैसर्स कंचन साह एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को नियुक्त किया है।

ग. आंतरिक लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल द्वारा वर्ष 2022–23 के लिए कम्पनी की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स एम.एम. एसोसिएट्स, लागत लेखाकार को नियुक्त किया गया है।

घ. लागत लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी को वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए लागत लेखा परीक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं थी।

10. प्रकटन

क. ऋणों, गारंटियों या निवेशों का विवरणः

वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई ऋण नहीं लिया है। कंपनी द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया है और कोई ऋण या गारंटी प्रदान नहीं की गई है।

ख. निदेशकों और कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर प्रकटनः

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 197 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के लिए यह आवश्यक है कि वह निदेशक की रिपोर्ट में निदेशकों के पारिश्रमिक आदि के ब्यौरे को प्रकट करे। तथापि, निगमित कार्य मंत्रालय, द्वारा जारी दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना सं.जीएसआर 463(ई) के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 197 के प्रावधानों के अनुपालन से छूट प्राप्त है। चूंकि इरकॉन आईएसएल एक सरकारी कंपनी है, इसलिए इस प्रकार के विवरणों को निदेशक की रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल नहीं किया गया है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान निदेशकों को शून्य पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है क्योंकि सभी निदेशक धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा नियुक्त अंशकालीन नामिति निदेशक हैं।

ग. बोर्ड बैठकों और सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकों का अनुपालनः

वर्ष के दौरान, कंपनी सामान्य रूप से भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी बोर्ड की बैठकों पर सचिवीय मानकों (एसएस–1) तथा सामान्य बैठकें (एसएस–2) का अनुपालन करती है, केवल उन स्थितियों को छोड़कर जहां अन्यथा सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया हो।

घ. जमा राशियां

वर्ष के आरंभ में आपकी कंपनी के पास कोई जन जमा राशियां धारित नहीं है ना ही वर्ष के दौरान जनता से किसी प्रकार की जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

ङ. कंपनी की वर्तमान स्थिति और कंपनी के भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालय या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण तथ्यात्मक आदेशः

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी की वर्तमान स्थिति और कंपनी के भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालय या अधिकरणों द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किए गए हैं।

च. वित्तीय वर्ष के अंत तथा रिपोर्टिंग की तिथि के बीच वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले तथ्यात्मक परिवर्तन और टिप्पणियांः

वित्तीय वर्ष 2022–23 को समाप्त वर्ष के मध्यम में तथा इस रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई तथ्यात्मक परिवर्तन और टिप्पणियां नहीं हैं।

छ. वार्षिक रिटर्न का उद्धरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और धारा 134(3) (क) के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार 31 मार्च 2023 तक वार्षिक रिटर्न की एक प्रति को कंपनी की वेबसाइट www.irconisl.com के इन्वेस्टर्स सेक्शन के तहत रखा गया है।

ज. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तनः

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

झ. लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में अर्हता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणियांः

वर्ष 2021–22 के लिए लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई अर्हता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं हैं।

ट. सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और सी एंड एजी टिप्पणियाँ

वित्तीय वर्ष 2022–23 के वित्तीय विवरण पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में अलग से संलग्न है। दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय

वर्ष के लिए अपनी रिपोर्ट में मेसर्स केएमजीएस एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।

दिनांक 30 जून, 2023 के पत्र के संदर्भ संख्या पीडीए/आरसी/ऑडिट सूचना/11–03/23–24/200, के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) ने धारा 143(6) के तहत दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के खातों पर पूरक ऑडिट किया है। कंपनी अधिनियम, 2013. पूरक लेखापरीक्षा के तहत लेखापरीक्षक द्वारा कोई टिप्पणी या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं दी गई।

ठ. लेखापरीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, न तो सांविधिक लेखापरीक्षकों और न ही सचिवीय लेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (12) के तहत लेखापरीक्षा समिति को अपने अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के विरूद्ध किए गए धोखाधड़ी के किसी भी घटना की सूचना दी है, जिसका विवरण बोर्ड की रिपोर्ट में उल्लिखित किया जाना आवश्यक है।

ड. उन कंपनियों के नाम जो इसकी सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां बन गई हैं या बंद हो गई हैं

कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं है।

ण. वित्तीय वर्ष के अंत में उनकी स्थिति के साथ वर्ष के दौरान दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत किए गए आवेदन या लंबित किसी भी कार्यवाही का विवरण

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत आपकी कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू/लंबित नहीं है, जिसका कंपनी के व्यवसाय पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

प. एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का विवरण, उसके कारणों सहित

कंपनी ने बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ कोई एकमुश्त समझौता नहीं किया है।

11. एकीकृत रिपोर्ट

निम्नलिखित रिपोर्टें/अभिलेख तथा संगत अनुबंध इस रिपोर्ट के एकीकृत भाग हैं, और इन्हें यहां परिशिष्ट पर प्रस्तुत किया गया है:

क. सीएसआर गतिविधिय रिपोर्ट

''सीएसआर गतिविधिय रिपोर्ट'' कंपनी की सीएसआर नीतियों, सीएसआर समिति की संरचना, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी का औसत शुद्ध लाभ, सीएसआर बजट, निर्धारित सीएसआर व्यय, तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान निष्पादित गतिविधियों/परियोजनाओं पर किए गए सीएसआर व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करती है **(अनुबंध–क में प्रस्तुत)।** कंपनी की सीएसआर गतिविधियों के संचालन के लिए दिशानिर्देश प्रदान करने वाली सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट www.irconisl.com पर उपलब्ध है।

ख. प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन विचार–विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट कम्पनी के कार्यों, व्यावसायिक वातावरण, मिशन और उद्देश्यों, क्षेत्रीय तथा सगमेंटवार प्रचालनिक निष्पादन, शक्तियों, जोखिमों तथा चिंताओं और मानव संसाधन तथा आंतरित नियंत्रण प्रणाली ब्यौरा उपलब्ध कराया गया है **(अनुबंध–ख पर संलग्न है)**।

ग. कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट, निगमित शासन पर कंपनी के दर्शन, निदेशक मंडल तथा इसकी समितियों की संरचना और उनका ब्यौरा, साधारण बैठकों का ब्यौरा और अन्य संगत प्रकटन, आदि उपलब्ध कराती है **(अनुबंध–ग पर संलग्न)**। इसमें निम्नलिखित अनुपालन प्रमाणपत्र भी शामिल होते हैं:

(क) वित्तीय विवरणों, देय अनुपालनों व वित्तीय रिपोर्टिंग की सत्यता तथा विश्वसनियता, के संबंध में सीईओ तथा सीएफओ से प्रमाण पत्र (अनुबंध–**ग1 पर प्रस्तुत);**

(ख) वर्ष 2022–23 के दौरान सभी मंडल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा आचार संहिता तथा प्रमुख मूल्यों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र (अनुबंध–**ग2 पर प्रस्तुत);**

(ग) पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित निगमित शासन के अनुपालन का प्रमाणपत्र (अनुबंध–**ग3 पर प्रस्तुत)।**

घ. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 204 तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी की सचिवीय संपरीक्षा के लिए मैसर्स के.के.सिंह एंड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव को नियुक्त किया है। लेखापरीक्षा से प्राप्त **फार्म सं. एमआर–3 में सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट अनुबंध–घ** पर संलग्न है।

ड. खंड–188 के अंतर्गत संबंधित पक्षों के साथ संविदाओं और व्यवस्थाओं का विवरण

होल्डिंग कंपनी के साथ सभी संबंधित पर्क्ष लेनदेन के लिए वार्षिक आधार पर लेखापरीक्षा समिति की पूर्व सर्वव्यापी मंजूरी प्राप्त की जाती है, जो एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रूपए तक के अप्रत्याशित और दोहराव वाले प्रकृति के होते हैं। दी गई सर्वग्राही मंजूरी के अनुसरण में होल्डिंग कंपनी के साथ किए गए लेनदेन, यदि कोई हों, को तिमाही आधार पर ऑडिट समिति के समक्ष रखा जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के अनुपालन में ऑम्निबस अनुमोदन के अंतर्गत आने वाले लेनदेन के अलावा अन्य विशिष्ट संबंधित पार्टी लेनदेन की मंजूरी भी ऑडिट समिति/बोर्ड से प्राप्त की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों को या तो व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के रूप में या आर्म लैंथ आधार पर निष्पादित किया गया है।कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 188(1) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में संबंधित पक्षों के साथ संविदाओं और व्यवस्थाओं का ब्यौरा **फार्म एओसी–2** के रूप में **अनुबंध–ड.** पर संलग्न है।

12. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 134(5) के अनुसार, कम्पनी का निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि:–

i. वार्षिक लेखों की तैयारी में, तथ्यात्मक विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ–साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था।

ii. ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया था और उन्हें निरन्तर लागू किया गया था और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए तथा वर्ष 2021–22 के कम्पनी के लाभ के लिए कम्पनी की कार्य स्थिति का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत हो सके ।

iii. परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा छलकपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रख–रखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है ।

iv. दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को ''गोइंग कंसर्न'' आधार पर तैयार किया गया है।

v. सभी लागू नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गईं थीं और ऐसी प्रणालियां उपयुक्त थीं और कुशलतापूर्वक कार्य कर रहीं थीं।

13. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण (निवारण, निषेध एवं प्रतितोप) अधिनियम के अनुपालन की नीति

कंपनी का उद्देश्य महिला कर्मचारियों के लिए एक अनुकूल और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना है। कंपनी के पास कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए एक व्यापक नीति है, जिसमें सभी कर्मचारी शामिल हैं (नियमित रूप से प्रतिनियुक्त, अस्थायी, तदर्थ, अनुबंध/सेवा अनुबंध या दैनिक मजदूरी के आधार पर जो प्रत्यक्ष या एजेंसी के माध्यम से नियुक्त हैं, जिसमें ठेकेदार, सहकर्मी, अनुबंध कार्मिक,

परिवीक्षाधीन, प्रशिक्षु, प्रशिक्षु आदि) शामिल हैं और यह नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है। कंपनी में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए चार सदस्यीय शिकायत समिति उपस्थित है, जिसमें कंपनी के तीन अधिकारी और एक बाहरी सदस्य शामिल हैं। वर्ष के दौरान कंपनी को यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है या पिछले वर्ष से लंबित नहीं है।

14. अन्य अनुपालन

क. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

पारदर्शिता के संवर्धन एवं संवर्धित जवाबदेही के लिए, कंपनी में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन के लिए तंत्र विद्यमान है। सूचना का अधिकार अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी के अपील प्राधिकारी, केन्द्रीय जन–सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) तथा सहायक जन–सूचना अधिकारी (एपीआईओ) के नामों सहित आवश्यक अद्यतन सूचना इरकॉन आईएसएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सभी प्राप्त शिकायतों का उत्तर निर्धारित समय–सीमा के भीतर दिया जाता है।

वर्ष के दौरान कंपनी को 07 आईटीआई आवेदन और 02 अपीलें प्राप्त हुई हैं और सभी की प्रक्रिया/निपटान समयबद्ध आधार पर किया गया है।

ख. समझौता ज्ञापन

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 और वित्त वर्ष 2023–24 के लिए इरकॉन और इरकॉनआईएसएल के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने से रेल मंत्रालय के माध्यम से डीपीई से छूट प्राप्त करने के लिए धारक कंपनी से अनुरोध किया है।

ग. कार्मिक विकास

कंपनी के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक के रूप में, मानव संसाधन और प्रशासन (एचआर एंड ए) विभाग लगातार कंपनी के मुख्य उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप सक्षम मानव संसाधनों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। कर्मचारी संबंध परिदृश्य वर्ष के दौरान सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण रहा है। दिनांक 31.03.2023 को कार्मिकों की संख्या 67 कर्मचारी थी, जिसमें 2 नियमित कर्मचारी, ठेके के 32 कर्मचारी, और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, धारक कंपनी से प्रतिनियुक्ति पर 33 कर्मचारी शामिल थे। इरकॉन से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के कार्मिक विकास से संबंधित मामले इरकॉन द्वारा देखे जा रहे हैं।

जिन कर्मचारियों को कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया है उनकी देखभाल आपकी कंपनी द्वारा की जा रही है।

घ. सूचना प्रौद्योगिकी

कंपनी की अपनी वेबसाइट http//www.irconisl.com उपलब्ध है जिसमें कंपनी का प्रोफाइल, परियोजनाएं, वार्षिक रिपोर्टें, निविदाएं, सम्पर्क ब्यौरा आदि उपलब्ध कराया गया है। वर्ष के दौरान नए निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति, परियोजनाओं, वार्षिक रिपोर्टों, निविदाओं, संविदाओं, आरटीआई, संपर्क ब्यौरा आदि को अद्यतन किया गया था। यह वेबसाइट धारक कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org के साथ भी लिंक है।

ड. एमएसई अनुपापलन

इरकॉन आईएसएल का सदैव यह प्रयास रहा है कि वह सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों (एमएसई) तथा स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को सहयोग प्रदान करे। इरकॉन आईएसएल ने एमएसई से विनिर्दिष्ट मदों के प्रापण के लिए भारत सरकार सार्वजनिक प्रापण नीति के क्रियान्वयन के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इरकॉन आईएसएल ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी के एमएसई अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

च. कंपनी द्वारा अनुसरण किए गए लेखांकन मानक

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड–एएस) और कंपनियों (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम 2016 के लागू प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

आभारोक्ति

हम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, धारक कंपनी तथा रेल मंत्रालय, रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए), शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय तथा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और अन्य मंत्रालयों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, सांविधिक, सचिवीय एवं आंतरिक लेखापरीक्षक, कंपनी के बैंकर, और हमारे सम्मानित ग्राहक का कंपनी के प्रति उनकी निरंतर रूचि और सहयोग के लिए प्रशंसा एवं धन्यवाद करते हैं।

हम कंपनी के सभी स्तरों के कर्मचारियों का कंपनी के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए उनके अथक प्रयासों, समर्पण और सत्यनिष्ठा के लिए आभार प्रकट करते हैं।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से
इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड

ह/–
(पराग वर्मा)
अध्यक्ष
(डीआईएन : 05272169)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.09.2023

अनुबंध–क

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा:

सीएसआर नीति का उद्देश्य संवर्धन और विकास के लिए समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना है। यह नीति अपने सीएसआर प्रयासों के माध्यम से समुदाय के लिए स्वस्थ और सुदृढ़ आजीविका और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देकर बुनियादी क आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामाजिक स्तर के विविध क्षेत्रों का पता लगाने के लिए विभिन्न अवसरों को प्रोत्साहित करने हेतु एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करती है। निदेशक मंडल द्वारा यथाअनुमोदित सीएसआर नीति विकास के प्रमुख क्षेत्रों अर्थात शिक्षा, साक्षरता और पर्यावरण स्थिरता और स्वास्थ्य को रेखांकित किया गया है और ये कंपनी की वेबसाइट http://www.irconisl.com पर उपलब्ध है।

कंपनी की सामाजिक दृष्टिकोण अपनी विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों में ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रमुख हितधारकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक रूप से जिम्मेदार और संधारणीय रीके से व्यवसाय करने की अपनी नीति के अनुरूप अपनी सीएसआर पहल का संचालन करना है। इरकॉनआईएसएल ने अपने सीएसआर परियोजनाओं के माध्यम से अपने सीएसआर प्रयासों द्वारा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में अपने प्रयास किए हैं, जो एक सतत तरीके से व्यवसाय और सामाजिक लक्ष्यों को एकीकृत करेंगे, समावेशी विकास और योजना के माध्यम से सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करेंगे।

2. **सीएसआर समिति की संरचना:**

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/ निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
1	श्री सुरेन्द्र सिंह	अध्यक्ष	1	1
2	श्री अभिजीत कुमार सिन्हा	सदस्य	1	1
3	श्री राजीव कुमार सिन्हा	सदस्य	1	1

नोटः होल्डिंग कंपनी द्वारा नामांकन में परिवर्तन पर, श्री राजीव कुमार सिन्हा को दिनांक 20 दिसंबर 2022 से श्री पराग वर्मा के स्थान पर इरकॉनआईएसएल की सीएसआर समिति के नामांकित सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

3. वेब–लिंक प्रदान करें जहां कंपनी की वेबसाइट पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाओं की संरचना का प्रकटन किया गया है– http://www.irconisl.com

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें) – **लागू नहीं।**

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में समंजन के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो – **लागू नहीं।**

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ – 13.92 करोड़ रुपये।

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत – 0.28 करोड़ रुपये।

(ख) सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्ष के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष – शून्य।

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो– शून्य

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क + 7ख + 7ग) – 0.28 करोड़ रुपये।

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (रुपये में)	**अव्ययित राशि (रुपये में)**				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		**धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित राशि**		
	राशि	**स्थानांतरण की तिथि**	**निधि का नाम**	**राशि**	**स्थानांतरण की तिथि**
28,00,000.00	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के प्रति खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण – **लागू नहीं।**

(ग) वित्तीय वर्ष के लि**ए चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त** अन्यों पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थल		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से।	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
1.	पीए केयर्स निधि	(vii)	लागू नहीं	लागू नहीं		28,00,000	प्रत्यक्ष	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल					**28,00,000**			

(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि – शून्य

(ड.) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो – शून्य

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8ख+8ग+ 8घ+ 8ड.)–रु 28,00,000/–

(छ) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो – शून्य

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण – शून्य

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरणः शून्य

10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें –

(क) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि।	लागू नहीं
(ख) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए	लागू नहीं

खर्च की गई सीएसआर की राशि।	
(ग) इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता इत्यादि।	लागू नहीं
(घ) सृजित या अर्जित (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें।	लागू नहीं

11. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है तो इसके कारण बताएं।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च किया है।

ह/–
अजय पाल सिंह
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/–
सुरेन्द्र सिंह
अध्यक्ष सीएसआर समिति

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15.05.2023

अनुबंध –ख

प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

विहंगावलोकन

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड (इरकॉन आईएलएस) रेल मंत्रालय के अधीन इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) अनुसूची 'क', मिनी रत्न – श्रेणी–I की कंपनी है की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रुप में 30 सितंबर 2009 को निगमित हुई थी जो कि भारतीय रेल प्रणाली के प्रयोक्ताओं को सुविधाएं व सहूलतें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय रेल की भूमि पर बहुउद्देशीय परिसरों (एमएफसी) के नियोजन, अभिकल्प, विकास, प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए आरएलडीए के साथ धारक कंपनी द्वारा समझौता ज्ञापन का परिणाम है। 24 स्टेशनों पर 23 एमएफसी के लिए निर्माण (वॉर्म शैल) का भौतिक कार्य किया गया था। कंपनी ने 20 बहुउद्देशीय परिसरों को सफलतापूर्वक तीसरे पक्षों को उपपट्टे पर दे दिया है।

उपर्युक्त उद्देश्य कंपनी के भावी विकास के लिए सीमित थे और इसलिए, कंपनी ने विभिन्न अन्य क्षेत्रों में अपने व्यवसाय को फैलाया जिसमें परियोजना प्रबंधन और आधारभूत अवसंरचना परामर्श यथा नियोजन, डिजाइनिंग, विकास, निर्माण, सुधार, कमीशनिंग, प्रचालन और अनुरक्षण और विभिन्न सेवाओं से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं, जैसें ट्रैक मशीनों को किराए पर देना आदि और इस प्रकार इसके उद्देश्यों में संशोधन हुआ।

व्यवसाय वातावरण

अवसंरचनात्मक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख चालक तत्व है। यह क्षेत्र भारत के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए अत्यधिक जिम्मेदार है और देश में विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए नीतियों के निर्माण हेतु सरकार का विशेष ध्यान इस ओर है। केंद्रीय बजट ने रेलवे और अवसंरचना क्षत्रों में महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सरकारी समर्थन की गंभीरता एक बढ़ते विश्वास से प्रभावित हुई है जो मजबूत बुनियादी ढांचे को राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, मध्यम मुद्रास्फीति, आजीविका को बढ़ावा देता है और समृद्धि के संवर्धन में सहायक है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी ने चार नई परियोजनाओं को प्राप्त किया है और अन्य मौजूदा परियोजनाओं में महत्वपूर्ण प्रगति प्राप्त की है तथा समय के भीतर लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है।

कंपनी निम्नलिखित क्षेत्रों में अवसरों की तलाश कर रही है:

- भारत सरकार की परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टे तैयार करना।
- विभिन्न निजी/सरकारी एजेंसियों के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (पी.एम.सी)।
- निर्माण–प्रचालन–हस्तांतरण(बी.ओ.टी) आधार पर रियल इस्टेट परियोजनाएं।
- सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर) परियोजनाएं।

दृष्टिकोण

कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कंपनी का विजन/मिशन निम्नानुसार हैं:–

विजन/मिशन

विशिष्टता प्राप्त अवसंरचना विकासकर्ता के रुप में पहचान बनाना तथा पर्यावरण, गुणवत्ता व सुरक्षा पर विशेष बल देते हुए अवसंरचना परियोजनाओं के सभी क्षेत्रों के लिए विख्यात सेवाप्रदाता के रुप में स्वयं को स्थापित करना।

वित्तीय निष्पादन

- वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, आपकी कंपनी ने 218.91 करोड़ रूपए का प्रचालनिक राजस्व रिकार्ड किया है, जो कि पिछले वर्ष की 170.84 करोड़ रूपए की प्रचालनिक आय से 28.14 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है। कुल परिचालन आय में वृद्धि मुख्य रूप से परामर्श परियोजनाओं के निष्पादन की बढ़ी हुई मात्रा और ओ एंड एम ट्रैक कार्यों के एक नए खंड के पुरस्कार के कारण है।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी ने 7.13 करोड़ रूपए का कर पूर्व लाभ और 5.32 करोड रूपए का कर पश्चात लाभ अर्जित किया है।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए प्रति शेयर आमदनी पिछले वर्ष में 0.82 रूपए है।
- दिनांक 31 मार्च 2023 को कंपनी की निवल संपत्ति 170.26 करोड़ रूपए हो गई है।

प्रचालनिक निष्पादन

क. वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, इरकॉनआईएसएल ने 05 नई परियोजनाएं प्राप्त की हैं, नामतः (i) छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड से नए चालू किए गए कोरीछापर से धरमजयगढ़ खंड और घरगोड़ा से भालूमुडा खंड में परियोजना परिसंपत्तियों का रखरखाव, (ii) दक्षिण दिल्ली नगर निगम के लिए वाणिज्यिक परिसर के साथ मल्टी लेवल कार पार्किंग सुविधा के रूप में मादीपुर, पंजाबी बाग, नई दिल्ली में सामुदायिक केंद्र में स्थित एसडीएमसी के तहत भूमि पार्सल का विकास और मुद्रीकरण, (iii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के लिए सुविधा प्रबंधन सेवाएँ और भवन संबंधी सेवाओं का वार्षिक संचालन सह व्यापक रखरखाव प्रदान करना, (iv) नवोदय विद्यालय समिति के लिए हैदराबाद, जयपुर, शिलांग और पुणे क्षेत्रों में जेएनवी और अन्य भवनों के निर्माण और रखरखाव और मरम्मत (एम एंड आर) कार्यों के लिए पीएमसी सेवाएं प्रदान करना और (v) नवोदय विद्यालय समिति के लिए जेएनवी साबरकांठा (गुजरात) में चरण–ख का निर्माण कार्य।

वर्ष 2022–23 के दौरान उपरोक्त नई परियोजनाओं के साथ, निम्नलिखित मौजूदा परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं, अर्थातः–

i. दुधोला, पलवल, हरियाणा में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एसवीएसयू) के निर्माण के लिए पीएमसी।

ii. प्रौद्योगिकी भवन, नई महरौली रोड, नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए पीएमसी।

iii. लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एलपीएआई) के लिए चार (4) लैंड पोर्ट (यथा अटारी–पंजाब, 2, जोगबनी–बिहार, पेट्रापोल–पश्चिम बंगाल, 4. दवकी–मेघालय) पर सुरक्षा कर्मियों के लिए बैरक आवास निर्माण के लिए पीएमसी। अटारी परियोजना पूरी हो गई है और ग्राहक को सौंप दी गई है।

iv. निम्नलिखित राज्यों में कॉनकॉर के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) के निर्माण के लिए पीएमसीः – क. कडाकोला, मैसूर जिला, कर्नाटक, ख. पारादीप (उड़ीसा) ग. दहेज, गुजरात। परियोजना पूरी हो गई है और ग्राहक को सौंप दी गई है।

v. एक साबरकंठा (गुजरात) में और दूसरा आगर मालवा (मध्य प्रदेश) में दो स्थानों पर नवोदय विद्यालय समिति के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) के निर्माण के लिए पीएमसी। अंतिम बिल प्रक्रियाधीन है।

vi. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, ऊंचाहार, उत्तर प्रदेश में स्टेज–1 (2x210 मे.वा) के एमजीआर सिस्टम के पीआरसी स्लीपरों के साथ सीएसटी–9 स्लीपरों के प्रतिस्थापन के लिए पीएमसी।

vii. नागपुर में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल अकादमी में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पीएमसी।

viii. एमएमएलपी पारादीप पोर्ट, उड़ीसा में इफको के लिए हैंडलिंग सुविधाओं के विकास के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग और परियोजना पर्यवेक्षण के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्ति और यह कार्य कॉनकॉर द्वारा प्रदान किया गया है।

ix. खरसिया के ट्रैक, सिविल इंजीनियरिंग, ओएचई और एस एंड टी परिसंपत्तियों का रखरखाव–छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड के लिए कोरिछापर नवनिर्मित बीजी खंड।

x. अहमदाबाद (आर एंड बी) डिवीजन के लिए गुजरात राज्य में अहमदाबाद बोटाद रेलवे लाइन पर एलसी नंबर 114 बी के बदले आरओबी के निर्माण के लिए पर्यवेक्षण परामर्श।

xi. "महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए मध्य रेलवे के अंतर्गत महाराष्ट्र क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर समपार गेटों के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण के लिए बेयरिंग का निर्माण और स्थापना सहित रेलवे के हिस्से के भीतर स्टील सुपरस्ट्रक्चर की एसेंबली और लांचिंग के संबंधित निरीक्षण, पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण कार्यों के लिए एजेंसी।

xii. ग्रेटर मुंबई नगर निगम के लिए जी/एस वार्ड में महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के पास डॉ. ई. मूसा रोड और केशवराव खाड़े मार्ग पर दो आरओबी के निर्माण के लिए पर्यवेक्षण परामर्श कार्य।

xiii. पूर्वोत्तर रेलवे के लिए उत्तराखंड राज्य में टनकपुर से बागेश्वर (लगभग 154.58 किमी) तक नई ब्रॉड गेज लाइन के लिए आधुनिक सर्वेक्षण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस),

xiv. इंफाल–मोरे नई बीजी सिंगल लाइन परियोजना के संबंध में उपग्रह या एलआईडीएएस इमेजरी, जमीन पर संरेखण, भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय मानचित्रण आदि से उत्पन्न डिजिटल भू–भाग/ऊंचाई मॉडल (डीटीएम/डीईएम/डीएसएम) का उपयोग करके अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस) पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के लिए मणिपुर (कुल लगभग लंबाई 110केएम), और

xv. दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के लिए वाणिज्यिक परिसर के साथ मल्टी लेवल कार पार्किंग सुविधा के रूप में मादीपुर, पंजाबी बाग, नई दिल्ली में सामुदायिक केंद्र में स्थित एसडीएमसी के तहत भूमि पार्सल का विकास और मुद्रीकरण। परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट और वित्तीय मॉडल ग्राहक को प्रस्तुत कर दिया गया है।

ख. वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, दहेज, गुजरात में कॉनकोर के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) का निर्माण अगस्त 2023 में पूरा हुआ। जेएनवी साबरकांठा (गुजरात) में चरण–क कार्यों का निर्माण 30 नवंबर, 2022 को पूरा हुआ, और जेएनवी आगर मालवा (एमपी) में चरण–क कार्यों का निर्माण 30 मार्च, 2023 को पूरा हुआ।

क्षेत्रीय निष्पादन

वर्ष 2022–23 के दौरान राजस्व के पांच क्षेत्र हैं यथा परामर्श, एमएफसी को उप पट्टे पर देना, श्रमशक्ति की आपूर्ति, संयंत्र और मशीनरी को पट्टे पर देना, रेलपथ का अनुरक्षण, जिनका वर्ष 2022–23 के लिए प्रचालनिक आय में परामर्श परियोजाओं का अंशदान प्रमुख है यथा कुल

प्रचालनिक आय का 75.48 प्रतिशत है। नीचे प्रस्तुत तालिका विभिन्न क्षेत्रों से आय के भाग और कुल आय में इसके प्रतिशत अंशदान को दर्शाती है।

(रुपए करोड़ में)

सेक्टर	2022-23		2021-22		2020-21	
	प्रचालनिक आय	%	प्रचालनिक आय	%	प्रचालनिक आय	%
परामर्श	165.23	75.48	141.99	83.11	167.76	86.30
श्रमशक्ति की आपूर्ति	1.36	0.62	0.77	0.45	0.88	0.45
एमएफसी को उपपट्टे पर देना	27.87	12.73	14.34	8.39	11.08	5.70
अन्य प्रचालनिक राजस्व						
संयंत्र और मशीनरी को पट्टे पर देना	5.49	2.51	1.84	1.08	2.33	1.20
रेलपथ का अनुरक्षण	18.96	8.66	11.91	6.97	12.34	6.35
कुल	**218.91**		**170.84**		**194.39**	

सेगमेंट–वार निष्पादन

वर्ष 2022–23 के दौरान कुल प्रचालनिक आय में विदेशी परियोजनाओं का अंशदान 1.16% है तथा कुल प्रचालनिक आय में घरेलू परियोजनाओं का अंशदान 98.84% है।

(रुपए करोड़ में)

सेक्टर	2022-23		2021-22		2020-21	
	कुल आय	%	कुल आय	%	कुल आय	%
विदेशी	2.54	1.16	0.70	0.41	2.27	1.17
घरेलू	216.37	98.84	170.14	99.59	192.12	98.83
कुल	**218.91**		**170.84**		**194.39**	

शक्तियाँ

आपकी कंपनी की सबसे बड़ी शक्ति है कि यह निर्माण के क्षेत्र में व्यापक प्रतिष्ठा प्राप्त इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। कंपनी विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए धारक कंपनी के अनुभव का लाभ प्राप्त कर सकती है।

जोखिम और चिन्ता

प्रगतिरत रुप से बहुउद्देशीय परिसरों के निर्माण का कार्य पूरा होने से, इन बहुउद्देशीय परिसरों को पट्टे पर देने का कार्य आरम्भ किया गया है जो कि अत्यंत क्षेत्र विशिष्ट और बाजार आधारित है। हालांकि, एक स्वतंत्र प्रतिष्ठित परामर्शदाता द्वारा बाजार संभाव्यता का गहन अध्ययन किया गया है किन्तु राजस्व एकत्रण का जोखिम अभी भी विद्यमान है, विशेष रूप से कोविउ–19 माहामारी की स्थिति के दौरान।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कंपनी के पास एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है, जिसमें उचित जोखिम मूल्यांकन और शमन तंत्र की उपस्थिति पर मत प्रकट करने के अतिरिक्त पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और अनुपालन पर पर टिप्पणी करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक की आवश्यकता होती है। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक के रुप में मैसर्स एम.एम. एसोसिएट्स, लागत लेखाकार को नियुक्त किया है। आंतरिक लेखापरीक्षकों ने आंतरिक प्रणालियों की पर्याप्तता की जांच करने तथा निरंतर सुधारों के उपाय सुझाने के लिए दो चरणों में कंपनी की लेखापरीक्षाएं की हैं। आंतरिक लेखापरीक्षक अनुभवी लागत एवं प्रबंधन लेखाकार फर्म है,

जिसका चयन एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है और नियुक्ति के पश्चात सीधे प्रबंधन को रिपोर्ट करेगा। यह आंतरिक लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करेगा। आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है, अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है और इन्हें लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

मानव संसाधन

कंपनी का लक्ष्य संगठन के लिए मानव संसाधन/कर्मचारियों के सही आकार और सही मिश्रण को प्राप्त करना है। चूंकि आपकी कंपनी एक परियोजना आधारित कंपनी है, इसलिए श्रमशक्ति की आवश्यकताओं में उतार–चढ़ाव आते हैं, जिन्हें कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति, ठेके और सेवा अनुबंध पर भर्ती करके पूरा किया जाता है। भर्ती नीतियों को कंपनी की समग्र नीति के अनुरूप बनाने के लिए पुनर्निधारित किया गया है।

इरकानआईएसएल के कर्मचारी उन लोगों का एक संयोजन है जिन्हें कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया है और कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में या परियोजना स्थल पर नियुक्त किया गया है और जो कर्मचारी इरकॉन से प्रतिनियुक्ति के आधार पर हैं। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी इरकॉन के बांग्लादेश और अल्जीरिया परियोजना को जनशक्ति भी उपलब्ध करती है। दिनांक 31 मार्च 2023 तक कंपनी की कुल श्रमशक्ति 67 कर्मचारी हैं। दीर्घकालिक विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी अपने संवर्ग विकास के माध्यम से मुख्य जनशक्ति संसाधनों को बढ़ाने की योजना बना रही है।

निदेशक मंडल के निमित्त और की ओर से
इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड

ह/–
(पराग वर्मा)
(अध्यक्ष)
(डीआईएन : 05272169)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.09.2023

अनुबंध –ग

कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट

1. कंपनी का दर्शन

निगमित शासन कंपनी के व्यवसाय के नैतिक आचरण के लिए प्रणालियों तथा पद्धतियों की एक व्यवस्था है। यह अपने स्टेकधारकों की आकांशाओं को पूरा करने के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता, समानता और मूल्यों की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करता है। कंपनी का यह निरंतर प्रयास है कि व्यावसायिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में नैतिकता के उच्चतम मानकों को अपनाया जाए तथा उन्हें बनाया रखा जाए।

2. शासन संरचना

कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है जो कार्यप्रणाली और नीतियों का निर्धारण करता है और आवधिक रुप से कार्यनिष्पादन की समीक्षा करता है।

कंपनी के निष्पादन की समीक्षा धारक कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा भी की जाती है। मंडल बैठकों के कार्यवृत्त तथा कंपनी द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण संव्यवहारों और व्यवस्थाओं के विवरण तथा अलेखापरीक्षित तिमाही तथा अर्धवार्षिक परिणामों को धारक कंपनी की लेखापरीक्षा समिति/ बोर्ड बैठकों के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

इरकॉन आईएसएल के बोर्ड में चार अंशकालीन निदेशकों के अतिरिक्त, धारक कंपनी ने कंपनी के दिन–प्रति–दिन के कार्यों के प्रबंधन के लिए बोर्ड स्तर से नीचे के एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी को नामित किया है।

3. निदेशक मंडल

3.1 निदेशक मंडल की संरचना

कंपनी के संगम अनुच्छेद (ए.ओ.ए)(अनुच्छेद 48) के अनुसार, निदेशकों की संख्या तीन से कम तथा बारह से अधिक नहीं होनी चाहिए। ए.ओ.ए (अनुच्छेद 49) के अनुसार, धारक कंपनी अध्यक्ष तथा सभी निदेशकों की नियुक्ति करती है।

निदेशक मंडल के सदस्यों की वर्तमान संख्या चार है जिसमें धारक कंपनी इरकॉन द्वारा नामित अंशकालीन निदेशकों सहित अंशकालीन अध्यक्ष शामिल हैं।

3.2 इस रिपोर्ट की तारीख को निदेशकों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

निदेशक मंडल

(इस रिपोर्ट की तारीख तक)

निदेशक	पूर्णकालिक / अंशकालिक / स्वतंत्र	कंपनियों / निगमित निकायों में निदेशक पर (इरकॉन आईएसएल को छोड़कर)	समिति सदस्यता की कुल संख्या (इरकॉन आईएसएल सहित)	
			अध्यक्ष के रूप में	अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्य के रूप में
श्री पराग वर्मा (डीआईएन 05272169) (10.10.2022 से)	अंशकालीन अध्यक्ष	9 [इरकॉन / आईआरएसडीसीएल / जेसीआरएल / एमसीआरएल / आईजीआरएचएल / आईएएसईएल / आईएलआरएचएल / आईवीकेईएल]	1	4
श्री सुरेन्द्र सिंह (डीआईएन 09214484) (01.07.2021 से)	अंशकालीन निदेशक	1 [आईआरपीएल]	1	2
श्री राजीव कुमार सिन्हा (डीआईएन 08320520) (07.12.2022 से)	अंशकालीन निदेशक	शून्य	शून्य	3
श्री अभिजीत कुमार सिन्हा (डीआईएन 09213782) (01.04.2022 से)	अंशकालीन निदेशक	शून्य	1	2

नोटः

1. श्री पराग वर्मा को दिनांक 10 अक्टूबर 2022 से श्री योगेश कुमार मिश्रा के स्थान पर कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
2. श्री अभिजीत कुमार सिन्हा को दिनांक 01 अप्रैल 2022 से श्री सुरजीत दत्ता के स्थान पर अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
3. श्री राजीव कुमार सिन्हा को दिनांक 07 दिसंबर 2022 से अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

नोटः

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निदेशकों की संख्या 20 कंपनियों की अधिकतम सीमा के भीतर है (जिनमें से सार्वजनिक कंपनियों के लिए अधिकतम 10)।
2. निदेशक एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं।
3. निदेशकों का कंपनी के साथ किसी प्रकार का अंतर–संबंध या संव्यवहार नहीं है।
4. निदेशक पद/समिति की सदस्यता निदेशकों से प्राप्त अद्यतन प्रकटनों के आधार पर है।
5. समिति सदस्यता के लिए सभी सार्वजनिक निजी कंपनियों की सीएसआर एवं धारणीय विकास समिति, लेखापरीक्षा समिति तथा शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति के सदस्यों पर ही विचार किया गया है।
6. निदेशकों की समिति सदस्यता संख्या डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 (डीपीई सीजी दिशानिर्देश) के अंतर्गत पांच अध्यक्षों की अनुमत सीमा सहित 10 की अधिकतम सीमा के भीतर है। उक्त सीमा के लिए केवल लेखापरीक्षा समिति तथा शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति को ही गिना जाएगा।
7. कंपनियों के पूरे नाम हैं:

क) इरकॉन	– इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
ख) आईआरएसडीसी	– भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड
ग) जेसीआरएल	– झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड
घ) एमसीआरएल	– महानदी कोल रेलवे लिमिटेड
ड.) आईआरपीएल	– इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड

च.) आईजीआरएचएल – इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड

छ) आईएएसईएल – इरकॉन अकोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड

ज) आईएलआरएचएल – इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड

झ) आईवीकेईएल – इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

4. निदेशकों के संबंध में प्रकटन :

कंपनी (निदेशक की बैठकें व उनकी शक्तियां) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 के अनुसार निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटन के अनुसार निदेशकों का आपस में कोई संबंध नहीं है। संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 49 के अनुसार धारक कंपनी द्वारा कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन किया जाता है।

5. निदेशकों का पारिश्रमिक

धारक कंपनी द्वारा बोर्ड में नामित अंशकालीन निदेशक कंपनी से किसी प्रकार का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करते हैं।

अंशकालीन निदेशकों को किसी प्रकार का बैठक शुल्क प्रदान नहीं किया जाता है।

6. वर्ष 2022–23 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकें और उनमें उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान निदेशक मंडल की दिनांक 17 मई 2022, 23 मई 2022, 05 अगस्त 2022, 24 अगस्त 2022, 04 नवंबर 2022 और 03 फरवरी 2023 को छह बैठकों का आयोजन किया गया।

वर्ष 2022–23 के दौरान निदेशकों और कंपनी सचिव की उपस्थिति के विवरण निम्न प्रकार हैं :–

निदेशक	2022–23 में मंडल की बैठकों की संख्या		अंतिम वार्षिक आम बैठक में भाग लिया
	आयोजित (उनके कार्यकाल के दौरान)	उपस्थितियां	
श्री योगेश कुमार मिश्रा (डीआईएन 07654014)	4	4	हां
श्री पराग वर्मा (डीआईएन 05272169)	6	5	हां
श्री सुरेन्द्र सिंह (डीआईएन 09214484)	6	4	नहीं
श्री अभिजीत के. सिन्हा (डीआईएन 09213782)	6	6	हां
श्री राजीव कुमार (डीआईएन 08320520)	1	1	लागू नहीं

7 निदेशक मंडल की समितियां

7.1 लेखापरीक्षा समिति

7.11 संदर्भ शर्तें

वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 4.90 करोड़ रुपए से बढ़कर 40 करोड़ रुपए (28.03.2013 से) हो गई है, जो 100 प्रतिशत इरकॉन द्वारा धारित है। इसके परिणामस्वरुप, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292क के अनुपालन में, निदेशक मंडल ने 5 जुलाई 2013 को आयोजित अपनी बैठक में लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है। कार्पोरेट शासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अध्याय–4, पैरा 4.2 से पैरा 4.5 में निर्धारित अनुसार लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ शर्तों को निदेशक मंडल द्वारा अपनाया गया था। संक्षेप में इनमें शामिल हैं:

1. कम्पनी की वित्तीय सूचना की प्रक्रिया और प्रकटन का पर्यवेक्षण करके लेखों की परिशुद्धता, पर्याप्तता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना है।

2. निदेशक मंडल द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण को स्वीकृति दिए जाने से पूर्व प्रबंधन के साथ समीक्षा करना। विशेष रूप से–

   क) कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 134 के उपखंड 5 की शर्तों के अनुसार निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाली अपेक्षित सामग्री को निदेशक की रिपोर्ट में भी शामिल किया जाएगा।

   ख) लेखांकन नीतियों तथा पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हो व इसके कारण।

   ग) प्रबंधन द्वारा विवेक के प्रयोग के आधार पर अनुमानों वाली प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां।

   घ) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।

   ड.) वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन।

   च) किसी संबंधित पक्षों के संव्यवहार का प्रकटन, और

   छ) मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में योग्यता आदि।

3) निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किए जाने से पूर्व तिमाही वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा।

4) प्रचालनों की वित्तीय स्थिति तथा परिणामों पर प्रबंधन द्वारा चर्चा व विश्लेषण।

5) आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्यनिष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता पर प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

6) महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान व उन पर अनुवर्ती कार्रवाई हेतु दोनों लेखा परीक्षकों – आंतरिक एवं सांविधिक लेखापरीक्षक के साथ चर्चा।

7) आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग, स्टाफिंग तथा विभागों के कार्यालय प्रमुखों की वरियता, रिपोर्टिंग ढांचा, कवरेज तथा आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई हो, की पर्याप्ता की समीक्षा करना।

8) लेखापरीक्षा शुल्कों के निर्धारण के लिए बोर्ड को सिफारिश करना।

9) आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, पुनःनियुक्ति, पारिश्रमिक तथा निलंबन आदि की समीक्षा करना।

10) मुख्य कार्यपालक/वित्त प्रमुख द्वारा वित्तीय विवरणों के प्रमाणन/घोषणा की समीक्षा करना।

7.1.2 <u>लेखापरीक्षा समिति – संरचना और उपस्थिति</u>

कार्पोरेट शासन पर दिनांक 14 मई 2010 के डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 4.2 से पैरा 4.5 में निर्धारित अनुसार शर्तों का अनुपालन करते हुए निदेशक मंडल की स्वीकृति से दिनांक 05.07.2013 को मूल रुप से तीन अंशकालीन निदेशकों वाली बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान नामांकित निदेशक में बदलाव के कारण, समिति का पुनर्गठन 19.12.2022 को नोट संख्या 72/22 के माध्यम से किया गया था, जिसे सभी बोर्ड सदस्यों को वितरित किया गया था, जिसकी 03 फरवरी, 2023 को आयोजित 67 वीं बीओडी बैठक में पुष्टि की गई थी।

समिति की वर्तमान संरचना निम्नानुसार है:

1. श्री अभिजीत कुमार सिन्हा – अध्यक्ष
   (नमिति निदेशक)

2. श्री सुरेन्द्र सिंह – सदस्य
   (नमिति निदेशक)

3. श्री राजीव कुमार सिन्हा – सदस्य
   (नमिति निदेशक)

वर्ष 2022–23 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 5 बैठकें आयोजित की गईं थीं अर्थात 17 मई 2022, 23 मई 2022, 05 अगस्त 2022, 04 नवंबर 2022 और 03 फरवरी 2023।

उपस्थिति की ब्यौरा निम्नानुसार है:

सदस्य	पद	बैठकों की संख्या (उनके कार्यकाल के दौरान)	बैठक में उपस्थिति
अभिजीत कुमार सिन्हा	अध्यक्ष	5	5
पराग वर्मा	सदस्य	4	3
श्री सुरेन्द्र सिंह	सदस्य	5	4
श्री राजीव कुमार सिन्हा	सदस्य	1	1

7.2 निगमित सामाजित उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135 के अनुसार, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक की निवल संपत्ति, या 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक के टर्नओवर या 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक के शुद्ध लाभ अर्जित करने वाले प्रत्येक कंपनी, बोर्ड स्तर की एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआर) का गठन करेगी जिसमें तीन या अधिक निदेशक होंगे जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 12 अप्रैल 2013 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन के तहत जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक सीपीएसई में बोर्ड स्तरीय समिति होगी जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा या किसी स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी जो कंपनी में सीएसआर तथा धारणीयता संबंधी नीतियों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

सीएसआर के लिए एकीकृत निदेशक मंडल समिति का गठन दिनांक 13 जून 2014 को सभी बोर्ड सदस्यों को भेजे गए एक नोट द्वारा किया गया था, जिसकी पुष्टि कंपनी की सीएसआर नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए दिनांक 26 जून 2014 को आयोजित 22वीं निदेशक मंडल की बैठक में की गई थी और कंपनी के सीएसआर कार्यसूची को

वांछित दिशा में आगे ले जाने के लिए उपयुक्त नीतियां और रणनीति बनाने में निदेशक मंडल की सहायता करना।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान नामांकित निदेशक में बदलाव के कारण, समिति का पुनर्गठन 19.12.2022 को नोट संख्या 72/22 के माध्यम से किया गया था, जिसे सभी बोर्ड सदस्यों को वितरित किया गया था, जिसकी 03 फरवरी, 2023 को आयोजित 67 वीं बीओडी बैठक में पुष्टि की गई थी।

समिति की वर्तमान संरचना निम्नानुसार है:

1.	श्री सुरेन्द्र सिंह (नमिति निदेशक)	–	अध्यक्ष
2.	श्री अभिजीत कुमार सिन्हा (नमिति निदेशक)	–	सदस्य
3.	श्री राजीव कुमार सिन्हा (नमिति निदेशक)	–	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2022–2023 के दौरान दिनांक 03 फरवरी 2023 को सीएसआर समिति की एक बैठक का आयोजित की गई थी। इस बैठक में सभी सदस्य उपस्थित थे।

7.3 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 178 के अनुसार, 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक की प्रदत्त पूंजी, या 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक के टर्नओवर या 50 करोड़ रुपए या अधिक के समग्र बकाया ऋण या उधार या डिबेंचर या डिपाजिट करने वाले प्रत्येक कंपनी, नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति का गठन करेगी। इस समिति में तीन या अधिक गैर कार्यपालक निदेशक होंगे जिनमें से आधे से अधिक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 14 मई, 2010 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन के तहत जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम के लिए पारिश्रमिक समिति पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक सीपीएसई में एक पारिश्रमिक समिति होगी जिसमें कम से कम तीन निदेशक होंगे, और वे सभी अंशकालीन निदेशक होंगे (यथा नामिती और स्वतंत्र निदेशक), और समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी।

संदर्भ शर्तें

क. दिनांक 26 नवंबर 2008 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्यपालकों और गैर–यूनियनिकृत पर्यवेक्षकों में वितरण हेतु वार्षिक बोनस/परिवर्ती आय पूल तथा इसके संवितरण की नीतियां निर्धारण करना।

ख. निर्धारित मापदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों का हिह्नन/चयन हेतु नीतयों को तैयार करना और उनकी समीक्षा तथा उनके चयन और उन्हें हटाने के लिए मंडल के अनुमोदन हेतु सिफारिश करना।

ग. वरिष्ठ प्रबंधन तथा अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक के संबंध में उनके स्तर और पारिश्रमिक का निर्धारण करना।

घ. वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों के संबंध में मानव संसाधन नीति (नीतियों) की समीक्षा, विचार और सिफारिश करना।

ड. समय–समय पर कंपनी अधिनियम या डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा शामिल कोई अन्य कार्य।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 178 तथा डीपीई जीसी दिशानिर्देश, 2010 के पैरा 5.1 के अनुसरण में 28 अगस्त, 2015 को एक नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। समिति की संरचना निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान नामांकित निदेशक में बदलाव के कारण, समिति का पुनर्गठन 19.12.2022 को नोट संख्या 72/22 के माध्यम से किया गया था, जिसे सभी बोर्ड सदस्यों को वितरित किया गया था, जिसकी 03 फरवरी, 2023 को आयोजित 67वीं बीओडी बैठक में पुष्टि की गई थी।

समिति की वर्तमान संरचना निम्नानुसार है:

1. श्री सुरेन्द्र सिंह – अध्यक्ष
   (नमिति निदेशक)

2. श्री अभिजीत कुमार सिन्हा – सदस्य
   (नमिति निदेशक)

3. श्री राजीव कुमार सिन्हा – सदस्य
   (नमिति निदेशक)

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान एनआरसी की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

8. सामान्य आम बैठक

8.1 वार्षिक आम बैठक

पिछली 3 (तीन) वार्शिक आम बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं थीं:

एजीएम की संख्या	वित्त वर्ष	बैठक की तिथि	समय	स्थल
13वीं	2021–22	24 अगस्त 2022	12:40	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली
12वीं	2020–21	17 अगस्त 2021	10:30	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली
11वीं	2019–20	18 सितंबर 2020	11:00	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों (2019–20 से 2021–22) में कोई विशेष संकल्प अपेक्षित या पारित नहीं किया गया है।

8.2 असाधारण आम बैठक

क) पिछली 3 (तीन) असाधारण आम बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गई थीं:

असाधारण आम बैठक संख्या	वित्त वर्ष के दौरान	बैठक की तिथि	समय	स्थल
चौथी	2014–15	20 फरवरी 2015	17:00	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली
तीसरी	2012–13	22 जनवरी 2013	14:30	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली
दूसरी	2011–12	12 मार्च 2012	14:30	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली

ख) विशेष संकल्प

(क) चौथी असाधारण आम बैठक 20 फरवरी, 2015 को आयोजित की गई थी।

प्राधिकृत शेयर पूंजी को 40 करोड़ से बढ़ाकर 65 करोड़ करने के लिए कंपनी के समझौता ज्ञापन और संगम अनुच्छेद में परिवर्तन।

(ख) तीसरी असाधारण आम बैठक 22 जनवरी, 2013 को आयोजित की गई थी।

(i) प्राधिकृत शेयर पूंजी को 10 करोड़ से बढ़ाकर 40 करोड़ करने के लिए कंपनी के संगम अनुच्छेद में परिवर्तन।

(ii) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) से लिए गए ऋण के 35,10,00,000 रुपए के स्तर तक के भाग को प्रत्येक 10 रुपए के 3,51,00,000 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करना।

(ग) **दूसरी असाधारण आम बैठक 12 मार्च 2012 को आयोजित की गई थी।**

उद्देश्य खंड III क (मुख्य उद्देश्य) में नए उप खंडों को शामिल करके समझौता ज्ञापन में परिवर्तन किया गया।

9. प्रकटन

9.1 वर्ष के दौरान निदेशकों या उनके संबंधितयों के साथ कोई महत्वपूर्ण प्रकृति का संव्यवहार नहीं हुआ है, जिसका कंपनी के हित प्रभावित हुआ हो। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में नोट सं. 35 में निर्धारित संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहारों के प्रकटन की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया गया है।

9.2 वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी के व्यवसाय उद्देश्यों से इतर लेखों की बहियों में व्यय की किसी भी मद को नामे नहीं किया गया है। सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन एवं पर्क (विस्तृत विवरण वित्तीय विवरणों के भाग के रुप में नोट सं 35 में भी प्रकटित) के अनुसार प्रमुख कार्यपालकों को भुगतान हेतु पारिश्रमिक को छोड़कर निदेशकों तथा शीर्ष प्रबंधन के व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया है।

9.3 कुल व्यय के प्रतिशत के रुप में प्रशासनिक एवं कार्यालय व्ययों का ब्यौरा वित्तीय व्यय की तुलना में नीचे दर्शाया गया है:

(रुपए करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22	टिप्पणियां
प्रशासनिक व्यय	4.38	3.34	शून्य
बैंक तथा अन्य वित्तीय प्रशर	0.00	0.00	शून्य
कुल व्यय	215.72	164.54	शून्य
प्रशासनिक तथा अन्य व्यय /कुल व्यय (प्रतिशत में)	2.03%	2.03%	शून्य
बैंक तथा वित्तीय प्रभार/कुल व्यय (प्रतिशत में)	0.00%	0.00%	

9.4 कंपनी आवधिक रुप से जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में परियोजनाओं से संबंधित जोखिमों और विदेशी विनिमय प्रबंधन के विषय में बोर्ड को सूचित करती है। जोखिम प्रबंधन से संबंधित ब्यौरा ''जोखिम एवं चिंता'' शीर्षक के अंतर्गत प्रबंधन विश्लेषण रिपोर्ट में दिया गया है।

9.5 कंपनी की सम्पूर्ण इक्विटी पूंजी यथा 65,00,00,000 इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) द्वारा धारित है।

9.6 किसी सांविधिक विनियम या सरकारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन न किए जाने की कोई घटना नहीं हुई है और पूंजी बाजार या सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों से संबंधित किसी मुद्दे पर कंपनी पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं।

9.7 डीपीई सीजी दिशानिर्देशों के स्व–मूल्यांकन के अनुपालन के लिए इरकॉन आईएसएल ने 2022–2023 के लिए 100 में से '**93.125**' का वार्षिक अंक तथा उत्कृष्टता ग्रेड प्राप्त किया है।

9.8 संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार आर्म लैंथ आधार पर व्यवसाय की साधारण प्रक्रिया है और कंपनी के वित्तीय विवरण के नोटों में संगत लेखांकन मानक की अपेक्षा के अनुसार इसे प्रकट किया गया है।

9.9 कंपनी में सांविधिक और प्रक्रियात्मक अनुपालनों की मॉनीटरिंग की प्रणालियां विद्यामन हैं। बोर्ड को इस स्थिति से अवगत कराया गया है ताकि कंपनी के सभी लागू नियमों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

10. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा मुख्य वित्त अधिकारी ने वित्तीय विवरणों की सत्यता तथा सटीकता, देय अनुपालनों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग, जिसे लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल के समक्ष दिनांक 18 मई 2023 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्तुत किया गया है, के संबंध में लिखित रुप में प्रमाणित किया है और इसे रिपोर्ट के **अनुबंध ''ग–1''** पर संलग्न किया गया है।

11. आचार सहिंता

कम्पनी में निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता उपलबध है जो कंपनी की वेबसाइट पर है। वर्ष 2022–23 के दौरान निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन दल के सदस्यों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करने वाले अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा **इस रिपोर्ट के संलग्नक "ग–2"** पर उपलब्ध है।

12. शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना

12.1 सम्प्रेषण के माध्यम

इरकॉन आईएसएल की वर्ष 2022–23 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.irconisl.com पर तथा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध हैं।

12.2 चालू वर्ष के लिए वार्षिक साधारण बैठक

तारीख : 01 सितंबर, 2023
समयः 12.00 बजे अपराहन
स्थानः कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय का बोर्ड कक्ष,
सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110007

12.3 श्रेणीवार शेयरधारक पैटर्न (इस रिपोर्ट की तिथि को)

श्रेणी	भौतिक रूप में धारित शेयरों की संख्या (10 रु. प्रति शेयर)	शेयरधारण का प्रतिशत
प्रवर्तक (इरकॉन इंटरनेशनल लि. और इसके आठ नामिति)	6,50,00,000	100 प्रतिशत
कुल	6,50,00,000	100 प्रतिशत

धारक कंपनी द्वारा पदधारियों को बदले जाने के परिणामस्वरूप किसी नामिती शेयरधारक से दूसरे शेयरधारकों को शेयरों का अंतरण करना सामान्यतः एक तकनीकी कार्य है क्योंकि 100 प्रतिशत शेयर धारक कंपनी के हैं। इन शेयरों का अंतरण करने के लिए सीईओ एक प्राधिकृत अधिकारी है और कोई अंतरण बाकी नहीं हैं।

12.4 संप्रेषण का पता

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता है:
इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड
प्लाट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर
साकेत, नई दिल्ली–1100017
टेलीफोन : 26530266
ई–मेल : info@irconisl.com
वेबसाईट : www.irconisl.com

आपकी कंपनी ने नोएडा में अपना कॉर्पोरेट कार्यालय भी स्थापित किया है जिसका विवरण इस प्रकार है:

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड
बी–40ए, दूसरी मंजिल, सेक्टर 1, नोएडा–201301
संपर्क नंबर 01202970406
ई–मेल : info@irconisl.com
वेबसाईट : www.irconisl.com

13. निगमित शासन पर अनुपालन

यह रिपोर्ट वर्ष 2022–23 के लिए कार्पोरेट शासन रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के संबंध में विधिक अपेक्षाओं का विधिक पालन करती है।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी सनदी कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के **संलग्नक "ग–3"** पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से
इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विससे लिमिटेड

ह/–
(पराग वर्मा)
(अध्यक्ष)
(डीआईएन : 05272169)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.09.2023

अनुबंध ग–1

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वित्तीय विवरण पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रमाणन

हमने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए तुलनपत्र, लाभ और हानि के विवरण और नकदी प्रवाह विवरण सहित वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है और अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमने इसकी पुष्टि की है :

क) कि वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था, सिवाय इसके कि वार्षिक वित्तीय विवरण में अन्यथा कहा गया हो और इसमें कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं हुआ हो,

ख) ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया और उन्हें लगातार लागू किया गया, और ऐसे निर्णय और अनुमान जो भी दिए गए थे, उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि दिनांक 31 मार्च 23 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के मामलों की स्थिति और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी का लाभ का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत किया जा सके दिया जा सके।

ग) कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की गई है।

घ) यह कि वार्षिक वित्तीय विवरण खाते ''गोइंग कंसर्न'' आधार पर तैयार किए गए हैं।

ड) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गई है और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

ह/–
श्री अजय पाल सिंह
मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)

ह/–
श्रीमती पूजा चौरसिया
मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 17.05.2023

अनुबंध–ग2

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड के निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में अध्यक्ष द्वारा घोषणा

मैं, पराग वर्मा, अध्यक्ष, इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन दल द्वारा वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी की आचार संहिता तथा आधारभूत मूल्यों के अनुपालन की अश्पिुष्टि की गई है।

ह/–
(पराग वर्मा)
(अध्यक्ष)
(डीआईएन : 05272169)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.09.2023

अनुबंध ग–3

कंचन साह एंड एसोसिएट्स |कंपनी सचिव|
आई-31, गली नंबर 3, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
संपर्क करें: +91 880 222 1762
ई-मेल : pcskanchan@gmail.com

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए निगमित शासन पर डी.पी.ई के दिशानिर्देशों के अनुपालन संबंधित प्रमाणपत्र

(डीपीई दिशानिर्देश 2010 के पैरा 8.2.1 के अनुसरण में)

सेवा में,
सदस्य,
इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिस लिमिटेड,
प्लाट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर,
साकेत, नई दिल्ली–1100017.

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनुपालन के संबंध में, हमारी समीक्षा को प्रस्तुत किया के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए प्रासंगिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच की है।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उन क्रिया विधियों और उनके क्रियान्वयन तक सीमित है जिन्हें कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित अवलोकनों के साथ कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन के संबध में सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कारपोरेट शासन पर दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है।

इसके अलावा, यह नोट किया गया है कि सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के पैरा 3.1.3 के अनुसार, बोर्ड में नियुक्त नामांकित निदेशकों की संख्या अधिकतम दो तक सीमित होगी। हालाँकि, यह देखा गया कि नामांकित निदेशकों की संख्या सीमा से अधिक हो गई है।

हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन कंपनी की भावी व्यवहार्यता के लिए आश्वासन है और ना ही उसे कुशलता या प्रभावपूर्णता का आश्वासन है कि जिसके द्वारा प्रबंधन कंपनी के कार्यों का निष्पादन करता है।

कृते कंचन साह एवं एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/–
सीएस कंचन साह
प्रोप्राइटर
सदस्यता सं. 40907
सीओपी सं. 15309

यूडीआईएन : A040907E000839749
दिनांक: 22.08.2023
स्थान : दिल्ली

अनुबंध–घ

कंचन साह एंड एसोसिएट्स |कंपनी सचिव|
आई-31, गली नंबर 3, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
संपर्क करें: +91 880 222 1762
ई-मेल : pcskanchan@gmail.com

फार्म सं. एमआर–3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं.9 के अनुसरण में)

सेवामें,

सदस्य,
मैसर्स इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड,
प्लॉट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर,
साकेत, नई दिल्ली–110017

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड (जिसे यहां आगे ''कंपनी'' कहा जाएगा) द्वारा अच्छी निगमित पद्धतियों के अनुपालन की लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई थी, जिससे हमनें निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और इन पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आधार मिला है।

कंपनी की बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, हमने एतद्द्वारा रिपोर्ट

देते हैं कि हमारे मतानुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रकियाएं भी हैं और उस स्तर तक तथा उस रूप में अनुपालन तंत्र विद्यमान है और यहां आगे उल्लिखित रिपोर्टिंग के मद्देनजर है:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियम:

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (''एससीआरए'') और तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियम: **(लागू नहीं)**

(iii) डिपॉजिटरी एक्ट, 1966 तथा इसके अंतर्गत निर्मित विनियम तथा उप–नियम: **(लागू नहीं)**

(iv) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के स्तर तक विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम और विनियम **(लागू नहीं)**

(v) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (''सेबी अधिनियम'') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का व्यपाक अधिग्रहण और ओवरटेक) विनियम, 2011. **(लागू नहीं)**

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भीतरी व्यापार निषेध) विनियम, 2015 **(लागू नहीं)**

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018 **(लागू नहीं)**

घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन तथा कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिशानिर्देश, 2021 **(लागू नहीं)**

(ड.) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों को जारी करना व सूचीकरण) विनियम, 2008 **(लागू नहीं)**

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (गैर–परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का इश्यु और सूचीकरण) विनियम, 2021 **(लागू नहीं)**

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इश्यु और शेयर हस्तांतरण एजेटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 और यह कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ संव्यवहार से संबंधित है **(लागू नहीं)**

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीकरण) विनियम, 2021 **(लागू नहीं),** और

(झ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बायबैक) विनियम, 2018 **(लागू नहीं)।**

(vi) प्रबंधन ने निम्नलिखित अन्य कानूनों की पुष्टि की है जो विशिष्ट रूप से कंपनी पर लागू हैं :

(क) निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देश, 2010.

(ख) लागू स्तर तक संबंधित श्रम कानून।

(ग) लागू स्तर तक संबंधित पर्यावरण कानून

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है।

(क) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानक।

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायितव एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015, **(लागू नहीं)।**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने उपर्युक्त अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हमं आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन विधिवत रूप से नामांकित निदेशकों के साथ किया जाता है और कंपनी इरकॉन (होल्डिंग कंपनी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और सभी नामांकित निदेशकों की नियुक्ति होल्डिंग कंपनी द्वारा की जाती है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान

निदेशक मंडल की संरचना में जो बदलाव हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।

सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के पैरा 3.1.3 के अनुसार, सरकार/अन्य सीपीएसई द्वारा नियुक्त नामित निदेशकों की संख्या अधिकतम दो तक सीमित होगी। हालाँकि, यह देखा गया कि बोर्ड में नामांकित निदेशकों की संख्या सीमा से अधिक थी।

कंपनी में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते कंपनी को एमसीए अधिसूचना ''कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) संशोधन नियम, 2017 दिनांक 5 जुलाई, 2017'' के तहत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशक रखने की आवश्यकता से छूट दी गई है।

सभी निदेशकों को उपयुक्त नोटिस दिया गया है कि वे समिति बैठकों के साथ बोर्ड बैठकों की अनुसूची तैयार करें तथा सात दिन या उससे कम अवधि के पूर्व नोटिस पर कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट तैयार करें, जैसा भी मामला हो, और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर कोई अन्य सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए तथा निदेशको द्वारा बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी की प्रणाली विद्यमान है।

प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के रूप में बोर्ड बैठकों के निर्णय एकमत से लिए जाते हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रावधानों का अनुपालन किया है और शेयरों का हस्तांतरण अधिनियम के अनुसार वर्ष के दौरान किया गया था।

हमे आगे रिपोर्ट करते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों सहित लागू वित्तीय कानूनों का अनुपालन इस लेखापरीक्षा में समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि यह वैधानिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अनुपालन की मॉनीटरिंग करने और इनके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप उपयुक्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, उपर्युक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, आदि के अनुसरण में कंपनी में कोई विशिष्ट घटनाएं/क्रियाएं नहीं हुई हैं जिनका कंपनी की कार्यप्रणाली पर प्रमुख प्रभाव पड़ा है:

कृते कंचन साह एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/–
कंचन साह
प्रोप्राइटर
सदस्यता सं. 40907
सीओपी सं. : 15309

यूडीआईएन : : A040907E000484977
दिनांक: 14.06.2023
स्थान: दिल्ली

(इस रिपोर्ट को अनुबंध–क के रूप में अनुबंधित हमारे समसंख्यक पत्र के साथ पढ़ा जाए और यह इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है)।

कंचन साह एंड एसोसिएट्स |कंपनी सचिव|
आई-31, गली नंबर 3, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
संपर्क करें: +91 880 222 1762
ई-मेल : pcskanchan@gmail.com

अनुबंध–क

सेवामें,
सदस्य,
मैसर्स इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड,
प्लॉट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर,
साकेत, नई दिल्ली–110017

हमारी समतिथिक रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाए:

1. सचिवीय रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। मेरा उत्तरदायित्व हमारे निष्कर्षों/लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपना मत अभिव्यक्त करना है।
2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवीय रिकार्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। जांच आधार पर सत्यापन किया गया था ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि रिकार्डों में सही तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। मेरा मत है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई पद्धतियां और प्रक्रियाएं, मेरे मत के लिए युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं की है।

4. जहां कहीं अपेक्षित हुआ, हमने कानूनों, नियमों, विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. निगमित तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रकियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट ना तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के लिए आश्वासन है और ना ही कुशलता या प्रभावपूणता के लिए है जिसके द्वारा प्रबंधन कंपनी के कार्यों का संचालन करेगी।

कृते कंचन साह एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/–
कंचन साह
प्रोप्राइटर
सदस्यता सं. 40907
सीओपी सं. : 15309

यूडीआईएन : : A040907E000484977
दिनांक: 14.06.2023
स्थान: दिल्ली

फॉर्म सं. एओसी–2

अनुबंध–ड.

चौथे प्रावधान के अंतर्गत कतिपय आर्म–लैंथ संव्यवहारों सहित कंपनी अधिनियम, 2013, के अनुच्छेद 188 (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटन हेतु फॉर्म

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(3)(एच) के अनुसरण में)

1. संविदाओं या संव्यवहारों का ब्यौरा जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं हैं : शून्य
2. सामग्री संविदाओं या संव्यवहारों का ब्यौरा जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं हैं : निम्नानुसार

क्र. सं	संबंधित पक्षों के नाम और संबंध की प्रकृति	संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रकृति		संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रमुख विशेषताएं (अप्रैल से मार्च 2023 की अवधि के दौरान संव्यवहार)	बोर्ड की स्वीकृति की तिथि, यदि कोई हो	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
1	**इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (अधिकार वाली कंपनी)**	(क)	अल्जीरिया में इरकॉन की परियोजना के लिए जनशक्ति उपलब्ध कराना	**दिनांक:** अनुबंध दिनांक 26.03.2019 **अवधि:** एलओए की तारीख से 2 वर्ष अर्थात 01.10.2017. **नवीनीकरण:** समझौता समान दर और नियम व शर्तों पर 01.10.2021 से 12 महीने के लिए 13.09.2022 तक बढ़ा दिया गया।	अप्रैल से सितंबर 2022 की अवधि के दौरान जनशक्ति की आपूर्ति के लिए इरकॉनआईएसएल द्वारा प्रस्तुत की गई कुल बिलिंग 11.12 लाख रुपये (जीएसटी को छोड़कर) है।	लागू नहीं	शून्य
		(ख)	बांग्लादेश में इरकॉन की परियोजना के लिए जनशक्ति उपलब्ध कराना	**दिनांक:** दिनांक 22.05.2020 का समझौता **अवधि:** एलओए की तिथि से 1 वर्ष अर्थात 07.02.2020. **नवीनीकरण:** समान दर और नियम एवं शर्तों पर समझौते को 07.02.2022 से 31.01.2023 तक एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।	अप्रैल से मार्च 2023 की अवधि के दौरान जनशक्ति की आपूर्ति के लिए इरकॉनआईएसएल द्वारा प्रसतुत की गई कुल बिलिंग 44.03 लाख रुपये (जीएसटी को छोड़कर) है।	लागू नहीं	शून्य

		(ग)	म्यांमार में इरकॉन की परियोजना के लिए जनशक्ति उपलब्ध कराना	**दिनांक:** दिनांक 15.09.2022 का समझौता। **अवधि:** एलओए की तिथि से 1 वर्ष अर्थात 01.04.2022, दर और नियम एवं शर्तें।	अप्रैल से मार्च 2023 की अवधि के दौरान जनशक्ति की आपूर्ति के लिए इरकॉनआईएसएल द्वारा जुटाई गई कुल बिलिंग 80.98 लाख रुपये (जीएसटी को छोड़कर) है।	लागू नहीं	शून्य
		(घ)	इरकॉन डीएफसी सीटी-12 परियोजना को फ्लैश बट मशीन को पट्टे पर देना।	**दिनांक** : दिनांक 24.05.2022 का समझौता। **अवधि:** एलओए की तारीख से 1 वर्ष अर्थात 05.03.2022 तक	अप्रैल से मार्च 2023 की अवधि के दौरान मशीन को पट्टे पर देने के लिए इरकॉनआईएसएल द्वारा प्रस्तुत की गई कुल बिलिंग 337.01 लाख रुपये (जीएसटी को छोड़कर) है।	लागू नहीं	शून्य
		(ड.)	इरकॉन की श्रीलंका परियोजना को मशीन पट्टे पर देना	**दिनांक:** पट्टा समझौता दिनांक 27.03.2023 **अवधि:** एलओए की तिथि से 1 वर्ष	अप्रैल से मार्च 2023 की अवधि के दौरान मशीन को पट्टे पर देने के लिए इरकॉनआईएसएल द्वारा प्रस्तुत की गई कुल बिलिंग 117.97 लाख रुपये (जीएसटी को छोड़कर) है।	लागू नहीं	शून्य
		(च)	नोएडा भवन का किराया और कमरा नंबर 208, साकेत कार्यालय, इरकॉन, कॉर्पोरेट कार्यालय	**दिनांक:** पट्टा समझौता दिनांक 11.10.2021 (01.01.2021 से प्रभावी) 1 जनवरी 2021 से इरकॉनआईएसएल का कॉर्पोरेट कार्यालय इरकॉन नोएडा कार्यालय में स्थानांतरित हो गया है	अप्रैल से मार्च 2023 की अवधि के दौरान देय किराए के लिए इरकॉन कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई कुल बिलिंग 58.16 लाख रुपये (जीएसटी को छोड़कर) है।	लागू नहीं	शून्य
		(छ)	इरकॉन के उत्तरी क्षेत्र के लिए वास्तविक आधार पर नोएडा भवन की मरम्मत और रखरखाव शुल्क और बिजली शुल्क	**दिनांक:** दिनांक 11.10.2021 का पट्टा समझौता (01.01.2021 से प्रभावी) 1 जनवरी 2021 से इरकॉनआईएसएल का कॉर्पोरेट कार्यालय इरकॉन नोएडा कार्यालय में स्थानांतरित हो गया है	अप्रैल से मार्च 2023 की अवधि के दौरान देय मरम्मत और रखरखाव शुल्क के लिए इरकॉन के उत्तरी क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत की गई कुल बिलिंग 22.63 लाख रुपये (जीएसटी को छोड़कर) और बिजली शुल्क के लिए 14.12 लाख रुपये है।	लागू नहीं	शून्य

		(ज)	श्री एस मथाड, (एजीएम/सिविल) को आवंटित शशिधर बेंगलुरु में इरकॉन फ्लैट का किराया	**अनुमोदन पत्र संख्या:** दिनांक 15.07.2022 का पत्र सं. इरकॉन /सीओ/ईएमडी/प्रॉपर्टीज/एसआर/7/02	श्री शशिधर एस मथाड, (एजीएम/सिविल) को आवंटित इरकॉन फ्लैट के देय किराए के लिए इरकॉन दक्षिणी क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत की गई कुल बिलिंग अप्रैल से मार्च 2023 की अवधि के दौरान 4.93 लाख रुपये (जीएसटी को छोड़कर) है।	लागू नहीं	शून्य
		(झ)	इरकॉनआईएसएल मुंबई परियोजना को मुंबई में गेस्ट हाउस का किराया प्रदान किया गया	**दिनांक:** दिनांक 21.11.2022 का समझौता **अवधि:** 20.10.2022 से 3 वर्ष	इरकॉनआईएसएल मुंबई को प्रदान किए गए गेस्ट हाउस के लिए देय किराए हेतु इरकॉन मुंबई क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत कुल बिलिंग अप्रैल से मार्च 2023 की अवधि के दौरान 4.26 लाख रुपये (जीएसटी को छोड़कर) है।	लागू नहीं	शून्य
		(ट)	इरकॉन डीएफसी सीटी-12 परियोजना को एमपीटी मशीन पट्टे पर देना	**दिनांक:** दिनांक 07.03.2023 का समझौता **अवधि:** एलओए की तारीख से 1 वर्ष अर्थात 06.12.2022	अप्रैल से मार्च 2023 की अवधि के दौरान एमपीटी मशीन को पट्टे पर देने के लिए इरकॉनआईएसएल द्वारा प्रस्तुत कुल बिलिंग 93.70 लाख रुपये (जीएसटी को छोड़कर) है	लागू नहीं	शून्य

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/–
(पराग वर्मा)
(अध्यक्ष)
(डीआईएन 05272169)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.09.2023

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

के एम जी एस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

बेसमेंट, 18, नेशनल पार्क,
लाजपत नगर–4, नई दिल्ली–110024
दूरभाषः 011–41636286
ई–मेल : office@kmgsa.in

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट

सदस्य,
इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड,
नई दिल्ली।

इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षण रिपोर्ट

हमने **इरकॉन इंन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड** (''कंपनी) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र और इस वर्ष की समाप्ति के लिए लाभ और हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित), इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल हैं।
हमने इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (''कंपनी'') के इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2023 के तुलनत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य वृहत आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण, और वित्तीय विवरणों के नोट शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (जिसे यहां आगे ''इंड एएस वित्तीय विवरण'' कहा जाएगा) का सारांश शामिल है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति करते हैं जो 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार कम्पनी कार्यों के संदर्भ में भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों से संगत हैं तथा अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं तथा जिनसे इस तिथि को समाप्त वर्ष के अनुसार लाभ और हानि तथा कुल वृहत आय, इक्विटी परिवर्तन तथा नकदी प्रवाह की स्थिति प्रस्तुत होती हैं ।

मत का आधार

हमने अधिनियम के अनुच्छेद 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एएस) के आधार पर लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट में *''वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व ''* खंड में किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे लेखा परीक्षण से सम्बद्ध स्वतंत्र अपेक्षाओं के साथ हमारा लेखा परीक्षण स्वतंत्र अपेक्षाओं के अनुरूप है तथा हमारे द्वारा इन आचार अपेक्षाओं एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने उत्तरदायित्वों का पालन किया है। हम यह मानना है कि वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारा लेखापरीक्षा मत प्रस्तुत करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामलपे हैं, जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं।

हमने निर्धारित किया है कि हमारी रिपोर्ट में प्रस्तुत करने हेतु कोई प्रमुख लेखापरीक्षा मामला नहीं है।

अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल, अन्य सूचना को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल की गई सूचना है, किन्तु इसमें इंड एएस वित्तीय विवरणों और हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट इस लेखापीक्षा रिपोर्ट की तिथि के पश्चात हमें उपलब्ध होने की आशा है।

इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारे मत में, अन्य सूचना शामिल नहीं हैं और हम हम इसे शामिल करने के संबंध में किसी प्रकार का आश्वासन नहीं देते हैं।

इंड–एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व है कि ऊपर दी गई अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी इंड–एएस वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारे द्वारा प्राप्त जानकारी हमारी लेखापरीक्षा के दौरान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती हैं। जब हम कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण

गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक), यथा संशोधित के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद–133, के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के कार्यकलापों (वित्तीय स्थिति), लाभ हानि (अन्य वृहत आय सहित वित्तीय निष्पादन), रोकड़ प्रवाह तथा इक्विटी परिवर्तन के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अनुच्छेद 134(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डो की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रहने, गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों, जो लागू हों, के प्रकटन, कोईंग कंसर्न से संबंधित मामलों और लेखांकन पर गोइंग कसर्न के प्रयोग के संबंध में कंपनी की क्षमता का आंकलन करने के लिए उत्तरदायी है, बशर्ते प्रबंधन कंपनी को लिक्वीडेट करना चाहता है या प्रचालनों को बंद करना चाहता है, या उसके पास ऐसा करने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं हैं।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए उत्तरदायी है।

इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य वित्तीय विवरणों को तथ्यात्मक दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके अपने मत को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्च स्तर कहा जा सकता है परन्तु इसमें किए गए लेखा परीक्षण के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि लेखापरीक्षा मानक (एसए) प्रक्रिया

के अंतर्गत किए गए लेखा परीक्षण से तथ्यात्मक दुर्विवरण, यदि कोई है, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी। दुर्विववरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है तथा इसे तथ्यात्मक तभी माना जा सकता है जब इनसे अलग अलग अथवा समस्त रूप में इन इंड एएस वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

लेखांकन मानकों (एसए) के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक दृष्टिकोण को प्रयोग करते हैं और सर्म्पूण लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक परिदृश्य को बनाए रखते हैं। हम यह भी निर्धारित करते हैं कि:

- वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों,का संज्ञान तथा मूल्यांकन करना तथा ऐसे जोखिमों पर प्रभावीय लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का स्वरूप तैयार लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखा परीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हो। पता न लगाई जा सकी किसी जालसाजी से किए गए तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिम परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां साठ गांठ, धोखाधड़ी, किन्हीं उद्देश्यों से की गई चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।

- परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखा परीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(3)(i) के अंतर्गत हमारा दायित्व अपने इस मत की अभिव्यक्ति करना भी है कि क्या कम्पनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सिस्टम स्थापित किया गया है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों पर यह सिस्टम प्रभावी है अथवा नहीं है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता एवं सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखा परीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या स्थितियां अथवा परिस्थितियां है जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे गोइंग कंसर्न के लिए कम्पनी की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से इंड एएस वित्तीय विवरणों से सम्बद्ध लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संबद्ध प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने तथा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा है। हमारे द्वारा किया गया निश्चय हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान

प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कम्पनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।

- प्रकटीकरणों सहित इंड एएस वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या वित्तीय विवरणों में लेन देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं।

भौतिकता, इंड एएस वित्तीय विवरणों में दुर्विवरण की गंभीरता है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूपा से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों का यथोचित विवेकपूर्ण उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारी लेखापरीक्षा कार्य के कार्यक्षेत्र की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैंय और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी चिह्नित दुर्विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित कार्यक्षेत्र, समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों सहित आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण कमियों, जिन्हें हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान चिह्नित किया है, की सूचना शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को प्रदान करते हैं।

हमारे द्वारा शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को लेखापरीक्षा स्वतंत्रता से संबंद्ध आचार अपेक्षाओं के संबंध में हमारे द्वारा समेकित विवरण भी प्रस्तुत किए गए हैं तथा हमारी लेखा परीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हो, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबंधता एवं अन्य मामलों का सम्प्रेषण भी उन्हें किया गया है।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को सम्प्रेषित मामलों में से हमने उन मामलों का निर्धारण किया है चालू अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के अत्यधिक महत्वपूर्ण थे तथा तदनुसार जो प्रमुख लेखापरीक्षा मामले थे। अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में हमने उन मामलों का वर्णन किया है जो विधि अथवा विनियमों के अंतर्गत ऐसे मामलों के सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं अथवा जहां, अत्यधिक विरल परिस्थितियों में, हमारे द्वारा किन्हीं परिणामों की संभावना के कारण किसी मामले की अभिव्यक्ति न करने का निर्धारण किया गया है क्योंकि ऐसी अभिव्यक्ति किए जाने से सार्वजनिक हितों पर औचित्यपरक रूप में काफी प्रभाव हो सकता है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. इस अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) यथापेक्षित हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं

(ख) हमारे मतानुसार, विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी द्वारा लेखों की उचित बहियों का अनुरक्षण किया गया है जैसा कि अभी तक इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत हुआ है।

(ग) तुलन पत्र, अन्य वृहत आय सहित लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए नकदी प्रवाह का विवरण संबंधित लेखा बहियों के अनुरूप है।

(घ) हमारे मतानुसार, उपयुक्त स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम–7 के साथ पठनीय अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) से संगत हैं।

(ड.) सरकारी कंपनी होने के कारण, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(च) कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक कुशलता के संबंध में, ''अनुबंध–क'' में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और प्रचालनिक कुषलता पर गैर परिशोधित मत प्रस्तुत करती है।

(छ) सरकारी कंपनी होने के कारण, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 05 जून 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा–197 के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(ज) हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम–11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में:

i. कंपनी ने अपने इंड–एएस वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है।

ii. कंपनी ने व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घावधि के अनुबंधों पर, लागू कानून या लेखा मानकों के तहत, महत्वपूर्ण भावी हानियों, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया है।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित करने के लिए आवश्यक राशियों को स्थानांतरित करने में कोई देरी नहीं की गई है।

iv. (क) प्रबंधन द्वारा उल्लेख किया गया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई धन उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार से कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या इकाई में, विदेशी संस्था (''मध्यस्थों'') सहित, इस तथ्य के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार देगा या निवेश करेगा या कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से (''अंतिम लाभार्थी'') की पहचान की गई संस्थाएं या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान नहीं करती हैं।

(ख) प्रबंधन द्वारा उल्लेख किया गया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या इकाई से विदेशी संस्था (फंडिंग पार्टियां) सहित कोई धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण हो) प्राप्त नहीं हुई है। इस तथ्य के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी (अंतिम लाभाथी) या वित्तपोषण पक्ष की ओर से या प्रदान करेगी, अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी नहीं दी है।

(ग) निष्पादित की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें उक्त परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ड.) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुतीकरण, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण दुर्विवरण नहीं है।

v. कंपनी ने इस वर्ष के दौरान किसी लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया है।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) के आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा अपेक्षित है, हम आदेश के पैरा 3 और 4, जहां तक लागू हो, में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण ''अनुलग्नक ख'' के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर हमारी अलग रिपोर्ट ''अनुबंध ग'' के रूप में संलग्न है।

कृते के एम जी एस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या : 004730एन)

ह/–
सीए संदीप जिंदल
साझेदार
(सदस्यता संख्या : 095051)
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 मई 2023

यूडीआईएन :23095051BGPQST7919

के एम जी एस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

बेसमेंट, 18, नेशनल पार्क,
लाजपत नगर–4, नई दिल्ली–110024
दूरभाषः 011–41636286
ई–मेल : office@kmgsa.in

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड की इंड एएस वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तिथि की स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का ''अनुबंध–क''

कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') के खंड 143 के उप–खंड 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में दिनांक 31 मार्च 2023 को **इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड** (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, इस अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और खामियों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रूप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधर पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट (''दिशानिर्देश नोट'')के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143(10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। उन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं – वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मौजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहै जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित प्रकिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्यौरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रूप से प्रदर्शित करते हैं, (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रूप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं, और (3) कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, त्रुटि और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सभी सामग्रीगत पहलुओं में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को अनुरक्षित किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2023 से कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारे मतानुसार, कंपनी के पास, सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, दिनांक 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। कंपनी द्वारा आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लपेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया है।

कृते के एम जी एस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या : 004730एन)

ह/–
सीए संदीप जिंदल
साझेदार
(सदस्यता संख्या : 095051)

हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 मई 2023
यूडीआईएन :23095051BGPQST7919

के एम जी एस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

बेसमेंट, 18, नेशनल पार्क,
लाजपत नगर–4, नई दिल्ली–110024
दूरभाषः 011–41636286
ई–मेल : office@kmgsa.in

मसौदा स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध "ख"

(दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड के सदस्यों की समसंख्यक लेखापीक्षक रिपोर्ट के अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट के पैरा–1 के संदर्भ में)

(i) (क) क. कम्पनी ने उचित अभिलेखों का रखरखाव किया है जिनसे परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का मात्रात्मक विवरणों और उसकी स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाया गया है।

ख. कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों के पूर्ण विवरण को दर्शाने वाले उचित रिकार्डों का अनुरक्षण किया है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सत्यापन के कार्यक्रम के अनुसार प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया गया था, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित है। हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, वर्ष के दौरान किए गए सत्यापन में बही रिकॉर्ड की तुलना में कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गईं हैं।

(ग) कंपनी के तुलन पत्र की तिथि को कोई अचल परिसंपत्ति नहीं है और इसलिए, यह खंड लागू नहीं है।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी पसिंपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्ति परिसंपत्तियों को कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ड.) कंपनी के पास कोई बेनामी परिसंपत्ति नहीं है। वर्ष के दौरान बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 (वर्ष 2016 को यथा संशोधित) तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमों के

तहत, कंपनी के पास दिनांक 31 मार्च 2023 को बेनामी परिसंपत्ति रखने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई आरंभ नहीं की गई हे या कंपनी के विरूद्ध कोई मामला लंबित नहीं है।

(ii) (क) प्रबंधन ने वर्ष के दौरान युक्तिसंगत अंतरालों पर इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन किया है। वर्ष के अंत में किए गए भौतिक सत्यापन में कोई प्रमुख विसंगति नहीं पाई गइ है।

(ख) वर्ष के दौरान किसी भी समय बिंदु पर, कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर किसी बैंक या वित्तीय संसीानों से समग्र रूप में 5 करोड रूपए से अधिक की सीमा की कोई कार्यशील पूंजी अनुमोदित नहीं की है, इसलिए खंड 3(ii)(ख) के तहत रिपोर्टिं लागू नहीं है।

(iii) जैसा कि सूचित किया गया है, कम्पनी ने कोई निवेश नहीं किए है, कोई गारंटी प्रतिभूति या किसी ऋण की गारंटी नहीं दी है, किसी कम्पनी, फर्म, लिमिटेड देयता साझेदारियों या अन्य पक्षों को किसी प्रकार का रक्षित या अरक्षित ऋण प्रदान नहीं किया गया है। इसलिए, इस खंड के अंतर्गत सभी उपखंड लागू नहीं होते हैं।

(iv) कंपनी ने कोई ऋण प्रदान नहीं किया है, कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटियों और प्रतिभूतियों नहीं दी हैं। इसलिए इस आदेश का पैरा 3(iv) कंपनी पर लागू नहीं है।

(v) कंपनी ने जनसाधारण से कोई जमाराशि या जमाराशि माने जाने वाली कोई राशि स्वीकार नहीं की है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2020 के खंड 3(v) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(vi) हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और जैसा कि स्पष्ट किया गया है, केन्द्रीय सरकार ने कंपनी के उत्पादों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद–148 के उपखंड (1) के खंड–घ के अंतर्गत लागत रिकार्ड का अनुरक्षण निर्धारित नहीं किया गया है।

(vii) क) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार वस्तु एवं मालकर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवाकर, सीमाशुल्क, मूल्य संवर्धन कर, वस्तु एवं सेवाकर तथा अन्य सामग्रीगत सांविधिक देय सहित अविवादित सांविधिक देय राशियों के संबंध में अविवादित सांविधिक राशियों को सामान्य रूप से नियमित आधार पर कंपनी द्वारा सांविधिक प्राधिकरणों को जमा कराया गया है और छह माह से अधिक की अवधि के लिए कोई भी बकाया राशि दिनांक 31 मार्च 2023 को अविवादित देयों के रूप में शेष नहीं है।

ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार भविष्य निधि, आयकर बिक्रीकर, सम्पदाकर, सेवाकर, सीमाशुल्क, मूल्य संवर्धन कर, वस्तु एवं सेवाकर, उपकर तथा अन्य सामग्रीगत सांविधिक देय के संबंध में कोई अविवादित देय नहीं है, केवल निम्नलिखित को छोड़कर :

संविधि की प्रकृति	देय राशियों की प्रकृति	फोरम जहां विवाद लंबित है	अवधि जिससे वह राशि संबंधित है	राशि (रूपए करोड़ में)
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	आयकर आयुक्त–1 (अपील), नई दिल्ली	वित्तीय वर्ष 2018–2019	3.45

(viii) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने लेखा बहियों में ऐसा कोई संव्यवहार रिकार्ड नहीं किया है, जिसे आय कर अधिरियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत आयकर आकलनों में वर्ष के दौरान आयकर के रूप में सरेंडर या प्रकट किया गया हो।

(ix) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधारों की अदायगी या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

(ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा स्वैच्छिक चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी ने कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और इसलिए, यह खंड लागू नहीं है।

(घ) कंपनी ने अल्पकालिक आधार पर कोई धन नहीं जुटाया है और इसलिए यह खंड लागू नहीं है।

(ड.) कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है और इसलिए यह खंड लागू नहीं है।

(च) कंपनी ने अपनी अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है।

(x) (क) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई पैसा नहीं उठाया है।

(ख) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

(xi) (क) वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण की रिपोर्ट करने के उद्देश्य से की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या किसी भी धोखाधड़ी पर कंपनी को हमारी लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया है या रिपोर्ट किया गया है। इसलिए, इस खंड के उप–खंड (ख) और (ग) लागू नहीं होते हैं।

(xii) हमारे मतानुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2020 के खंड 3(xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(xiii) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी संव्यवहार कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 177 तथा 188 के अनुपालन में है, जहां लागू हो और उसका ब्यौरा लागू लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित अनुसार, अपेक्षित ब्यौरों को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

(xiv) (क) हमारे मतानुसार, कंपनी के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान है।

(ख) हमने, हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और स्तर का निर्धारण करने के लिए वर्श के दौरान और आज की तिथि तक कंपनी द्वारा जारी लेखापरीक्षा के अंतर्गत वर्श के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा पर विचार किया है।

(xv) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 192 के अंतर्गत शामिल निदेशकों या व्यक्तियों के साथ किसी

प्रकार के गैर–रोकड संव्यवहारों में प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2020 के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(xvi) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के खंड 45–1क के अंतर्गत पंजीकरण की अपेक्षा नहीं है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2016 के खंड 3(xvi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) के बिना कोई गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन नहीं किया है।

(ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी प्रमुख निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है।

(घ) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी उस समूह का हिस्सा नहीं है जिसमें समूह के हिस्से के रूप में एक से अधिक सीआईसी हैं।

(xvii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष में और तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष में कोई नकद नुकसान नहीं हुआ है।

(xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं दिया गया है।

(xix) वित्तीय परिसंपत्तियों के वित्तीय अनुपात, उनकी आयु, उनकी वसूली की संभावित तिथि तथा वित्तीय देयताओं के भुगतान, अन्य संलग्न वित्तीय विवरणों और निदेषक मंडल और प्रबंधन की योजना के संबंध में हमारे ज्ञान के आधार पर और अनुमानों के पक्ष में साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिसके कारण हमें विश्वास करना पड़े कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख को अपनी मौजूदा देयताओं को तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा करने में सक्षम नहीं है, को दर्शाते हुए लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान नहीं है। हालांकि, हम उल्लेख करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे उल्लेख करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा निष्पादित कर दिया है।

(xx) (क) इस अधिनियम की धारा 135 की उप–धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में अधिनियम की अनुसूची–VII में विनिर्दिष्ट निधि में स्थानांतरण की आवश्यकता वाली किसी भी परियोजना पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (''सीएसआर'') के लिए कोई अव्ययित राशि नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(क) के तहत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है।

(ख) इस अधिनियम की धारा 135 की उप–धारा (6) के तहत, चालू परियोजनाओं के तहत कोई राशि अव्ययित नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(क) के तहत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है।

(xx) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी पर लागू अन्य संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के समेकन की कोई आवश्यकता नहीं है और इसलिए, यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होता है।

कृते के एम जी एस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या : 004730एन)

ह/–
सीए संदीप जिंदल
साझेदार
(सदस्यता संख्या : 095051)

हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 मई 2023

यूडीआईएन :23095051BGPQST7919

के एम जी एस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

बेसमेंट, 18, नेशनल पार्क,
लाजपत नगर–4, नई दिल्ली–110024
दूरभाषः 011–41636286
फेक्स सं. 011–41636825
ई–मेल : office@kmgsa.in

अनुबंध–ग

अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार यथपेक्षित हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं किः

क्र. सं	विवरण	लेखापरीक्षा के उत्तर
	क्या समूह में सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने व्यवस्था स्थापित की गई है? यदि हां, तो लेखांकन संव्यवहारों को बाह्य सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से की जाने वाली प्रक्रिया से लेखों के समेकन में होने वाली कठिनाईयों तथा वित्तीय कठिनाईयों, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें।	कंपनी सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सेप एस/4 हाना प्रणाली का उपयोग कर रही है और इसका उपयोग वित्तीय खातों की तैयारी के लिए किया जाता है। हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार आय की बिलिंग को छोड़कर आईटी प्रणाली के बाहर कोई भी लेखांकन लेनदेन संसाधित नहीं किया गया है, जिसके लिए कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं देखा गया।

	क्या किसी विद्यमान ऋण अथवा किसी ऋणदाता द्वारा समूह को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में समूह द्वारा ऋण अदायगी न किए जाने के कारण ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना अथवा छूट/बट्टा किए जाने की प्रक्रिया की गई है? यदि हां, तो इससे संबंधित किसी प्रकार की वित्तीय बाध्यताएं हों तो उसका विवरण प्रस्तुत करें। (यदि, ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निदेश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक पर भी लागू होगा)।	वर्ष के दौरान, ऋण के पुनर्भुगतान की कंपनी की अक्षमता के कारण क्षेत्र में देनदारों द्वारा कर्ज/ऋणों/ब्याज आदि में छूट प्रदान करने/बट्टे खाता डालने या पुनर्निधारण का कोई मामलन विद्यमान नहीं है।
	क्या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र / राज्य एजेंसियों से प्राप्त / प्राप्य से प्राप्य निधियों का उचित लेखा रखा गया है/ नियमों एवं शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया है? व्यतिक्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान किसी विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत किसी केन्द्रीय या राज्य एजेंसी से कोई निधि प्राप्त नहीं की गई है/प्राप्य नहीं है।

कृते के एम जी एस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या : 004730एन)

ह/–
सीए संदीप जिंदल
साझेदार
(सदस्यता संख्या : 095051)

हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 मई 2023
यूडीआईएन : 23095051BGPQST7919

वित्तीय विवरण

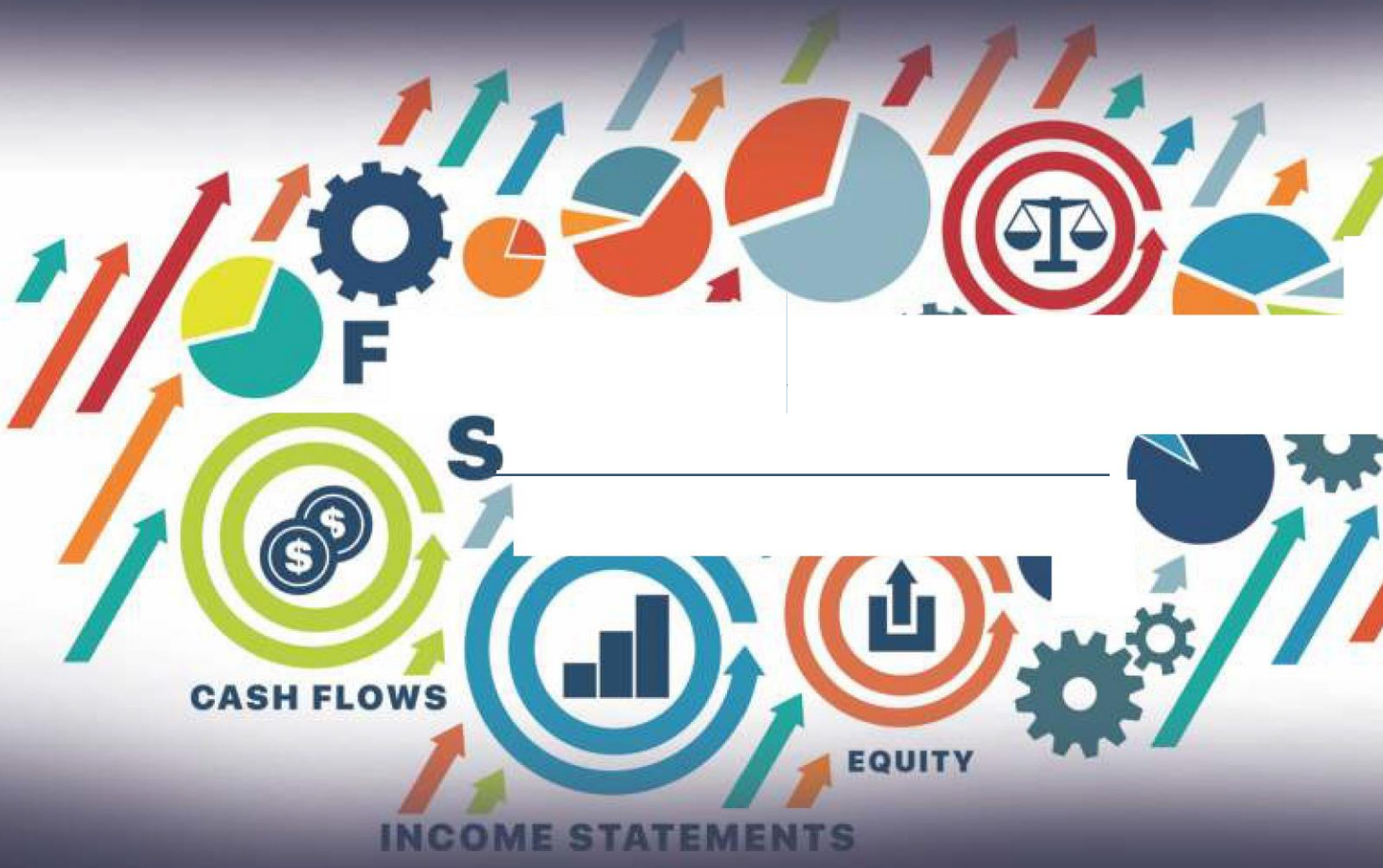

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (CIN -U45400DL2009G01194792)
"पंजीकृत कार्यालय: सी-4, जिला केंद्र साकेत, नई दिल्ली-110017; फ़ोन: +91-11-29565666
कॉर्पोरेट कार्यालय: बी-40ए, सेक्टर 1 नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301; फ़ोन: +91-120-2970406"
तुलन पत्र
31 मार्च 2023 तक

(रूपए करोड में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
I.	**परिसंपत्तियां**					
1	**गैर चालू परिसंपत्तियां**					
	(क) परिसम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	3	21.83		16.05	
	(ख) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	4	-		-	
	(ग) अमूर्त संपत्ति	5	78.67		80.82	
	(घ) वित्तीय पूंजी	6				
	(i) ऋण	6.1	0.01		0.03	
	(ii) अन्य	6.2	3.29		2.93	
	(ड.) आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	7	2.18		-	
				105.98		99.83
2	**चालू परिसंपत्तियां**					
	(क) दरसूची	8	5.40		4.32	
	(ख) वित्तीय पूंजी	9				
	(i) व्यापार प्राप्य	9.1	78.60		90.68	
	(ii) नकद और नकद समकक्ष	9.2	31.10		39.34	
	(iii) उपरोक्त (ii) के अलावा अन्य बैंक शेष	9.3	105.30		95.21	
	(iv) ऋण	9.4	0.02		0.02	
	(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9.5	28.97		6.06	
	(ग) चालू कर संपत्ति (शुद्ध)	10	-		0.97	
	(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	11	20.39		23.98	
	बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति	12	0.70		1.12	
	कुल चालू परिसंपत्तियां			270.48		261.70
	कुल परिसंपत्तियां		**376.47**		**361.53**	
II.	**इक्विटी और देयता**					
1	**इक्विटी**					
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	13	65.00		65.00	
	(ख) अन्य इक्विटी	14	105.26	170.26	99.94	164.94
2	**देयताएं**					
(i)	**गैर चालू देयताएं**					
	(a) वित्तीय देयताएं	15				
	(i) पट्टा देयताएं		-		-	
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	15.1	27.92		16.62	
	(b) प्रावधानों	16	0.23		0.16	
	(c) आस्थगित कर देनदारियाँ (निवल)	7	-		4.33	
	(d) अन्य गैर-चालू देयताएं	17	17.71	45.86	31.17	52.28
4	**चालू देयताएं**					
	(क) वित्तीय देनदारियाँ	18				
	(i) पट्टा देयताएं					
	(ii) व्यापार देय					
	- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का बकाया	18.1	2.86		1.89	
	- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर अन्य लेनदारों का कुल बकाया		16.10		13.64	
	(ii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	18.2	44.03		17.21	
	(ख) अन्य चालू देयताएं	19	90.19		107.04	
	(ग) प्रावधानों	20	0.15		0.06	
	(घ) वर्तमान कर देयता (निवल)	21	7.02	160.35	4.47	144.31
	कुल इक्विटी और देयताएं		**376.47**		**361.53**	
III.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश	1-2				
IV.	वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट	3-46				

हमारी संलग्न समसंख्यक रिपोर्ट के अनुसार

कृते के.एम.जी.एस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन–004730एन

सीए संदीप जिंदल
(साझेदार)
स.सं.095051

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 मई 2023

निदेशक मंडल के कृते और की ओर से

प्रीति शुक्ला
सी.एफ.ओ

अजय पाल सिंह
सी.ई.आ

मनीषा गुप्ता
कंपनी सचिव

अभिजीत कुमार सिन्हा
निदेशक
(डिन:09213782)

पराग वर्मा
अध्यक्ष
(डिन: 05272169)

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (CIN -U45400DL2009G0I194792)

"पंजीकृत कार्यालय: सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017; फ़ोन: +91-11-29565666
कॉर्पोरेट कार्यालय: बी-40ए, सेक्टर 1 नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301; फ़ोन: +91-120-2970406"

लाभ और हानि विवरण
31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए

(रूपए करोड में)

	विवरण	नोट	31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु
	आय :			
I	प्रचालन से राजस्व	22	218.91	170.84
II	अन्य आय	23	3.94	7.05
III	**कुल आय (I + II)**		222.85	177.89
IV	**व्यय :**			
	उपभोग की गई सामग्री एवं भंडार	24	0.20	0.04
	परिचालन खर्च	25	194.76	146.32
	कर्मचारी लाभ व्यय	26	11.84	11.35
	वित्त लागत	27	-	-
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय और हानि	28	4.54	3.49
	अन्य खर्चों	29	4.38	3.34
	कुल व्यय (IV)		215.72	164.54
V	**असाधारण वस्तुओं और कर पूर्व लाभ/हानि (III - IV)**		7.13	13.35
VI	असाधारण वस्तुएं			
VII	कर पूर्व लाभ/(हानि) (V - VI)		7.13	13.35
VIII	कर व्यय:	7		
	(1) चालू कर			
	- वर्ष के लिए		8.41	3.62
	- पहले के वर्षों के लिए (शुद्ध)		(0.11)	4.78
	(2) आस्थगित कर (शुद्ध)		(6.50)	(0.35)
	कुल कर व्यय (VIII)		1.80	8.05
IX	**प्रचालन जारी रखने की अवधि के लिए लाभ/(हानि) (VII - VIII)**		5.33	5.30
X	बंद किए गए परिचालन से लाभ/(हानि)।			
XI	बंद किए गए परिचालन का कर व्यय			
XII	बंद परिचालन से लाभ/(हानि) (कर के बाद) (X-XI)			
XIII	**अवधि (IX+XII) के लिए लाभ/(हानि)**		**5.33**	**5.30**
XIV	**अन्य व्यापक आय**	30		
	क. (i) वे मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(0.02)	-
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ और हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		0.01	-
	ख. (i) वे मदें जिन्हें लाभ और हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया जाएगा			
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ और हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया जाएगा			
			(0.01)	-
XV	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (IX +X) (इसमें लाभ/(हानि) और वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, कर का शुद्ध)**		**5.32**	**5.30**
XVI	प्रति इक्विटी शेयर आय:			
	(सतत प्रचालन के लिए)			
	(1) मूल	31	0.82	0.82
	(2) विलयित		0.82	0.82
	प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य		10.00	10.00
XVII.	**महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश**	1-2		
XVIII	**वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट**	3-46		

हमारी संलग्न समसंख्यक रिपोर्ट के अनुसार
कृते के.एम.जी.एस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन–004730एन

सीए संदीप जिंदल
(साझेदार)
स.सं.095051

निदेशक मंडल के कृते और की ओर से

प्रीति शुक्ला	अजय पाल सिंह	मनीषा गुप्ता
सी.एफ.ओ	सी.ई.आ	कंपनी सचिव

अभिजीत कुमार सिन्हा	पराग वर्मा
निदेशक	अध्यक्ष
(डिन:09213782)	(डिन: 05272169)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 मई 2023

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (CIN - U45400DL2009G0I194792)

"पंजीकृत कार्यालय: सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017; फ़ोन: +91-11-29565666

कॉर्पोरेट कार्यालय: बी-40ए, सेक्टर 1 नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301; फ़ोन: +91-120-2970406"

रोकड़ प्रवाह विवरण

31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु

(रूपए करोड में)

विवरण		31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु		31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु	
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह					
कराधान से पहले शुद्ध लाभ		7.13		13.35	
निम्न हेतु समायोजन:		-		-	
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि		4.54		3.49	
परिसंपत्तियों के निपटान पर हानि/(लाभ)(शुद्ध)1		-		-	
वित्तीय लागत		-		-	
ब्याज आय		(2.55)		(2.52)	
विदेशी मुद्रा नकद और नकद समकक्षों के अंतरण पर विनिमय अंतर का प्रभाव		(0.02)		(0.20)	
संदिग्ध ऋणों पर प्रावधान		28.10		-	
चालू /गैर-चालू परिसंपत्तियों और देनदारियों से पहले परिचालन लाभ	**(1)**	**37.20**		**14.12**	
इसके लिए समायोजन:					
इन्वेंटरी में कमी / (वृद्धि)		(1.08)		(1.28)	
व्यापार प्राप्य में कमी/(वृद्धि)		(16.03)		(8.41)	
ऋण में कमी/(वृद्धि)		-		0.01	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		-21.97		-0.03	
अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)		3.59		(2.89)	
गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		0.02		0.02	
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		(0.36)		(2.89)	
अन्य गैर-चालू देयता में वृद्धि		(13.46)		(0.30)	
प्रावधानों में (कमी)/ वृद्धि		0.07		(0.07)	
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों में (कमी)/वृद्धि		-		-	
व्यापार देय में (कमी)/वृद्धि		3.43		(5.73)	
अन्य वित्तीय दायित्व में (कमी)/वृद्धि		38.12		5.41	
अन्य चालू दायित्व में (कमी)/वृद्धि		-16.85		18.11	
प्रावधानों में (कमी)/वृद्धि		0.07		(0.06)	
		-		-	
	(2)	**(24.45)**		**1.89**	
प्रचालन से उत्पन्न नकदी	**(1+2)**	**12.75**		**16.01**	
भुगतान किया गया आयकर (रिफंड का शुद्ध)		(4.78)		(10.12)	
प्रचालनिक गतिविधियों से शुद्ध नकदी	**(क)**		**7.97**		**5.89**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह					
पीपीई, अमूर्त संपत्तियों और विकास के तहत अमूर्त पर पूंजीगत व्यय		(7.78)		(11.08)	
अचल संपत्ति की बिक्री1		0.03		-	
वर्ष के दौरान पूंजीगत अग्रिम दिया गया		-		-	
प्राप्त ब्याज		1.61		3.57	
सीसीई में लिए गए बैंक शेष के अलावा बैंक शेष में कमी/(वृद्धि)		(10.09)		(17.62)	
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी	**(ख)**		**(16.23)**		**(25.13**

वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		-		-	
शेयर पूंजी जारी		-		-	
ऋण से आय		-		-	
वित्तीय लागत		-		-	
लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित) का भुगतान किया गया		-		-	
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी	**(ग)**				
विदेशी मुद्रा नकद और नकद समकक्षों के अंतरण पर विनिमय अंतर का प्रभाव	**(घ)**		**0.02**		**0.20**
नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	**(क+ख+ग+घ)**		**(8.24)**		**(19.04)**
नकद और नकद समकक्षों के घटक					
नकद और नकद समतुल्य (सकल)	**(ड.)**		**39.34**		**58.38**
नकद शेष			0.04		0.03
बैंकों में शेष			-		-
चालू खाते			2.50		0.35
-फ्लैक्सी खाता			36.80		57.99
लघु अवधि के निवेश			-		-
नकद और नकद समतुल्य (समापन)	**(च)**		**31.10**		**39.34**
नकद शेष			-		0.04
पारगमन में निधि			-		-
बैंकों में शेष			-		-
चालू खाते			0.90		2.50
-फ्लैक्सी खाता			30.20		36.80
एफडीआर 3 महीने से कम समय में परिपक्व हो रही है			-		-
नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	**(ड. - च)**		**(8.24)**		**(19.04)**

1चालू वर्ष के लिए अचल संपत्ति की बिक्री पर हानि 0.004 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 0.004 करोड़ रूपए)

नोट: 1. नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है, जिससे कर पूर्व लाभ/(हानि) को गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभाव और अतीत या भविष्य की नकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी स्थगन या संचय के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के संचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह को उपलब्ध जानकारी के आधार पर अलग किया जाता है

2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े नकदी के बहिर्प्रवाह को दर्शाते हैं।

3. जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

हमारी संलग्न समसंख्यक रिपोर्ट के अनुसार
कृते के.एम.जी.एस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन–004730एन
सीए संदीप जिंदल
(साझेदार)
स.सं .095051

निदेशक मंडल के कृते और की ओर से

प्रीति शुक्ला
सी.एफ.ओ

अजय पाल सिंह
सी.ई.आ

मनीषा गुप्ता
कंपनी सचिव

अभिजीत कुमार सिन्हा
निदेशक
(डिन:09213782)

पराग वर्मा
अध्यक्ष
(डिनः 05272169)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 मई 2023

(सीआईएन - U45400DL2009G0I194792)
इक्विटी के परिवर्तनों का कथन
31-मार्च-2023 को समाप्त अवधि के लिए

क. इक्विटी शेयर पूंजी [1]

(रूपए करोड में)

1 अप्रैल, 2022 को शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि बहाल की गई	वर्ष के दौरान संचलन	मार्च 2023 को शेष
65.00	-	65.00	-	65.00

[1] संदर्भ नोट 13

ख. अन्य3 इकिवटी[2]

(रूपए करोड़ में)

विवरण	आरक्षित निधि और अतिरेक				
	लंबित शेयर आवेदन राशि आवंटन	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय की वस्तुएं (बीमांकिक लाभ/(हानि))	कुल
1 अप्रैल, 2022 तक शेष राशि	-	88.89	11.05	-	99.94
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः निर्धारित शेष राशि	-	88.89	11.05	-	99.94
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	-	-	5.33	-	5.33
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, आयकर को छोड़कर	-	-	-0.01	-	-0.01
परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्मापन लाभ/(हानि)	-	-	-	-	
कुल व्यापक आय	-	-	5.32	-	5.32
सामान्या आरक्षित निधि में अंतरण	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अतिरेक	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वापस किया गया/जारी किया गया	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	-	88.89	16.37	-	105.26

[2] संदर्भ नोट 14

हमारी संलग्न समसंख्यक रिपोर्ट के अनुसार
कृते के.एम.जी.एस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन–004730एन
सीए संदीप जिंदल
(साझेदार)
स.सं. 095051

निदेशक मंडल के कृते और की ओर से

प्रीति शुक्ला
सी.एफ.ओ

अजय पाल सिंह
सी.ई.आ

मनीषा गुप्ता
कंपनी सचिव

अभिजीत कुमार सिन्हा
निदेशक
(डिन:09213782)

पराग वर्मा
अध्यक्ष
(डिनः 05272169)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 मई 2023

(सीआईएन - U45400DL2009G0I194792)

इक्विटी के परिवर्तनों का विवरण

31-मार्च-2022 को समाप्त अवधि के लिए

क. इक्विटी शेयर पूंजी[1] (रूपए करोड में)

1 अप्रैल, 2021 को शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि बहाल की गई	वर्ष के दौरान संचलन	मार्च 2022 क शेष
65.00	-	65.00	-	65.00

[1] संदर्भ नोट 13

ख. अन्य इक्विटी[2] (रूपए करोड में)

विवरण	आरक्षित निधि और अतिरेक				
	लंबित शेयर आवेदन राशि आवंटन	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय की वस्तुएं (बीमांकिक लाभ/(हानि))	कुल
1 अप्रैल, 2021 तक शेष राशि	-	88.89	5.75	-	94.64
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः निर्धारित शेष राशि	-	88.89	5.75	-	94.64
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	-	-	5.30	-	5.30
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, आयकर को छोड़कर	-	-	-	-	-
परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्मापन लाभ/(हानि)	-	-	-	-	
कुल व्यापक आय	-	-	5.30	-	5.30
सामान्या आरक्षित निधि में अंतरण	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अतिरेक	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वापस किया गया/जारी किया गया	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	-	88.89	11.05	-	99.94

[2] संदर्भ नोट 14

हमारी संलग्न समसंख्यक रिपोर्ट के अनुसार
कृते के.एम.जी.एस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन–004730एन
सीए संदीप जिंदल
(साझेदार)
स.सं. 095051

निदेशक मंडल के कृते और की ओर से

प्रीति शुक्ला
सी.एफ.ओ

अजय पाल सिंह
सी.ई.आ

मनीषा गुप्ता
कंपनी सचिव

अभिजीत कुमार सिन्हा
निदेशक
(डिन:09213782)

पराग वर्मा
अध्यक्ष
(डिनः 05272169)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 मई 2023

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए लेखों के भाग के रूप में लेखांकन नीतियां

नोट 1 : निगमित सूचना

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह कंपनी भारत में आधारित है और इसे भारत में लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित किया गया है। आरंभ में कंपनी का निगमन रेलवे प्रयोक्ताओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चिह्नित रेलवे स्टेशनों पर बहुउद्देशीय परिसरों के के निर्माण और विकास के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने धीरे–धीरे धारित कंपनी सहित विभिन्न ग्राहकों के लिए अवसंरचना परामर्श परियोजनाओं, डीपीआर एवं एफएस तैयार करना, परियोजना प्रबंधन परामर्श परियोजनाओं, श्रमशक्ति आपूर्ति, संयंत्र एवं मशीनरी का पट्टाकरण, बहुउद्देशीय परिसरों को उप पट्टे पर देने तथा सीएसआर परियोजनाओं का कार्य भी आरंभ किया है। कंपनी घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार के बाजारों में कार्य कर रही है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017 में स्थित है।

कंपनी की प्रस्तुति और कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपये (रूपए) है। वित्तीय विवरणों में आंकड़े प्रति शेयर डेटा को छोड़कर और जैसा कि अन्यथा कहा गया है, दो दशमलव तक पूर्णांक बनाकर करोड़ में प्रस्तुत किए जाते हैं।

कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 18.05.2023 को आयोजित अपनी बैठक में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

नोट 2: इंड एस (स्टेंडएलोन) के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीति

2.1 तैयार करने का आधार

कम्पनी के वित्तीय विवरणों का निर्माण कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (समय समय पर यथासंशोधित) के नियम 3 के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा–133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 (इंड एएस

अनुपालन अनुसूची 3) की अनुसूची–3 के भाग–2, वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू, सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण करके किया गया है।

वित्तीय विवरणों का निर्माण गोइंग कंसर्न आधार पर प्रोद्भवन लेखांकन प्रणाली का अनुसरण करके किया गया है। कम्पनी ने परिसम्पतियों एवं देयताओं के लागत आधार के लिए ऐतिहासिक लागत को स्वीकार किया है जो उचित मूल्य पर मापन की गई निम्नलिखित परिसम्पतियों एवं देयताओं के अलावा है :–

- प्रावधान, जहां धन का समय मूल्य सामग्रीगत है वहां मापन वर्तमान मूल्य पर किया गया है।
- कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन उचित मूल्य पर किया गया है।
- परिभाषित लाभ योजना तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ।

2..2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण वित्तीय लेखांकन नीतियों का सार नीचे प्रस्तुत है। इन महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को इस वित्तीय विवरण में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए निरंतर रूप से लागू किया गया है।

2.2.1 चालू बनाम गैर–चालू वर्गीकरण

कम्पनी द्वारा तुलन पत्र में परिसम्पतियों एवं देयताओं की प्रस्तुति चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर गई है।

किसी परिसम्पति को चालू तब माना जाता है जब :

- सामान्य परिचालन क्रम में बेची जानी हो अथवा बेचने के लिए आशित हो अथवा उपयोग किया जाना हो
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है।
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर बेची जानी संभावित हो
- रोकड़ यां रोकड़ समतुल्य, बशर्ते, विनिमय अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह में किसी देयता के निपटान के लिए उपयोग के लिए नहीं है।

कम्पनी ने अन्य सभी परिसम्पतियों का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति के रूप में किया है।

कोई देयता चालू तब होती है जब :

- उसका समाधान सामान्य प्रचालन क्रम में किया जाना हो
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है।
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर समाधान की जानी संभावित हो
- जिसके प्रति रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के पश्चात कम से कम बारह माह के लिए किसी देयता के समाधान को आस्थगित करने का अप्रतिबंधित अधिकार प्राप्त न हो।

कम्पनी ने अन्य सभी देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू देयता के रूप में किया है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति एवं देयताओं के रूप में किया गया है।

परिचालन क्रम प्रस्संकरण के लिए अधिगृहित गई परिसम्पतियों एवं रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य से होने वाली प्राप्ति के मध्य का समय काल है। कम्पनी ने परिचालन क्रम के लिए बारह माह निश्चित किए हैं।

2.2.2 सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी मद से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना हो तथा प्रत्येक मद का कापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता हो। सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है।

परिसम्पति की लागत में शामिल है :

क) क्रय मूल्य, किसी व्यापार छूट एवं रियायत का निवल

ख) ऋण लागतें यदि पूंजीयन मापदंड पूरे किए गए हैं

ग) परिसम्पति के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष सम्बद्ध लागत जिसका वहन परिसम्पति को प्राप्त करने एवं आशित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किया गया है।

घ) निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष निर्माण के भाग के रूप में पूंजीयन किए गए आनुषंगिक व्यय जो निर्माण से संबंधित व्यय से प्रत्यक्ष संबंधित है अथवा उसके संबंध में आनुषंगिक हैं।

ङ) यदि स्वीकृति मापदंड पूरे किए गए हैं तो मदों को अलग अलग करने तथा हटाए जाने तथा स्थल नवीकरण करने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य

फ्रीहोल्ड भूमि का वहन ऐतिहासिक लागत पर किया गया है।

अनुवर्ती मापन

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का अनुवर्ती मापन संचित मूल्यह्रास एवं संचित अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, के साथ लागत पर किया जाता है। अनुवर्ती व्यय का पूंजीयन तब किया जाता है जब ऐसे व्यय से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभवना हो तथा व्यय की लागत का मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो।

दीर्घकालिक निर्माण परियोजना के लिए प्रतिस्थापना, प्रमुख जांच, महत्वपूर्ण पूर्जों की मरम्मत तथा ऋण लागतों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

मशीनरी के अतिरिक्त पूर्जों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

मूल्यह्रास एवं उपयोज्यता काल

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास, बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त फ्रीहोल्ड भूमि एवं पट्टाधारित भूमि को छोड़कर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में निर्दिष्ट परिसम्पतियों के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा आधार पर किया गया है।

उपयोगी जीवन का मूल्यांकन तकनीकी मूल्यांकन संपत्ति से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर संपत्ति का अनुमानित उपयोग के आधार पर संपत्ति के उन वर्गों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए किया गया है, । तकनीकी मूल्यांकन अर्थात कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।। के अनुसार अनुमानित उपयोगी जीवन का खुलासा खातों के नोट्स में किया गया है।

अवधि के दौरान आनुपातिक आधार पर परिसम्पति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से निपटान किए जाने की तिथि तक पर सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण में किए गए आवर्धन/घटाव का मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर किया गया है।

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्येक भाग का मूल्यह्रास, यदि भाग मद की लागत के योग के संबंध में महत्वपूर्ण है तथा ऐसे भाग का उपयोज्यता काल शेष परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल से भिन्न है, अलग से लागत पर किया गया है। मिआद मुक्त पट्टे पर प्राप्त की गई पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।

अवधि के दौरान अधिगृहित की गई सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, जिनकी अलग अलग लागत 5000/– रूपए है, का पूर्ण मूल्यह्रास निर्धारण के तौर पर 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ कर लिया गया है। तथापि, कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए गए मोबाइल फोन, उनके मूल्य को संज्ञान में लिए बिना, लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए गए है।

मूल्यह्रास विधियां, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उचित समझे जाने की स्थिति में उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।। में किए गए उल्लेख के अनुसार ''सामान्यतः किसी परिसम्पति का अवशेष मूल्य परिसम्पति की लागत से 5 प्रतिशत तक होता है।''

स्वीकृति समाप्ति

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद तथा उसके विशिष्ट भाग की प्रारंभिक स्वीकृति की स्वीकृति समाप्ति उसका निपटान किए जाने तथा तथा उसके निपटान से भविष्य में उससे किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त न होने की संभावना होने पर किए जाते है। किसी परिसम्पति की स्वीकृति समाप्ति से प्राप्त होने लाभ अथवा हानि (निपटान से प्राप्त धन तथा परिसम्पति की वहन राशि के अंतर के अनुसार आकलन) को परिसम्पति की स्वीकृति समाप्त होने पर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.2.3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

पूंजीगत कार्य प्रगति पर से पूंजीगत परियोजनाओं के संबंध में किए गए व्यय एवं लागत शून्य संचित अक्षमता हानि, यदि कोई हो, पर अग्रेशित किए गए व्यय प्रतिबिंबित होते हैं।

2.2.4 निवेश परिसम्पतियां

स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

निवेश सम्पति की स्वीकृति सम्पति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभों की प्राप्ति कम्पनी को होने तथा सम्पति का मापन विश्वसनीय रूप से कर लिए जाने की संभावना होने पर की जाती है। निवेश परिसम्पति में पूर्ण सम्पति, निर्माणाधीन सम्पति तथा पट्टे पर धारित वह सम्पति शामिल है जिसका धारण साधारण व्यावसायिक प्रक्रिया में बिक्री किए जाने अथवा उत्पादन अथवा प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लाए जाने के स्थान पर किराया अथवा पूंजी लाभ अथवा दोनों अर्जित करने के लिए किया गया है। निवेश सम्पतियों का प्रारंभिक मापन संव्यवहार लागतों सहित लागत पर किया जाता है।

लागत वह राशि है जो नकद अथवा नकद समतुल्य के रूप में अथवा अन्य क्रियाओं के उचित मूल्य पर किसी सम्पति का अधिग्रहण करने अथवा निर्माण अथवा, जो भी लागू हो, के समय चुकता की जाती है, ऐसी सम्पति से सम्बद्ध राशि की प्रारंभिक स्वीकृति अन्य इंड एएस की विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार की जाती है।

अनुवर्ती मापन एवं मूल्यह्रास

निवेश सम्पतियों की प्रस्तुति संचित मूल्य ह्रास एवं संचित अक्षमता हानि, यदि कोई हैं, को घटाकर लागत पर की गई है।

अनुवर्ती लागत को स्वीकृत मापदंड पूरे होने पर ही जोड़ा गया है। कम्पनी निवेश सम्पति के भवन घटक का मूल्यह्रास क्रय/निर्माण की मूल तिथि से 60 वर्षों में सीधी रेखा आधार पर करती है। निर्माणाधीन फ्रीहोल्ड भूमि एवं सम्पति का परिशोधन नहीं किया गया है।

बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।

निवेश सम्पति के अवशेष मूल्यों, उपयोज्यता काल एवं मूल्यह्रास की विधियों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन, यदि उचित हों, किए जाते हैं।

कम्पनी अपनी निवेश सम्पति का मापन लागत आधारित मापन के आधार पर करती है, तो भी निवेश सम्पति के उचित मूल्य का प्रकटीकरण टिप्पणियों में किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर अधिकृत बाह्य स्वतंत्र मूल्यांककों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मूल्यांकन मॉडल के अनुसार किया जाता है।

स्वीकृति समाप्ति

निवेश सम्पतियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब वे स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसम्पति की वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.2.5 अमूर्त परिसम्पतियां

स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

अमूर्त परिसंपत्तियों की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी परिसम्पति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभावना हो तथा परिसम्पति का मापन विश्वसनीयता से किया जा सकता हो। अलग से अधिगृहित की गई अमूर्त परिसम्पतियों का लागत पर प्रारंभिक मापन किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, ऋण लागत, यदि पूंजीयन के मापदंड पूर्ण किए गए हैं, तथा परिसम्पति को आशित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किए गए व्यय शामिल होते हैं। आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसम्पतियों, पूंजीयन की गई विकास लागतों के अलावा, तथा सम्बद्ध व्यय की प्रस्तुति उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिस अवधि में व्यय किया गया है। तुलन पत्र तिथि को आशित उपयोग के तैयार न हुई अमूर्त परिसम्पतियों का प्रकटीकरण ''विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां'' के रूप में किया गया है।

अनुवर्ती मापन एवं परिशोधन

अमूर्त परिसम्पतियों को प्रयोग के लिए उनके उपलब्ध होने की तिथि से सीधी रेखा आधार पर उनके संबंधित अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर परिशोधित किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार है:

अमूर्त परिसंपत्तियां	उपयोगी जीवनकाल	आंतरिक रूप से सृजित या स्वःसृजित
पट्टा अधिकार	एमएफसी का उपयोगी जीवनकाल	आंतरिक रूप से सृजित

परिशोधन विधियों, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में की जाती है तथा उचित समझे जाने पर उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते हैं।

पट्टाधारी भूमि और उनमें सुधारों को अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और पट्टा विधि में निम्नतर पर परिशोधित किया जाता है।

प्रत्येक मामले में 1 लाख रूपए मूल्य तक साफ्टवेयर का परिशोधन क्रय के वर्ष में निर्धारण के लिए 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ किया जाता है।

अवधि के दौरान अमूर्त परिसम्पतियों में होने वाले आवर्धन/घटाव का परिशोधन करके उसे आनुपातिक आधार पर परिसम्पति उपलब्ध की तिथि से/निपटान की तिथि तक प्रभारित किया जाता है।

स्वीकृति समाप्ति

अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब वे स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्त किए जाने पर प्राप्त होने वाले लाभ अथवा हानि का मापन निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसम्पति की वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.2.6 गैर–वित्तीय परिसम्पतियों का परिशोधन

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा मूल्यांकन करके किसी परिसम्पति को परिशोधित करने अथवा किसी परिसम्पति का वार्षिक परिशोधन परीक्षण किए जाने की अपेक्षा होने के संकेत ज्ञात करके ऐसी परिसम्पतियों से वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाए जाते हैं। किसी परिसम्पति की वसूली योग्य

राशि किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य, निपटान की लागत को घटाकर, तथा उसके उपयोग मूल्य से अधिक होती है। यदि कोई परिसम्पति ऐसी रोकड़ उत्पति यूनिट नहीं है जो परिसम्पतियों अथवा परिसम्पतियों के समूह से पूरी तरह भिन्न हो तो किसी वैयक्तिक परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण किए जाते हैं। जब किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वहन राशिा उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो परिसम्पति को परिशोधित मान लिया जाता है तथा उसकी मालसूचियों के परिशोधन सहित उसकी वसूलीयोग्य राशि एवं परिशोधन हानि को ह्रासित करके लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति की जाती है।

उपयोग मूल्य के मूल्यांकन पूर्व–कर छूट दर, जिससे धन के समय मूल्य के चालू बाजार मूल्यांकन एवं परिसम्पति से संबद्ध जोखिम प्रस्तुत होते हैं, के उपयोग से उसके वर्तमान को अनुमानित रोकड़ प्रवाह से कम करके किए जाते हैं।

साख के अलावा परिसम्पतियों का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को यह निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि क्या संज्ञान में ली जा चुकी अक्षमता हानि के संकेत अभी भी हैं अथवा वे कम हो गए हैं। यदि ऐसे संकेत होते हैं तो कम्पनी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाती है। संज्ञान में ली जा चुकी अक्षमता हानि का व्युत्क्रमण तभी किया जाता है जब पहले आंकी गई अक्षमता हानि के पश्चात से परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के लिए लगाए गए अनुमानों में किसी प्रकार के परिवर्तन प्रतीत हों। व्युत्क्रमण सीमित होते हैं जिससे कि परिसम्पति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से न तो अधिक हो और न ही यह पूर्वावधि की परिसम्पति से संबंधित अक्षमता हानि न होने की स्थिति में निर्धारित की जाने वाली वहन राशि, मूल्यह्रास का निवल, से अधिक न हो सके। ऐसे व्युत्क्रमण लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किए जाते हैं।

2.2.7 सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों में इक्विटी माध्यमों में निवेश

सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों में इक्विटी माध्यमों में निवेश को इंड एएस–27 के पृथक वित्तीय विवरणों के अनुसार लागत पर लेखांकित किया जाता है। जहां निवेश का वहन मूल्य इसके अनुमानित वसूली मूल्य से अधिक होता है, वहां इसका आकलन वसूली–योग्यता के लिए किया जाता है और स्थायी विलयन के मामले में हानि के प्रावधान को लाभ एवं हानि विवरण में रिकार्ड किया जाता

है। निवेश के निपटान पर, निवल निपटान प्राप्ति और उसके वहन मूल्य के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकार किया जाता है।

संयुक्त प्रचालनों में हित

कंपनी एक संयुक्त प्रचालक है जिसे संयुक्त व्यवस्था के अन्य पक्षों के साथ संयुक्त रूप से धारित परिसंपत्तियों/वहन की गई देयताआ में अपने संयुक्त प्रचालन में अपने भाग में कंपनी हितों के रूप में स्वीकार किया गया है। राजस्व को संयुक्त प्रचालनों द्वारा आउटपुट की बिक्री से राजस्व के इसके भाग के रूप में स्वीकार किया जाता है।व्ययों को संयुक्त व्यवस्था के भाग के रूप में अन्य पक्षों के साथ संयुक्त रूप से किए गए व्यय में इसके भाग के रूप में स्वीकार किया जाता है।

2.2.8 मालसूचियां

क) मालसूचियों (स्क्रैप सहित) का मूल्यन उनकी न्यून लागत एवं निवल प्राप्य मूल्य पर आंका जाता है। लागत में मालसूचियों को वर्तमान स्थल एवं स्थिति में लाने के लिए व्यय की गई क्रय लागत, परिवर्तन लागत एवं अन्य लागतें शामिल होती हैं। लागत का निर्धारण प्रथम आवक प्रथम जावक (एफआईएफओ) आधार पर किया जाता है। व्यापार की साधारण प्रक्रिया में निवल वसूलीयोग्य मूल्य पूर्णता लागतों तथा बिक्री के लिए आवश्यक अनुमानित के अनुमान को घटाकर आंका गया अनुमानित बिक्री मूल्य है।

ख) निर्माण कार्य प्रगति पर का मूल्यन ऐसे समय तक के लिए लागत पर किया गया है जब तक कार्य से प्राप्त होने वाले प्रतिफल का विश्वसनीय रूप से पता नहीं चलता है।

ग) नई परियोजनाओं पर संचलन के लिए किए गए प्रारंभिक संविदा व्यय को संबंधित वर्ष में निर्माण कार्य प्रगति पर के रूप में स्वीकृति दी गई है तथा उसे आनुपातिक आधार पर परियोजना के लाभ एवं हानि विवरण में रिपोर्टिंग अवधि के अंत संविदा के पूर्ण होने के चरण के समान प्रतिशत पर संबंधित अवधि में प्रभारित किया गया है। स्थल संचलन व्यय का बट्टा करने के स्थान पर लागत पर मूल्यन किया गया है।

घ) लागत जमा संविदाओं में जहां, संविदा की शर्तों के अनुसार सभी सामग्रियों, अतिरिक्त पूर्जों एवं भंडार की लागत की धनवापसी नहीं होती होती है, का मूल्यन उपर्युक्त (क) के अनुसार मालसूची के रूप में किया गया है।

ड.) अवधि के दौरान किए गए लूज पूर्जों का उपयोग कर लिया गया है।

2.2.9 राजस्व मान्यता

(क) ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व

(i) परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीसीएम) सेवाओं से राजस्व : ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व प्राप्त किया जाता है जब माल एवं सेवाओं का नियंत्रण ग्राहकों की ऐसी धनराशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो इस आधार पर है कि कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होने की उम्मीद करे।

ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व को उस स्तर तक स्वीकार किया जाएगा जहां तक यह संभावना हो कि कंपनी में आर्थिक लाभ प्राप्त हों और राजस्व तथा लागतों, यदि लागू हो, को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके।

यदि हमारे ग्राहकों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने में अन्य पक्ष शामिल होता है तो कंपनी निर्धारण करती है कि ग्राहकों को किए गए वादे की प्रकृति का मूल्यांकन करके इन संव्यवहारों को करने वाला प्रधान पक्ष है या एजेंट है। राजस्व को सकल आधार पर बुक किया जाता है, जहां कंपनी प्रधान पक्ष के रूप में कार्य करती है और यदि कंपनी एजेंस के रूप में कार्य करती है तो अपनी सेवाओं के लिए प्रतिधारित निवल राशि पर। कंपनी ने संविदाओं के तथ्य पर विचार करके राजस्व को स्वीकार किया है।

सभी पीएमसी संविदाओं में, कंपनी प्रस्तुत दायित्वों की पूर्ण निष्पादन की दिया में उसकी प्रगति को मापने के पश्चात समय के साथ–साथ संतोषजनक निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व को स्वीकार करता है, उस स्थिति में जहां निष्पादन दायित्व के परिणाम को उचित रूप वे माना नहीं जा सकता है किन्तु कंपनी को संतोषजनक निष्पादन के लिए लागत की वसूली की आशा होती हो, राजस्व को

केवल उस समय तक किए गए लागतों की सीमा तक स्वीकार किया जाता है, जबतक कि यह कार्यनिष्पादन दायित्व के परिणामों को यथोचित मापन नहीं है।

निष्पादन दायित्वों को इपपुट विधि के प्रयोग द्वारा मापा जाता है। जहां निष्पादन दायित्वों को इनपुट विधि द्वारा मापना संभव नहीं है वहां इन अनुबंधों के लिए आउटपुट विधि का प्रयोग किया जाता है, जो वास्तविक रूप से कंपनी के कार्यनिष्पादन को पूरी तरह से प्रदर्शित करता है।

राजस्व को संव्यवहार मूल्य पर मापा ताजा है, जो निष्पादन दायित्वों हेतु आवंटित किए जाता है और इसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र राशि को अलग कर दिया जाता है तथा इसका समायोजन वेरियेबल दृष्टिकोण, यदि कोई हो, पर किया जाता है।

संविदा के आरंभ होने के पश्चात, संव्यवहार के मूल्य विभिन्न कारकों के कारण बदल सकते हैं। संव्यवहार के मूल्य में कोई भी परिवर्तन अनुबंध में निर्धारित समय पर उसी आधार निष्पादन दायित्वों हेतु आवंटित किया जाता है। इसके परिणामस्वरुस्प, एक संतोषजनक निष्पादन दायित्व हेतु आवंटित राशि को राजस्व के रूप में या राजस्व में कमी के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिस अवधि में संव्यवहार में परिवर्तन हुआ है।

यदि स्थिति में परिवर्तन होता है तो राजस्व, लागत या पूर्णता की दिशा में प्रगति का अनुमान संशेधित किया जाता है। अनुमानित राजस्व या लागतों के कारण परिणम में वृद्धि या कमी हो सकती है और इस परिवर्तन की अवधि में लाभ या हानि को शामिल करके स्वीकार किया जाता है, यदि परिवर्तन उसी अवधि को प्रभावित करता है या परिवर्तन की अवधि और भावी अवधि दोनों का प्रभावित करता है।

यदि कंपनी ग्राहकों द्वारा विचार किए जाने या देय भुगतान किए जाने से पूर्व किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहक को हस्तांतरित करती है तो संविदागत परिसंपत्ति अर्जिन के लिए मान्यता प्राप्त है और यह स्थिति शर्त सहित है। यदि कोई ग्राहक कंपनी में सेवा स्थानांतरित करने से पहले भुगतान पर विचार करता है तो भुगतान किए जाने या भुगतान के लिए देय राशि (जो भी पहले हो) के लिए अनुबंध दायित्व को स्वीकार किया जाएगा। अनुबंध देयता को राजस्व के रूप में स्वीकार किया जाता है यदि कंपनी अनुबंध के तहत निष्पादन करती है।

(ii) श्रमशक्ति आपूर्ति/मशीनों को किराए पर देने से प्राप्त राजस्व

कंपनी ग्राहकों के साथ संविदा में उल्लिखित अनुसार वादा की गई सेवाओं (याि सहमत श्रमशक्ति की आपूर्ति) के अंतरण द्वारा निष्पादन दायित्वों के संतोष पर राजस्व को स्वीकार करती है। ऐसे सेवाओं को समय के साथ संतुष्ट निष्पादन दायित्वों के रूप में स्वीकार किया जाता है क्योंकि ग्राहक कंपनी द्वारा उपलब्ध लाभों को एक साथ ही प्राप्त एवं उपभोग करता है।

अन्य प्रचालनिक आय व्यवसाय के लिए आकस्मिक गतिविधियों से अर्जित आय को दर्शाती है और इसे तब स्वीकार किया जाता है जब निष्पादन दायित्व पूरा हो जाता है और संविदा की शर्तों के अनुसार आय प्राप्ति का अधिकार स्थापित हो जाता है।

(ख) अन्य राजस्व मान्यता

(i) लाभांश आय को उस समय लेखांकित किया जाता है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

(ii) ब्याज आय को कुशल ब्याज दर विधि के प्रयोग द्वारा स्वीकार किया जाता है। ब्याज आय को लाभ एवं हानि विवरण में अन्य आय में शामिल किया गया है।

(iii) विविध आय को उस समय स्वीकार किया जाता है जब निष्पादन दायित्व पूरा हो जाता है और संविदा की शर्तों के अनुसार आय प्राप्ति का अधिकार स्थापित हो जाता है।

2.2.10 ऋण लागत

ऋण लागत में ब्याज एवं कम्पनी द्वारा निधियों की प्राप्ति के संबंध में व्यय की गई अन्य लागतें शामिल हैं। ऋण लागतों की सम्बद्धता प्रत्यक्ष रूप से किसी अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से होती है जो परिसम्पति की लागत के पूंजीयन के लिए आशित उद्देश्य से उपयोग अथवा बिक्री के लिए किसी निश्चित अवधि में पूर्ण अथवा निर्मित की जानी अपेक्षित होती है। अन्य सभी ऋण लागतों की स्वीकृति उनके व्यय के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में की गई है। ऋण लागतों में ऐसी विनिमय भिन्नता भी शामिल हैं जिन्हें ऋण लागतों के समायोजन के लिए उपयोग किया गया है।

2.2.11 कर

(क) चालू आय कर

चालू आय कर एवं देयताओं का मापन सम्बद्ध कर विनियमों के अंतर्गत कराधान प्राधिकरणों से संभावित प्राप्य अथवा चुकता की जाने वाली राशियों के अनुसार किया गया है। चालू कर निर्धारण अवधि के लिए देय आय कर के संबंध में कर देयता के रूप में किया गया है तथा इसका आकलन सबंधित कर विनियमों के अनुसार किया गया है। चालू आय कर की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के ह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। चालू कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है या इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है। प्रबंधन द्वारा आवधिक रूप से कर विवरणियों में अपनी उन स्थितियों के संबंध में आवधिक मूल्यांकन किए जाते हैं जिनके लिए लागू कर विनियम व्याख्या तथा यथा लागू स्थापित प्रावधानों के अध्याधीन हैं।

चालू कर परिसम्पतियों एवं कर दायित्वों का समंजन उन स्थितियों के लिए किया गया है जिनके संबंध में कम्पनी के पास समंजन का विधिक प्रवर्तनीय अधिकार है अथवा उनके संबंध में कम्पनी की मंशा निवल आधार पर उनका निपटान करने अथवा परिसम्पति की बिक्री करके एक साथ दायित्व का समाधान करने करने की है।

(ख) आस्थगित कर

आस्थगित कर देयताओं की स्वीकृति परिसम्पतियों एवं देयताओं के कर आधारों तथा रिपोर्टिंग तिथि को वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से उनकी वहन राशियों के मध्य अस्थाई भिन्नताओं के संबंध में देयता विधि के उपयोग से की गई है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों का मापन उन कर दरों पर किया गया है जिनका उपयोग उस अवधि के लिए किया जाना संभावित है जब परिसम्पति का निपटान अथवा दायित्व का समाधान कर दरों के आधार (तथा कर विधियों) पर किया गया था जो प्रवर्तित हैं अथवा रिपोर्टिंग तिथि को प्रवर्तित किए गए हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के बाह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। आस्थगित कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है अथवा इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है।

आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ के लिए उपलब्ध होगा। स्वीकृत न की गई आस्थगित कर परिसम्पतियों का पुनः मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है तथा इनकी स्वीकृति उस स्तर तक की जाती है जिस स्तर तक यह संभावना बनी रहे कि इससे प्राप्त भावी करयोग्य लाभ से आस्थगित कर परिसम्पतियों की वसूली की जा सकेगी।
आस्थगति कर परिसंपत्तियों और देयताओं को उस समय ऑफसेट किया जाता है जब चालू कर परिसंपत्तियों और देयताओं को ऑफसेट करने का विधिक प्रवर्तनीय अधिकारी होता है और जब आस्थगित कर शेष समान कर निर्धारण प्राधिकरण से संबंधित हो!

2.2.12 विदेशी मुद्राएं

- **कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा**

वित्तीय विवरणों में शामिल मदों का मापन उस प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा में किया गया है जिसमें इकाई अपने परिचालन (''कार्यात्मक मुद्रा'') करती है। वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय रूपए में की गई है जो कम्पनी की कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा भी है।

- **संव्यवहार एवं शेष**

विदेशी मुद्रा संव्यवहार कार्यात्मक मुद्रा में रिकार्ड किए गए हैं जिसके लिए संव्यवहार की तिथि के अनुसार कार्यात्मक मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के मध्य की विनिमय दर का उपयोग किया गया है।
रिपोर्टिंग तिथि को बकाया विदेशी मुद्रा वाली मौद्रिक मदों को कार्यात्मक मुद्रा में क्लोजिंग दर (देयताओं के लिए क्लोजिंग बिक्री दर तथा परिसम्पतियों के लिए क्लोजिंग खरीद दर) पर परिवर्तित

किया गया है। विदेशी मुद्रा के मूल्य वर्ग वाली गैर–मौद्रिक मदों का वहन उनकी ऐतिहासिक लागत पर संव्यवहार की तिथि की विनिमय दर पर किया गया है।

मौद्रिक मदों के समाधान से उत्पन्न विनिमय दर भिन्नताओं, अथवा रिपोर्टिंग तिथि को की गई पुनःप्रस्तुति, के अनुसार उन दर भिन्नताओं पर किया गया है जो प्रारंभ में रिकार्ड की गई थी तथा लाभ एवं हानि विवरण में इनकी स्वीकृति इनकी उत्पति की अवधि में की गई थी। इन विनिमय भिन्नताओं की लाभ एवं हानि में प्रस्तुति निवल आधार पर की गई है।

- **विदेश परिचालन**

शाखाओं से संबंधित उन विदेश परिचालनों, जिनमें उपयोग की मुद्रा के प्रति कार्यात्मक मुद्रा में भिन्नता है, के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के उद्देश्य से उपयोग की मुद्रा का प्रयोग किया गया है। समूह की विदेश स्थित शाखाओं की परिसम्पतियों एवं देयताओं (मौद्रिक एवं गैर–मौद्रिक दोनों) को रिपोर्टिंग तिथि के अंत में लागू विनिमय दर के उपयोग से परिवर्तित किया गया है। यदि विनिमय दरों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव नहीं हुए हैं तो आय एवं व्यय की मदों को अवधि के दौरान औसत विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है अन्यथा मामलों के लिए संव्यवहार की तिथि को प्रयुक्त विनिमय दर उपयोग में लाई गई है। उत्पन्न विनिमय भिन्नताओं, यदि कोई हैं, की स्वीकृति अन्य व्यापक आय एवं इक्विटी इसका संचय विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिजर्व के रूप में किया गया है।

विदेशी परिचालनों का निपटान (परियोजना की बहियां बंद करने पर) होने पर परिचालन के संबंध में इक्विटी में संचित विनिमय भिन्नताओं का पुनःवर्गीकरण लाभ एवं हानि विवरण में किया गया है।

2.2.13 कर्मचारी लाभ

क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

वेतन, अल्पकालिक प्रतिपूर्ति छुट्टी एवं निष्पादन सम्बद्ध वेतन (पीआरपी) जैसे बारह माह की पूर्ण सेवा के पश्चात प्रदान किए जाने वाले लाभों का वर्गीकरण अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में किया गया है तथा ऐसे लाभों की गैर–डिस्काउंटिड राशि को उस अवधि से संबंधित लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है जिन अवधियों में कर्मचारी द्वारा सम्बद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं।

ख) सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ

- **परिभाषित अंशदायी योजना :** परिभाषित अंशदायी योजना के अंतर्गत कंपनी नियत राशि का अंशदान एक अलग इकाई में करती है तथा इससे इसके प्रति आगे किसी राशि का भुगतान करने का कोई विधिक अथवा तर्कसाध्य दायित्व नहीं होता है। परिभाषित अंशदायी योजनाओं में अंशदान करने से संबंधित योजनाओं के संबंध में, जिन अवधियों में कर्मचारी द्वारा सम्बद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं, लाभ एवं हानि विवरणों में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में स्वीकृति दी गई है।

नियमित कर्मचारियों क लिए, कंपनी एनपीएस के माध्यम से कर्मचारी पेंशन योगना के प्रति अंशदान जमा कराती है।

- **परिभाषित लाभ योजना** : परिभाषित लाभ योजना एक सेवानिवृत्ति के पश्चात की लाभ योजना है जो कि परिभाषित अंशदायी योजनाओ से भिन्न है। उपदान, भविष्य निधि एवं सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ के लिए कंपनी की देयताओं की रूपरेखा परिभाषित लाभ योजनाओं में दर्शाई गई है।

कंपनी द्वारा उपदान का निधियन किया जाता है तथा इसको लाभ एवं हानि में प्रभारित किया जाता है। कंपनी एक नियत अंशदान ईपीएफओं की पूर्वनिर्धारित दर पर निश्चित भविष्य निधि में करती है।

ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

कंपनी द्वारा बारह माह के पश्चात अग्रेषित किए जाने वाले छुट्टी नकदीकरण एवं छुट्टी यात्रा रियायत को मापन के उद्देश्य से दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ माना गया है। इन दीर्घकालिक लाभों के संबंध में दायित्व की स्वीकृति का मापन अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि के उपयोग से बीमांकन पर आधारित दायित्वों के वर्तमान मूल्य पर किया गया है।

चालू सेवा लागत, पूर्व सेवा लागत, ब्याज लागत तथा समाधान पर लाभ एवं हानियों से युक्त दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ लागतों को कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी गई है।

अन्य :

i) कंपनी में कार्य करने वाले नामांकन/सेकेंडमेंट आधार पर तथा धारक कंपनी के रोल वाले कर्मचारी। दीर्घकालीन अवकाश नकदीकरण, उपदान तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान धारक कंपनी द्वारा वर्ष के अंत में बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

ii) केवल विदेशी परियोजनाओं में तैनात संविदा कर्मचारी के लिए अवकाश वेतन का प्रावधान लेखा बहियों में किया जाता है क्योंकि उन्हें कोई अन्य सेवानिवृत्ति लाभ देय नहीं है।

iii) नामांकन/सेकेंडमेंट आधार पर कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान का प्रावधान धारक कंपनी द्वारा अपने पीएफ ट्रस्ट में संचित आधार पर किया जाता है।

2.2.14 रोकड प्रवाह विवरण

तुलन पत्र में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में शामिल हैं बैंक में नकद, उपलब्ध नकद, तीन महीने या कमी की मूल परिवक्वता वाले बैंकों के अन्य अल्पकालीन जमा राशियां, जो मूल्य में परिवर्तन के अपर्याप्त जोखिम के मद्देनजर हैं तथा बैंक ओवरड्रफ्ट।

रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से रोकड़ व रोकड़ समानान्तर में रोकड़, अल्पकालीन बैंक जमा राशियां आदि शामिल हैं जैसाकि ऊपर परिशिषित किया गया है तथा बकार्यों बैंक ओवरड्राफ्ट का निवल परिभाषितानुसार रोकड़ तथा बैंक शेष, बैंक ओवरड्राफ्ट का योग शामिल होता है।

2.2.5 लाभांश

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को वार्षिक लाभांश के संवितरण को उस अवधि के लिए देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है जिस अवधि में लाभांश को स्वीकृति प्रदान की गई है। किसी अंतरिम लाभांश को निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत अनुसार देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है। देय लाभांश और लाभांश संवितरण कर को प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी के रूप में स्वीकार किया जाता है।

2.2.16 प्रावधान, आकस्मिक परिसम्पतियां एवं आकस्मिक देयताएं

क) प्रावधान

प्रावधान को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कम्पनी का कोई वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा तर्कसाध्य) हो तथा ऐसी संभावना हो कि दायित्व के निपटान, जिसके

संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हैं, के लिए संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित है। प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित विचार, दायित्व से जुड़े जोखिम एवं अनिश्चितताओं पर विचार, के पश्चात आंके गए उत्तम अनुमान के अनुसार होती है।

जब धन के समय मूल्य का वस्तुगत होने की संभावना होती है तो प्रावधान राशि को दायित्व से सम्बद्ध जोखिम की प्रस्तुति करने वाली,जब उचित हो, पूर्व कर दर के उपयोग से कम कर दिया जाता है। समय के परिवर्तन को वित्त लागत के रूप में विचार में लिए जाने के कारण डिस्काउंटिंग के उपयोग के पश्चात प्रावधान अधिक कर दिए जाते हैं।

कंपनी द्वारा स्वीकृत प्रावधानों में शामिल हैं अनुरक्षण, डीमोबिलाइजेशन, अभिकल्प गारंटी, विधिक मामलों, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, दुर्वह संविदाओं के लिए प्रावधान।

ख) दुर्वह संविदाएं

दुर्वह संविदा वह संविदा है जिसमें संविदा के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने की वे अपरिहार्य लागतें (अर्थात वे लागतें जिनकी संविदा के कारण कम्पनी अनदेखी नहीं कर सकती है) आती हैं जो उससे प्राप्त होने वाले संभावित आर्थिक लाभों से अधिक होती हैं। किसी संविदा के अंतर्गत अपरिहार्य लागतें संविदा की विद्यमान न्यूनतम लागत की प्रस्तुति करते हैं जो इसके निष्पादन की लागत एवं इसे निष्पादित न किए जाने के मुआवजे अथवा उत्पन्न होने वाली शास्तियों से कम हैं। यदि कम्पनी की कोई दुर्वह संविदा है तो संविदा के अंतर्गत दायित्व की स्वीकृति एवं मापन के लिए प्रावधान किए जाते हैं। तथापि, दुर्वह संविदा के लिए अलग प्रावधान करने से पूर्व कम्पनी किसी अक्षमता हानि की स्वीकृति करती है जो ऐसी संविदा के लिए नियत की गई परिसम्पतियों के संबंध में हुई है।

इन अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में करके चालू उत्तम अनुमान के अनुसार समायोजन प्रस्तुत किए गए हैं।

ग) आकस्मिक देयताएं

ऐसे आकस्मिक दायित्वों के संबंध में प्रकटीकरण किया जाता है जब संभावित दायित्व अथवा वर्तमान दायित्वों के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित होने होने की संभावना

होती है, परन्तु नहीं भी हो सकती है, अथवा ऐसे दायित्वों की राशि का मापन विश्वसनीयता से नहीं किया जा सकता है। जब किसी संभावित दायित्व अथवा विद्यमान दायित्व के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बर्हिप्रवाह होने की संभावना काफी होती है तो कोई प्रावधान अथवा प्रकटीकरण नहीं किए जाते हैं।

इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है तथा चालू उत्तम अनुमानों के अनुसार इनका समायोजन किया जाता है।

घ) आकस्मिक परिसम्पतियां

आकस्मिक परिसम्पतियों की स्वीकृति नहीं की जाती है अपितु आर्थिक लाभों के प्रवाह की विश्वसनीयता होने पर इनका प्रकटीकरण किया जाता है।

2.2.17 पट्टे

कम्पनी द्वारा संविदा के प्रारंभ में ऐसे मूल्यांकन किए जाते हैं कि क्या संविदा पट्टा, अथवा अंतर्विष्ट पट्टा, है अथवा नहीं है। इसका अर्थ है कि क्या संविदा में संज्ञान में ली गई परिसम्पति के संबंध में किसी अवधि में उपयोग के नियंत्रण का अधिकार प्रतिफल के विनिमय के प्रति उपलब्ध है।

क) पट्टेदार के रूप में कम्पनी

कम्पनी द्वारा अल्पकालिक पट्टों तथा न्यून मूल्य की परिसम्पतियों के पट्टों के अलावा सभी पट्टों के संबंध में एकल स्वीकृति एवं मापन विधि का उपयोग किया जाता है। कम्पनी पट्टा दायित्वों की स्वीकृति पट्टा भुगतानों तथा उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों के रूप में करती है जिससे अंतर्निहित परिसम्पतियां उपयोग अधिकार की प्रस्तुति करती हैं।

i) उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां

कम्पनी उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों की स्वीकृति पट्टा प्रारंभ होने की तिथि (अथवा वह तिथि जब अंतर्निहित परिसम्पति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है) के अनुसार करती है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति का मापन किसी प्रकार के संचित मूल्यह्रास तथा क्षमता हानियों को घटाकर एवं पट्टा दायित्वों के किसी पुनःमापन में समायोजन करके लागत पर किया जाता है। उपयोग अधिकार वाली

परिसम्पतियों की लागत में स्वीकृत पट्टा देयता क राशि, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतें, एवं किसी प्रकार के प्राप्त पट्टा प्रोत्साहनों को घटाकर प्रारंभ तिथि को अथवा उससे पूर्व किए गए पट्टा भुगतान शामिल हैं। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का मूल्यह्रास पट्टा काल को कम करके तथा परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

सावधिक पट्टे पर अधिग्रहित पट्टाधारी भूमि को परिशोधित नहीं किया जाता।

यदि पट्टा की गई परिसम्पतियां पट्टा काल के अंत में कम्पनी को अंतरित की जाती है अथवा प्रस्तुत लागत में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य होता है तो मूल्यह्रास का आकलन परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां अक्षमता की शर्त पर भी होती है।

ii) पट्टा दायित्व

कम्पनी द्वारा पट्टे की प्रारंभ तिथि को पट्टा काल के लिए चुकता किए जाने वाले पट्टा के वर्तमान मूल्य के अनुसार मापन किए गए पट्टा दायित्वों को स्वीकृति दी जाती है। पट्टा भुगतानों में किसी प्रकार के प्राप्य प्रोत्साहन घटाकर नियत भुगतान (सारभूत नियत भुगतान में शामिल), परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो सूचकांक अथवा किसी दर पर निर्भर हैं, तथा अवशेष मूल्य गारंटियों के अंतर्गत चुकता की जाने वाली संभावित राशियां शामिल है। पट्टा भुगतानों में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य भी शामिल होता है जिसका औचित्यपरक निश्चितता के साथ कम्पनी उपयोग कर सकती है, तथा पट्टों समाप्त करने, यदि पट्टा काल शर्तों में शास्तियों के भुगतान की व्यवस्था है, के विकल्प का उपयोग कर सकती है। व्यय के रूप में स्वीकृत किसी सूचकांक अथवा दर पर निर्भर न होने वाले परिवर्तनीय पट्टा भुगतान (यदि वे मालसूचियों के उत्पादन के लिए व्यय नहीं किए गए हैं) उनकी उत्पति की अवधि अथवा भुगतान किए जाने की स्थिति में किए जाते हैं।

पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य का आकलन करते हुए कम्पनी पट्टा प्रारंभ तिथि से आवर्धित ऋण दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में अंतर्निहित ब्याज दर का सुगमता से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात पट्टा दायित्वों की राशि में ब्याज अभिवृद्धि की प्रस्तुति के लिए वृद्धि हो जाती है तथा किए गए पट्टा भुगतान कम हो जाते हैं। इसके अलावा, पट्टा दायित्वों के वहन

मूल्य का पुनःमापन किसी प्रकार का संशोधन किए जाने, पट्टा काल में परिवर्तन किए जाने, पट्टा भुगतानों में परिवर्तन किए जाने (अर्थात पट्टा भुगतानों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किसी सूचकांक अथवा दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप भावी भुगतानों में परिवर्तन) अथवा अंतर्निहित परिसम्पति के क्रय के विकल्प के मूल्यांकन में परिवर्तन किए जाने की स्थिति में किया जाता है।

कम्पनी के पट्टा दायित्वों को वित्तीय दायित्वों में शामिल किया जाता है।

iii) अल्पकालिक पट्टे तथा न्यून मूल्य वाली परिसम्पतियों के पट्टे

कम्पनी द्वारा आवासीय परिसरों तथा कार्यालयों (अर्थात वे पट्टे जिनका पट्टा काल प्रारंभ की तिथि से 12 माह अथवा कम है तथा जो क्रय विकल्प के साथ नहीं हैं) के अपने अल्पकालिक पट्टा अनुबंधों में अल्पकालिक पट्टा स्वीकृति के लिए छूट का उपयोग किया जाता है। कम्पनी द्वारा कार्यालय उपकरणों, जो न्यून मूल्य के रूप में विचार में नहीं लिए गए हैं, के पट्टों के लिए पट्टे की न्यून मूल्य परिसम्पति छूट का उपयोग भी किया जाता है। अल्पकालिक पट्टों के पट्टा भुगतान तथा न्यून मूल्य परिसम्पतियों के पट्टों की स्वीकृति पट्टा काल के लिए सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में की जाती है।

कंपनी ने दिनांक 01 अप्रैल 2019 से प्रभावी होने वाले इंड एएस 116 के अनुसार पट्टा लेखांकन को समायोजित किया है और सभी संबंधित आंकड़ों को इंड एएस 116 की अपेक्षाओं को प्रभावी बनाने के लिए पुनवर्गीकृत/पुनसमूहित किया गया है।

ख) पट्टाकार के रूप में कम्पनी

वे पट्टे जिनमें कम्पनी मुख्य रूप से परिसम्पति से संबद्ध सभी जोखिम तथा प्रतिफल अंतरित नहीं करती है उनका वर्गीकरण परिचालन पट्टे के रूप में किया गया है। पट्टे के काल की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर लेखांकित पट्टे से उत्पन्न किराया को उसकी परिचालन प्रकृति के कारण राजस्व के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया गया है। परिचालन पट्टे के परक्रामण एवं व्यवस्थापन के दौरान व्यय की गई प्रत्यक्ष लागतें पट्टाकृत परिसम्पति की वहन राशि में जोड़ी गई हैं तथा उनकी स्वीकृति ब्याज आय के समान आधार पर पट्टा काल के लिए की गई है। आकस्मिक किरायों की स्वीकृति राजस्व के रूप में उनकी उत्पति होने पर की गई है।

2.2.18 वित्तीय उपकरण

वित्तीय उपकरण अनुबंध होते हैं जो किसी इकाई की वित्तीय परिसम्पति तथा किसी अन्य इकाई के किसी दायित्व अथवा वित्तीय उपकरण के संव्यवहार के लिए किए जाते हैं।

क) वित्तीय परिसम्पतियां

प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

वित्तीय परिसम्पतियों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय परिसम्पतियों (लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापण की गई परिसम्पतियों के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं। वित्तीय परिसम्पतियों अथवा वित्तीय देयताओं से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों को उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि के माध्यम से तुरंत लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

अनुवर्ती मापन

अनुवर्ती मापन के उद्देश्य वित्तीय परिसम्पतियों को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिशोधन लागत पर नामे उपकरण

निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होने पर ऋण उपकरण का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता हैं:

क) परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के अनुसार ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोकड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है और

ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं जो विशिष्ट रूप से बकायों मूल राशि पर मूल और ब्याज का भुगतान है।

ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। क्षमता हानि से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ अथवा हानि में स्वीकृति दी जाती है। यह वर्ग सामान्यत व्यापार एवं अन्य प्राप्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है।

- **अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण उपकरण (एफवीटीओसीआई)**

निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होने पर ऋण उपकरण का वर्गीकरण अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है :

क. व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और

ख. परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रूप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में कंपनी ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर–स्वीकार करने पर ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुनःवर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

- **लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर ऋण उपकरण**

एफवीटीपीएलप ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवी ओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एफवीटीपीएल के वर्ग में शामिल ऋण उपकरणों का मापन लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर किया गया है।

- **इक्विटी उपकरण**

इंड एएस 109 के कार्य क्षेत्र में इक्विटी निवेश का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। जो इक्विटी उपकरणएफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत व्यापार के लिए धारित किए गए हैं। अन्य सभी उपकरणों के

लिए कम्पनी द्वारा उचित मूल्य पर अनुवर्ती परिवर्तन पर अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने का अशोध्य चयन किया गया है। कम्पनी द्वारा ऐसे चयन उपकरण – वार आधार पर किए जाते हैं। ऐसे वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति पर किए जाते हैं तथा ये अशोध्य होते हैं।

यदि कम्पनी किसी इक्विटी उपकरण का वर्गीकरण एफवीटीओसीआई के रूप में करने का निर्णय लेते है तो लाभांशों के अलावा उपकरण के सभी उचित मूल्य परिवर्तनों की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में की जाती है। निवेश की बिक्री के पश्चात भी अन्य व्यापक आय में से राशियों का पुनःचक्रण लाभ एवं हानि विवरण में नहीं किया जाता है। तथापि, कम्पनी इक्विटी में संचित लाभ एवं हानि का अंतरण कर सकती है।

एफवीटीपीएल वर्ग में शामिल इक्विटी उपकरणों का मापन उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

ईसीएल उन सभी संविदागत नकद प्रवाहों के मध्य का अंतर है जो कम्पनी संविदा के अंतर्गत देय हैं तथा जो ऐसे नकद प्रवाहों से संबंधित हैं जिनकी प्राप्ति की प्रत्याशा इकाई (अर्थात सभी नकद न्यूनताएं), तथा जो मूल ईआईआर पर न्यून किए गए हैं।

इंड एएस 109 के अनुसरण में कम्पनी द्वारा निम्नलिखित वित्तीय परिसम्पतियों एवं क्रेडिट ऋण जोखिमों से संबंधित प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को मापन एवं अक्षमता हानि में स्वीकृति के लिए उपयोग किया गया है:

क. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा जिनका मापन परिशोधन लागत अर्थात ऋण, डेब्ट सिक्योरिटियों, जमा, व्यापार प्राप्यों एवं बैंक शेष के लिए किया गया है।

ख. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा एफवीटीओसीआई पर मापन की गई हैं।

ग. इंड एएस 116 के अंतर्गत पट्टा प्राप्य

घ. व्यापार प्राप्य अथवा अन्य संविदागत अधिकार के अंतर्गत प्राप्त नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पति जो ऐसे संव्यवहार से प्राप्त हो जो इंड एएस 115 के दायरे में है।

ङ. ऋण प्रतिबद्धताएं जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

च. वित्तीय गारंटी अनुबंध जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

कम्पनी द्वारा निम्नलिखित के संबंध में अक्षमता हानि भत्ते की स्वीकृति के लिए ''सरल एप्रोच' का अनुसरण किया गया है:

- व्यापार प्राप्यों अथवा अनुबंध राजस्व प्राप्यों; तथा
- सभी ऐसे पट्टा प्राप्यों जिनके संव्यवहार इंड एएस 116 के दायरे में हैं।

सरल एप्रोच की उपयोज्यता के लिए कम्पनी को क्रेडिट जोखिम में ट्रैक परिवर्तन नहीं करने होते हैं। इसके स्थान पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को लाइफटाइम ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि भत्तों का उपयोग प्रारंभिक स्वीकृति की तिथि से किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पतियों एवं ऋण जोखिम पर क्षमता हानि के संज्ञान के लिए कम्पनी यह निर्धारण करती है कि क्या प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है अथवा नहीं हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है तो 12 माह की ईसीएल का उपयोग क्षमता हानि के प्रावधान के लिए किया जाता है। तथापि, यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होने पर लाइफटाइफ ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि किसी अनुवर्ती अवधि में उपकरण की क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार आता है तथा प्रारंभिक संज्ञान के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण बढ़त नहीं होती है तो इकाई द्वारा 12 माह की ईसीएल पर आधारित क्षमता ानि भत्ते को समाप्त कर दिया जाता है।

लाइफटाइम ईसीएल वे प्रत्याशित क्रेडिट हानियां हैं जो वित्तीय परिसम्पति के संभावित उपयोज्यता काल में संभव चूक घटनाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। 12 माह ईसीएल लाइफटाइम ईसीएल का वह भाग है जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के दौरान संभावित चूक घटनाओं से उत्पन्न हुए हैं।

ईसीएल क्षमता हानि भत्ता (अथवा रिवर्सल) की स्वीकृति आय/व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। इस राशि की प्रस्तुति ''अन्य व्यय'' शीर्ष के अंतर्गत लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। विभिन्न वित्तीय उपकरणों के अंतर्गत तुलन पत्र की प्रस्तुति का वर्णन नीचे किया गया है:–

- परिशोधित लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां, संविदागत राजस्व प्राप्य एवं पट्टा प्राप्यः ईसीएल की प्रस्तुति एक भत्ते के रूप में अर्थात तुलन पत्र में ऐसी परिसम्पतियों के मापन के अभिन्न भाग के रूप में की जाती है। निवल वहन राशि में से भत्ता घटा दिया जाता है। परिसम्पति द्वारा बट्टा मापदंड पूरे न किए जाने तक कम्पनी सकल वहन राशि में से क्षमता हानि भत्ते को कम नहीं करती है।

- ऋण प्रतिबद्धताएं एवं वित्तीय गारंटी संविदा : ईसीएल की प्रस्तुति तुलन पत्र में एक प्रावधान अर्थात एक दायित्व के रूप में की गई है।

- ऋण उपकरण का मापन एफवीटीओसीआई के अनुसार : ऋण उपकरणों का मापन एफवीओसीआई के अनुसार किया गया है, संभावित क्रेडिट हानियों से तुलन पत्र में वहन राशि कम नहीं हुई है जिससे यह उचित मूल्य पर होती है। परिसम्पति का मापन अन्य व्यापक आय में स्वीकृत परिशोधन लागत पर ''संचित परिशोधन राशि'' के रूप में करने की स्थिति में इसके स्थान पर भत्ते के समतुल्य एक राशि उत्पन्न होगी।

कम्पनी द्वारा क्षीण क्रेडिट वाली वित्तीय परिसम्पतियों (पीओसीआई), अर्थात ऐसी परिसम्पतियां जिनका क्रेडिट क्रय/व्युत्पति पर क्षीण है, का क्रय अथवा व्युत्पति नहीं की गई है।

<u>वित्तीय परिसंपत्तियों की अस्वीकृति</u>

वित्तीय परिसंपत्तियों (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का भाग या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का भाग) को अस्वीकृत किया जाता है जब परिसंपत्ति से रोकड़ प्रवाहों का संविदागत अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्तियों और तत्पश्चात परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और लाभों के स्वामित्व का का अंतरण करते हैं।

वहन मूल्य और प्राप्त/प्राप्य राशि के बीच के अंतर को लाभ और हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है।

ख) वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

सभी वित्तीय देयताओं की स्वीकृति प्रारंभ में उचित मूल्य पर, तथा ऋण एवं उधार तथा देयताओं के मामले में संव्यवहार लागतों से प्रत्यक्ष सम्बद्ध निवल के अनुसार की जाती है।

कम्पनी की वित्तीय देयताों में व्यापार एवं अन्य देयताएं,ऋण एवं उधार, अन्य वित्तीय देयताएं इत्यादि शामिल हैं।

अनुवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का मापन नीचे प्रस्तुत विवरण के अनुसार उनके वर्गीकरण पर निर्भर है:

- **लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं**

कम्पनी के पास एफवीटीपीएल के अंतर्गत किसी प्रकार की वित्तीय देयताएं नहीं हैं।

- **परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं**

ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताओं का अनुवर्ती मापन ईआईआर विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम देयताओं की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है। परिशोधन लागत का आकलन किसी प्रकार की छूट अथवा अधिग्रहण प्रीमियम तथा शुल्क अथवा लागतों, जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं, को लेखे में लेकर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन में लाभ एवं हानि विवरण की वित्त लागतों को शामिल किया जाता है।

वित्तीय देयताओं की स्वीकृति समाप्ति

किसी वित्तीय देयता की स्वीकृति तब समाप्त होती है जब देयता के दायित्व पूरे कर लिए जाते हैं अथवा रद्द हो जाते हैं अथवा कालातीत हो जाते हैं। जब कोई विद्यमान वित्तीय देयता के स्थान पर समान ऋणदाता से महत्वपूर्ण भिन्न शर्तों पर अथवा विद्यमान देयताओं की शर्तों की संशोधित शर्तों पर

कोई बदलाव किया जाता है तो ऐसे विनिमय अथवा सुधार को मूल देयता की स्वीकृति समाप्ति मानकर नई देयता के प्रति स्वीकृति की जाती है। सम्बद्ध वहन राशियों की भिन्नताओं को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

ग) वित्तीय गारंटी संविदाएं

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी संविदाएं वे संविदाएं हैं जिनमें कंपनी को ऋण माध्यम की शर्तों के अनुसार देय होने पर विशिष्ट ऋणदाता द्वारा भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में धारक को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए भुगतान की अपेक्षा होती है। वित्तीय गारंटी संविदाओं को आरंभिक तौर पर लागतों के संव्यवहारों के लिए समायोजित उचित मूल्य पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है, को प्रत्यक्ष रूप से गारंटी के जारी किए जाने से संबंधित है। तत्पश्चात, देयता को इंड एएस 109 की हानि अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित घाटा भत्ते के राशि तथा स्वीकृत राशि घटा संचित परिशोधन, जो कोई भी अधिक हो, पर मापा जाता है।

घ) वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण

कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति के समय निर्धारित करती है। प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात उन वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी उपकरण अथवा वित्तीय देयता होते हैं। ऋण उपकरणों की वित्तीय परिसम्पतियों के एि पुनःवर्गीकरण तभी किया जाता है जब ऐसी परिसम्पतियों के प्रबंधन के व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन हुआ हो। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन की संभावना कभी कभार होती है। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कम्पनी या किसी ऐसे क्रियाकलाप का निष्पादन करना प्रारंभ करती है अथवा समाप्त करती है जो उसके परिचालनों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों का वर्गीकरण करती है तो ऐसा पुनःवर्गीकरण उत्तरव्यापी प्रभाव से अगली रिपोर्टिंग अवधि के तत्काल निकट अगले दिन से व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन करके किया जाता है। कम्पनी स्वीकृत लाभों, हानियों (क्षमता लाभ अथवा हानियों सहित) अथवा ब्याज की पुनः प्रस्तुति नहीं करती है।

ड.) वित्तीय माध्यमों की ऑफसेटिंग

स्वीकृत राशियों का समंजन करने के संबंध में चालू प्रवर्तनीय संविदागत विधिक अधिकार होने तथा परिसम्पतियों से प्राप्ति एवं साथ ही साथ देयताओं का निपटान निवल आधार पर करने की मंशा होने की स्थिति में वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं, एवं तुलन पत्र में सूचित की गई राशियों का समंजन किया जाएगा।

2.2.19 उचित मूल्य मापन

कम्पनी द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसम्पति को बेचने अथवा किसी देयता को अंतरित करने के लिए दिए जाने के लिए बाजार प्रतिभागियों के साथ मापन की तिथि को प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन ऐसे अनुमान पर आधारित है जो परिसम्पति को बेचने के संव्यवहार अथवा देयता का अंतरण करने के उद्देश्य से या तो :

- उत्तम बाजार में परिसम्पतियों अथवा देयताओं के लिए; अथवा
- उत्तम बाजार न होने पर परिसम्पतियों एवं देयताओं के अत्यधिक लाभकारी बाजार में। उत्तम अथवा लाभकारी बाजार कम्पनी की पहुंच के दायरे में होना चाहिए।

किसी परिसम्पति अथवा देयता के उचित मूल्य का मापन बाजार प्रतिभागियों के ऐसे अनुमानों के अनुसार यह मानकर किया जाता है कि वे इसमें आर्थिक उत्तम हित में बाजार प्रतिभागी क्रिया कर रहे हैं।

किसी गैर–वित्तीय परिसम्पति के उचित मूल्य का मापन उच्चतर एवं बेहतर उपयोग से परिसम्पति का उपयोग आर्थिक लाभों की उत्पति के संबंध में बाजार प्रतिभागियों की क्षमता को विचार में लेकर अथवा इसकी बिक्री किसी अन्य बाजार कर करके, जो परिसम्पति का उपयोग उच्चतर एवं बेहतर ढंग से कर सकता है, किया जाता है।

कम्पनी द्वारा मूल्यांकन तकनीकी का उपयोग किया जाता है ऐसी परिस्थितियों के लिए उचित हैं तथा जिनके संबंध में वह पर्याप्त डेटा उचित मूल्य के मापन के उद्देश्य से उपलब्ध है, जिनसे सम्बद्ध प्रेक्षण योग्य इनपुट का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा तथा गैर–प्रेक्षण योग्य इनपुट का उपयोग न्यूनतम किया जा सकेगा।

सभी परिसम्पतियां एवं देयताओं, जिनके संबंध में उचित मूल्य पर मापन अथवा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया गया है, का वर्गीकरण उचित मूल्य की तारतम्यता का अनुसरण करके किया गया है जो न्यूनतम स्तर के इनपुट पर आधारित है तथा पूर्ण रूप से उचित मूल्य पर मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं:–

- स्तर 1 – समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा देयताओं के सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर–समायोजित) बाजार मूल्य

- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।

- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गैर–प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।

ऐसी परिसम्पतियों एवं देयताओं के संबंध में, जो आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत की गई हैं, कम्पनी द्वारा स्तरों के मध्य के स्तरों पर तारतम्यता में अंतरण किए जाने के निर्धारण (न्यूनतम स्तर इनपुट पर आधारित जो पूर्ण उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जाते हैं।

महत्वपूर्ण परिसम्पतियों एवं देयताओं, यदि कोई हों, के लिए बाह्य मूल्यांककों की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा उन परिसम्पतियों एवं देयताओं के मूल्य के संचलनों का विश्लेषण किया जाता है जिनका मापन अथवा पुनःमापन कम्पनी की लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जाना अपेक्षित होता है।

उचित मूल्य के प्रकटीकरण के लिए कम्पनी द्वारा परिसम्पतियों एवं देयताओं के वर्ग उनकी प्रकृति, विशिष्टताओं एवं परिसम्पति अथवा देयता से जुड़े जोखिमों तथा ऊपर स्पष्ट की गई तारतम्यता के अनुसार उचित मूल्य के स्तर के आधार पर किए जाते हैं।

ऊपर उचित मूल्य के लिए लेखांकन नीतियों का संक्षेप प्रस्तुत किया गया है। उचित मूल्य से संबंधित अन्य प्रकटीकरण सम्बद्ध नोटों में किए गए हैं।

2.2.20 बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां

जब किसी परिसम्पति का धारण उसकी वहन लागत की वसूली मूलतः बिक्री संव्यवहार के लिए किया जाता है तथा बिक्री संव्यवहार की संभावना काफी विश्वसनीय होती है तो गैर–चालू परिसम्पतियां (अथवा निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियों के रूप में किया जाता है। किसी बिक्री को काफी विश्वसनीय तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए उपलबध हो तथा बिक्री न होने की संभावना न हो एवं बिक्री की प्रक्रिया वर्गीकरण किए जाने से एक वर्ष में की जानी संभावित हो। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों को उल्लिखित वहन राशि से कम मूल्य पर तथा बिक्री की लागतों को घटाकर उचित मूल्य किया जाता है। बिक्री के धारित का वर्गीकरण करने के पश्चात सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश सम्पति एवं अमूर्त परिसम्पतियों का मूल्यह्रास अथवा परिशोधन नहीं किया जाता है। बिक्री / वितरण के वर्गीकृत के साथ धारित परिसम्पतियों की प्रस्तुति तुलन पत्र में अलग से की जाती है।

यदि इंड एएस 105 ''बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां'' के उल्लिखित मापदंडों को पूरा नहीं किया जाता है तो बिक्री के लिए धारित निपटान समूहों का वर्गीकरण समाप्त कर दिया जाता है। वर्गीकरण समाप्त की गई बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियों का मापन – (1) बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पति के रूप में वर्गीकरण से पूर्व उसकी वहन राशि, मूल्यह्रास के समायोजन के पश्चात जो तब किया जाता जब बिक्री के धारित परिसम्पति का वर्गीकरण न होगा, तथा (2) उस तिथि की उसकी वसूली योग्य राशि जब निपटान समूह का वर्गीकरण बिक्री के धारित के लिए समाप्त किया गया था, से न्यून किया जाता है। मूल्यह्रास रिर्वसल समायोजन से संबंधित सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश परिसम्पति तथा अमूर्त परिसम्पतियों को उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में

प्रभारित किया जाता जिस अवधि में गैर–चालू परिसम्पतियों का धारण बिक्री के लिए किए जाने के मापदंड पूरे नहीं हो पाते हैं।

2.2.21 पूर्वावधि समायोजन

चालू वर्ष में पूर्वावधि से संबद्ध चूक/अकरण पाई जाने पर यदि प्रत्येक एवं अकरण का औसत कम्पनी के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल परिचालन राजस्व के 0.50 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है तो उसका उपचार सारहीन रूप से किया जाता है तथा उसका समायोजन चालू वर्ष में किया जाता है।

2.2.22 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान एवं निर्धारण

उक्त वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए उपयोग में लाए गए अनुमानों का अनवरत मूल्यांकन कम्पनी द्वारा किया जाता है तथा ये ऐतिहासिक अनुभव एवं विभिन्न अन्य अनुमानों एवं कारकों (भावी घटनाओं की संभावनाओं सहित), जिनके प्रति कम्पनी का विश्वास विद्यमान परिस्थितियों के कारण औचित्यपरक रूप से है, पर आधारित होते हैं। ऐसे अनुमान ऐसे तथ्यों एवं घटनाओं पर आधारित होते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि को विद्यमान हैं अथवा जिनका आस्तित्व इस तिथि के पश्चात हुआ है परन्तु विद्यमान स्थितियों के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि को इनका आस्तित्व होने के अतिरिक्त प्रमाण उपलब्ध हैं। तथापि, कम्पनी द्वारा ऐसे अनुमानों, वास्तविक परिणामों का नियमित मूल्यांकन किया जाता है परन्तु ऐसे अनुमान आंके जाने के समय औचित्यपरक होते हुए इनके वास्तविक परिणाम सामग्रीगत रूप से भिन्न हो सकते हैं तथा ऐसे परिणाम ऐतिहासिक अनुभव अथवा अनुमानों से भिन्न होने पर भी पूरी तरह से सटीक नहीं होते हैं। अनुमानों में होने वाले परिवर्तनों की स्वीकृति उस अवधि के वित्तीय विवरणों में की जाती है जिस अवधि में ये ज्ञात होते हैं।

रिपोर्टिंग तिथि को भावी एवं अन्य प्रमुख स्रोतों के अनुमानों की अनिश्चितता से संबंधित प्रमुख अनुमान, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष में परिसम्पतियों एवं देयताओं की वहन राशियों में सामग्रीगत समायोजन की उत्पति का महत्वपूर्ण जोखिम व्याप्त है, का वर्णन नीचे किया गया है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

(क) ग्रहित न किए गए व्यापार प्राप्यों के लिए प्रावधान

व्यापार प्राप्यों के साथ ब्याज नहीं होता है तथा इनकी प्रस्तुत उनके सामान्य मूल्यों पर अनुमानित वसूलीयोग्य राशि पर छूट करके प्रदान की जाती है जो प्राप्य शेष एवं ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित होती है। व्यापार प्राप्यों का अलग अलग बट्टा तब किया जाता है जब प्रबंधन को उनकी वसूली संभव प्रतीत नहीं होती है।

(ख) निर्धारित लाभ योजनाएं

सेवानिवृत्ति के बाद लाभ दायित्व की लागत बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित की जाती है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न अवधारणाओं का निर्धारण शामिल है, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर का निर्धारण, भविष्य में वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और भविष्य की पेंशन वृद्धि शामिल है। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, एक निर्धारित लाभ दायित्व, इन मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है।

(ग) आकस्मिताएं

कम्पनी के प्रति व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान आकस्मिक देयताओं की उत्पति न्यायिक मामलों एवं अन्य दावों के परिणामस्वरूप होती है। ये ऐसे दायित्व होते हैं जिनके संबंध में प्रबंधन सभी उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर संबंधित भुगतान अथवा कठिनाई के परिमाण के अनुमान विश्वसनीयता से नहीं आंक सकती है तथा ऐसे दायित्वों को आकस्मिक दायित्व मानकर इनका प्रकटीकरण नोटों में किया गया है। इस प्रकार, कम्पनी के फसाव वाली विधिक प्रक्रियाओं के अंतिम प्रतिफल का ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, जिससे आकस्मिकताओं का सामग्रीगत प्रभाव का कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर होने के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सके।

(घ) वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

वित्तीय परिसम्पतियों के लिए अक्षमता प्रावधान चूक जोखिमों एवं संभावित हानि दरों के अनुमानों पर आधारित होते हैं। कम्पनी अपने विवेक का उपयोग करके ऐसे अनुमान लगाकर अक्षमता इनपुट का

आकलन करती है जो कम्पनी के पूर्व इतिहास, बाजार स्थितियों के आधार एवं प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लगाए जाने वाले वाले भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं।

(ड.) कर

जटिल कर विनियमों की व्याख्या, कर विधियों में बदलाव एवं राशि एवं भावी करयोग्य आय के संबंध में अनिश्चितताएं व्याप्त होती हैं। व्यापार के स्वरूप के कारण वास्तविक परिणाम एवं लगाए गए अनुमानों अथवा ऐसे अनुमानों में भावी परिवर्तनों से होने वाली भिन्नताओं के कारण पहले से रिकार्ड की गई कर आय एवं व्यय में भविष्य में समायोजन करने पड़ सकते हैं। कम्पनी द्वारा ऐसे औचित्यपरक अनुमानों के आधार पर प्रावधान स्थापित किए गए हैं। ऐसे प्रावधानों की राशि पूर्व कर लेखापरीक्षा के अनुभव एवं करयोग्य इकाईयों द्वारा की गई कर की भिन्नताओं की व्याख्या जैसे विभिन्न कारकों पर आधारित होती है। व्याख्या में भिन्नता के कारण कम्पनी के कार्यक्षेत्र में व्याप्त परिस्थितियों से विभिन्न प्रकार के अनेक मामले उत्पन्न हो सकते हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस विस्तार तक की जाती है जहां तक ऐसी विश्वसनीयता हो कि इससे करयोग्य लाभ प्राप्त होंगे जिनके प्रति हानियों का उपयोग किया जा सकेगा। आस्थगित कर परिसम्पतियों की राशि के स्वीकृति योग्य निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है जो समय की अनुकूलता एवं भावी करयोग्य लाभ के स्तर के साथ साथ भावी कर योजना रणनीतियों पर आधारित होते हैं।

(च) गैर–वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

अक्षमता तब उत्पन्न होती है जब किसी परिसम्पति रोकड़ उत्पति यूनिट का वहन मूल्य उसकी वसूलीयोग्य राशि से अधिक हो जाता है तथा जो उसकी निपटान लागतों एवं उपयोग मूल्य को घटाकर उचित मूल्य से अधिक होता है। उचित मूल्य घटाकर निपटान लागत के आकलन आर्म लैंथ पर किए गए बाध्यकारी बिक्री संव्यवहारों से उपलब्ध डेटा पर आधारित होते हैं जो परिसम्पति के निपटान की आवर्धित लागतों को घटाकर समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा प्रत्यक्ष बाजार मूल्यों के अनुसार होते हैं। उपयोग मूल्य का आकलन डीसीएफ मॉडल पर आधारित होता है।

(छ) बिक्री के लिए धारित गैर चालू परिसंपत्तियां

गैर चालू परिसंपत्तियों (या निपटान समूहों) को परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसे बिक्री के लिए धारित किया गया है जब इसकी प्रतिधारण राशि को बिक्री संव्यवहार तथा के माध्यम से सैद्धांतिक रूप से वसूली की जाए और बिक्री को अत्यधिक संभावित है। बिक्री को अत्यधिक संभावित तब माना जाता है जब परिसंपत्ति निपटान समूह अपनी वर्तमान शर्तें पर तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह संभव नहीं है कि बिक्री को वापस लिया जाएगा और वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर।

(ज) पट्टा– संवर्धात्मक ऋण दर का अनुमान

कम्पनी पट्टे की अंतर्निहित ब्याज दरों का निर्धारत तत्परता से नहीं कर सकती है, तदनुसार, कम्पनी द्वारा अपनी पट्टा देयताओं के मापन के लिए अपनी आवर्धित ऋण दर (आईबीआर) का उपयोग किया जाता है। आवर्धित ऋण दर वह ब्याज दर है जो कम्पनी को समान प्रकार की शर्तों पर, समान प्रकार की सुरक्षा के साथ, समान मूल्य पर परिसम्पति की प्राप्ति के लिए आवश्यक निधियों की प्राप्ति पर समान आर्थिक परिवेश में उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति के लिए आवश्यक ऋण के प्रति भुगतान के लिए करने होते हैं।

(झ) नवीकरण एवं समापन विकल्प के साथ पट्टे के अनुबंध काल का निर्धारण – पट्टेदार के रूप में कम्पनी

कम्पनी पट्टा काल का निर्धारण पट्टे को रद्द न किए जाने की शर्त के साथ करती है जिसमें पट्टे की किन्हीं अवधियों को विस्तारित करने, यदि इसका उपयोग करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, अथवा पट्टे का समापन करने के विकल्प के साथ शामिल अवधियों, यदि इसका उपयोग न करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, का समावेश होता है।

कम्पनी द्वारा ऐसे पट्टा अनुबंध किए गए हैं जिनमें विस्तार एवं समापन के विकल्प हैं। कम्पनी अपने विवेक से यह ज्ञात करती है कि क्या किसी पट्टे का नवीकरण करने अथवा उसका समापन करने के विकल्प के उपयोग के प्रति किसी प्रकार के औचित्यपरक कारक हैं अथवा नहीं हैं। इस प्रकार के सभी सम्बद्ध कारकों पर विचार से कम्पनी के सम्मुख नवीकरण करने अथवा समापन करने के विकल्प के

उपयोग का आर्थिक कारण प्रस्तुत हो जाता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात कम्पनी पट्टा काल का मूल्यांकन करके यह ज्ञात करती है कि क्या परिस्थितियों में किसी प्रकार की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं अथवा बदलाव हुए हैं जो उसके नियंत्रण में हैं तथा जिनके प्रभाव से कम्पनी को नवीकरण अथवा समापन करने के विकल्प का उपयोग करना पड़ सकता है अथवा नहीं करना पड़ सकता है (अर्थात महत्वपूर्ण पट्टाधारित सुधार अथवा पट्टाधारित परिसम्पतियों में महत्वपूर्ण बदलाव)।

अनुमानों की आवश्यकता संविदा के निम्नलिखित पहलुओं के संबंध में भी होती है।

- समापन के स्तर का निर्धारण
- परियोजना समापन तिथि का अनुमान
- भावी हानियों हेतु प्रावधान
- विभिन्न दावों और अंतरों सहित समापन पर अनुमानित कुल राजस्व और अनुमानित कुल लागत।

इनकी समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और चालू सर्वोत्तम अनुमानों को प्रदर्शित करने के लिए इनमें समायोजन किया जाता है।

अनुबंध से संबंधित लागतों एवं राजस्व का संज्ञान अनुबंध क्रियाकलापों की पूर्ति के चरण के अनुसार रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया जाता है जो अनुमानित कुल अनुबंध लागतों की संबंधित तिथियों तक निष्पादित किया गया है जो कि इसकी पूर्णता का चरण नहीं माना जाना है। अनुबंध कार्य की भिन्नताओं तथा दावों को इस विस्तार तक शामिल किया जाता है जिससे इसकी राशियों से मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सके तथा उनकी प्राप्ति की पूर्ण संभावना हो। जब अनुबंध लागतें कुल अनुबंध राजस्व से अधिक होने की संभावना होती है तो तत्काल संभावित हानि की स्वीकृति व्यय के रूप में की जाती है।

लेखा संबंधी नोट

3. परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण

(रूपए करोड में)

विवरण	संयंत्र और मशीनरी	कंप्यूटर	फर्नीचर, फिक्सचर व फर्निशिंग	वातानुकूलन	इलैक्ट्रिक उपकरण	कार्यालय उपकरण	प्रयोगशला उपकरण	वाहन	कुल
लागत या मूल्यांकन-लागत पर									
1 अप्रैल 2021 को	**11.32**	**0.41**	**0.16**	**0.02**	**0.02**	**0.06**	**-**	**0.03**	**12.02**
परिवर्धन	12.04	0.05	-	-	-	0.01	-	-	12.10
निपटान/समायोजन	-	0.09	-	-	-	-	-	-	0.09
31 मार्च 2022 को	**23.36**	**0.37**	**0.16**	**0.02**	**0.02**	**0.07**	**-**	**0.03**	**24.03**
परिवर्धन	7.62	0.07	0.04	-	-	0.05	-	-	7.78
निपटान/समायोजन	1.50	-0.10	-0.01	-0.02	-0.02	-	-	-	1.35
31 मार्च 2023 को	**32.48**	**0.34**	**0.19**	**-**	**-**	**0.12**	**-**	**0.03**	**33.15**
संचित मूल्यह्रास एवं हानि									
1 अप्रैल 2021 को	**7.13**	**0.27**	**0.03**	**0.01**	**-**	**0.04**	**-**	**-**	**7.47**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	0.49	0.06	0.02	-	-	0.02	-	-	0.59
निपटान/समायोजन	-	0.08	-	-	-	-	-	-	0.08
31 मार्च 2022 को	**7.62**	**0.25**	**0.05**	**0.01**	**-**	**0.06**	**-**	**-**	**7.98**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	1.87	0.06	0.02	-	-	0.02	-	-	1.97
निपटान/समायोजन	1.50	-0.08	-	-0.01	-0.02	-0.02	-	-	1.37
31 मार्च 2023 को	**10.99**	**0.23**	**0.07**	**-**	**-0.02**	**0.06**	**-**	**-**	**11.32**
निवल बही मूल्य									
31 मार्च 2023 को	**21.49**	**0.11**	**0.12**	**-**	**0.02**	**0.06**	**-**	**0.03**	**21.83**
31 मार्च 2022 को	**15.74**	**0.12**	**0.11**	**0.01**	**0.02**	**0.01**	**-**	**0.03**	**16.05**

पीपीई प्रकटन

व्यवसाय विशिष्ट उपयोग, परिसंपत्तियों के उपभोग पैटर्न और समान परिसंपत्तियों के पिछले प्रदर्शन पर विचार करते हुए तकनीकी मूल्यांकन द्वारा समर्थित उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन इस प्रकार है :

परिसंपत्तियों की श्रेणी	अनुसूची II के अनुसार उपयोगी जीवन (वर्षों में)	तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर अपनाया गया उपयोगी जीवन (वर्षों में)
भवन/फ्लैट आवासीय/गैर आवासीय *	60	8-60
संयंत्र और मशीनरी *	8-15	1-15
सर्वेक्षण उपकरण	10	10
कंप्यूटर	3-6	3-6
कार्यालय उपकरण	5–10	5–10
फ़र्निचर व फिक्सचर	10	10
कारवां, शिविर और अस्थायी शेड	3-5	3-5
वाहनों	8-10	8-10

*संपत्ति के उपयोगी जीवन के निर्धारण के लिए संपत्ति के प्रत्येक महत्वपूर्ण घटक पर विचार किया गया है।

4. गैर चालू परिसंपत्तियां

प्रगतिरत कार्य

(रूपए करोड में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2021 को प्रारंभिक शेष	**2.88**
परिवर्धन (बाद का व्यय)	2.30
समायोजन	-4.43
हानि	-0.75
31 मार्च 2022 को समापन शेष	-
1 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक शेष	-
परिवर्धन (बाद का व्यय)	-
समायोजन	-
हानि	-
31 मार्च 2023 को समापन शेष	-
कुल पुस्तक मूल्य	
31 मार्च 2023 तक सीडब्ल्यूआईपी	-
31 मार्च 2022 तक सीडब्ल्यूआईपी	-

4.1 पूंजीगत कार्य-प्रगति उम्र बढ़ने की अनुसूची- 31 मार्च 2023 तक (रूपए करोड में)

सीडब्ल्यूआईपी	निम्न अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिरत परियोजनाएं	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

31 मार्च 2022 को (रूपए करोड में)

सीडब्ल्यूआईपी	निम्न अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिरत परियोजनाएं	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

31 मार्च 2023 तक

प्रगतिरत पूंजीगत कार्य का विवरण (रूपए करोड में)

* विकासाधीन संपत्तियों का विवरण	1 अप्रैल, 2022 तक प्रारंभिक शेष	वर्ष 2022-23 के दौरान संवर्धन	सीडब्ल्यूआईपी का पूंजीकरण मूर्त रूप में संपत्ति/बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति में स्थानांतरण	31 मार्च, 2023 तक शेष राशि
प्रगतिरत पूंजीगत कार्य (ट्रैक मशीनें)				
ट्रैक मशीन सीएसएम 906	-	-	-	-
ट्रैक मशीन सीएसएम 911	-	-	-	-
ट्रैक मशीन यूएनआईएमएटी 8255	-	-	-	-
ट्रैक मशीन का व्यय	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**

31 मार्च 2022 को (रूपए करोड में)

* विकासाधीन संपत्तियों का विवरण	1 अप्रैल, 2021 तक प्रारंभिक शेष	वर्ष 2021-22 के दौरान संवर्धन	सीडब्ल्यूआईपी का पूंजीकरण मूर्त रूप में संपत्ति/बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति में स्थानांतरण	31 मार्च, 2022 तक शेष राशि
पूंजीगत कार्य प्रगति पर (ट्रैक मशीनें)				
ट्रैक मशीन सीएसएम 906	0.84	0.09	0.94	-
ट्रैक मशीन सीएसएम 911	0.84	0.09	0.94	-
ट्रैक मशीन यूएनआईएमएटी 8255	1.20	2.11	3.31	-
कुल	**2.88**	**2.29**	**5.19**	**-**

5. अमूर्त परिसंपत्तियां (रूपए करोड में)

विवरण	साफ्टवेयर	पट्टा अधिकार	कुल
1 अप्रैल 2021 को आरंभिक शेष	-	**95.15**	**95.15**
वर्ष के दौरान संवर्धन समायोजन			
31 मार्च **2022** को समापन शेष	-	**95.15**	**95.15**
वर्ष के दौरान संवर्धन समायोजन			
31 मार्च **2023** को समापन शेष	-	**95.15**	**95.15**
1 अप्रैल 2021 को आरंभिक शेष	-	**12.18**	**12.18**
परिशोधन	-	2.15	2.15
हानि समायोजन	- -	- -	- -
31 मार्च **2022** को समापन शेष	-	**14.33**	**14.33**
परिशोधनप हानि समायोजन	- - -	2.15 - -	2.15 - -
31 मार्च **2023** को समापन शेष	-	**16.48**	**16.48**
निवल बही मूल्य			
31 मार्च 2023 को	-	**78.67**	**78.67**
31 मार्च 2022 को	-	**80.82**	**80.82**

1. पट्टा अधिकार :- कंपनी ने विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स (एमएफसी) बनाने के लिए आरएलडीए (रेल भूमि विकास प्राधिकरण) के साथ एक समझौता किया है। भूमि रेलवे की है और कंपनी ने उस पर भवन का निर्माण किया है और एमएफसी के प्रारंभ होने की तारीख से 45 वर्ष का पट्टा अधिकार (वाणिज्यिक अधिकार) प्राप्त किया है।

2. लीज अधिकारों का परिशोधन उस तिथि से लीज अवधि के दौरान किया गया है, जब संबंधित परियोजना आनुपातिक आधार पर वाणिज्यिक संचालन में आती है। वर्ष के दौरान परिशोधित राशि 2.15 करोड़ रुपये (वित्तीय वर्ष 2021-22 2.15 करोड़ रुपये)।

6 गैर चालू परियंपत्तियां

6.1 ऋण

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
स्टाफ ऋण [1]		
क. वसूलीयोग्य : रक्षित	0.01	0.03
कुल	**0.01**	**0.03**

[1]ऊपर बताए गए ऋणों और अग्रिमों में कंपनी के अधिकारियों द्वारा देय ऋण शामिल नहीं हैं, जिस फर्म का निदेशक भागीदार है या निजी कंपनी जिसका निदेशक सदस्य है।

6.2 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
वसूलीयोग्य : अरक्षित		
12 महीने से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा (बैंक गारंटी)2	3.27	2.90
स्टाफ ऋण और अग्रिमों पर संचित ब्याज	0.02	0.03
कुल	**3.29**	**2.93**

1 31 मार्च 2023 को 3.27 करोड़ रूपए (31 मार्च 2022 रु. 2.90 करोड़) म्यांमार सड़क परियोजना के लिए विदेश मंत्रालय को जारी बीजी के लिए 100% मार्जिन के मुकाबले वैधानिक अधिकारियों को गिरवी रखी गई सावधि जमा का प्रतिनिधित्व करता है।

7 **आस्थगित कर संपत्ति और आयकर**

इंड एएस 12 "आय कर" के अनुसार प्रकटीकरण

(क) 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आयकर व्यय के प्रमुख घटक हैं:

(रूपए करोड में)

क्र.सं	विवरण	समाप्त वर्ष हेतु	
		31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
1	**लाभ एवं हानि अनुभाग**		
	वर्तमान आयकर :		
	वर्तमान आयकर शुल्क	8.41	3.62
	पिछले वर्ष के वर्तमान कर के संबंध में समायोजन	-0.11	4.78
	आस्थगित कर :	-	-
	अस्थाई मतभेदों की उत्पत्ति एवं निराकरण के संबंध में	-6.50	-0.35
	लाभ और हानि अनुभाग में आयकर व्यय की सूचना दी गई	**1.80**	**8.05**
2	**अन्य व्यापक आय (ओसीआई) खंड**		
	वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित आयकर:		
	परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्माप पर शुद्ध हानि/(लाभ)।	0.01	-
	विदेशी परिचालन अंतरण पर शुद्ध हानि/(लाभ)।		
	ओसीआई खंड में आयकर व्यय की सूचना दी गई	**0.01**	-

(ख) 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 के लिए भारत की घरेलू कर दर से गुणा किए गए कर व्यय और लेखांकन लाभ का समाधान:

(रूपए करोड में)

क्र.सं	विवरण	समाप्त वर्ष हेतु	
		31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
1	आयकर से पहले लेखांकन लाभ	7.13	13.35
2	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कॉर्पोरेट कर की दर	29.12%	29.12%
3	लेखांकन लाभ पर कर (3) = (1) * (2)	2.08	3.89
4	कर समायोजन का प्रभाव:	-	-
(i)	पिछले वर्षों के वर्तमान आयकर के संबंध में समायोजन	-0.11	4.78
(ii)	पहले से अज्ञात कर हानियों का उपयोग		
(iii)	दर अंतर का प्रभाव	-	-
(iv)	आय पर कर से छूट	-	-
(v)	कर उद्देश्यों के लिए गैर-कटौती योग्य व्यय:	-	-
	अन्य देश अतिरिक्त कर	-	-
	अन्य गैर-कटौती योग्य व्यय	-	-
(vi)	विभिन्न अन्य वस्तुओं का कर प्रभाव	-0.16	-0.62
5	**लाभ और हानि के विवरण में आयकर व्यय की सूचना दी गई**	**1.81**	**8.05**
6	प्रभावी कर की दर		

(ग) तुलन पत्र और लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त आस्थगित कर (संपत्ति) और देनदारियों के घटक

(रूपए करोड में)

क्र.सं	विवरण	तुलन पत्र		लाभ और हानि विवरण	
		31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित): बही मूल्यह्रास और	8.76	9.02	(0.26)	(0.31)
2	प्रावधानों	-8.29	(0.56)	(7.73)	(0.23)
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43ख के तहत अस्वीकृत मदें			-	-
4	चालू वर्ष और पहले के वर्षों में लाभ और हानि के विवरण पर लगाए गए व्यय का प्रभाव, लेकिन भुगतान के आधार पर कर उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य			-	-
5	वित्तीय साधनों का उचित मूल्यांकन			-	-
6	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुअल फंड पर अप्रयुक्त लाभ/हानि			-	-
7	एमएफसी के एकमुश्त डाउनपेमेंट पर आस्थगित कर सहायता	(2.65)	(4.13)	1.48	0.19
	शुद्ध (आस्थगित कर संपत्ति)/देनदारियाँ	**-2.18**	**4.33**	**(6.51)**	**(0.35)**

(घ) तुलन पत्र म ानम्नानुसार दशाया गया ह:

(रूपए करोड में)

क्र.सं	विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
1	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	(10.94)	(4.69)
2	विलम्बित कर देयता	8.76	9.02
	(स्थगित कर परिसंपत्ति)/देनदारियाँ (शुद्ध)	**-2.18**	**4.33**

नोट: आस्थगित कर परिसंपत्तियों और आस्थगित कर देनदारियों की भरपाई कर दी गई है क्योंकि वे समान शासकीय कानूनों से संबंधित हैं।

(ड.) आस्थगित कर (देनदारियाँ)/संपत्ति का समाधान:

31 मार्च 2023 तक **(रूपए करोड में)**

क्र.सं.	विवरण	निवल शेष 1 अप्रैल 2022 तक	लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी गई	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	31 मार्च 2023 तक शुद्ध शेष
1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित): बही मूल्यह्रास और आयकर मूल्यह्रास में अंतर	9.02	-0.26	-	8.76
2	प्रावधानों	(0.56)	(7.72)	-0.01	(8.29)
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43ख के तहत अस्वीकृत वस्तु	-	-	-	-
4	चालू वर्ष और पहले के वर्षों में लाभ और हानि के विवरण पर लगाए गए व्यय का प्रभाव, लेकिन भुगतान के आधार पर कर उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य	-	-	-	-
5	वित्तीय साधनों का उचित मूल्यांकन	-	-	-	-
6	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुअल फंड पर अप्रयुक्त लाभ/हानि	-	-	-	-
7	एमएफसी के एकमुश्त डाउनपेमेंट पर आस्थगित कर सहायता	(4.13)	1.48	-	(2.65)
	शुद्ध आस्थगित कर संपत्ति/(देनदारियाँ)	**4.33**	**-6.50**	**-0.01**	**-2.18**

(च) आस्थगित कर (देनदारियाँ)/संपत्ति का समाधान:

31 मार्च 2022 तक **(रूपए करोड में)**

क्र.सं.	विवरण	निवल शेष 1 अप्रैल 2021 तक	लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी गई	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	31 मार्च 2022 तक शुद्ध शेष
1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित): बही मूल्यह्रास और आयकर मूल्यह्रास में अंतर	9.33	-0.31	-	9.02
2	प्रावधानों	(0.33)	(0.23)	-	(0.56)
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के तहत अस्वीकृत वस्तु	-	-	-	-
4	चालू वर्ष और पहले के वर्षों में लाभ और हानि के विवरण पर लगाए गए व्यय का प्रभाव, लेकिन भुगतान के आधार पर कर उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य	-	-	-	-
5	वित्तीय साधनों का उचित मूल्यांकन	-	-	-	-
6	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुअल फंड पर अप्रयुक्त लाभ/हानि	-	-	-	-
7	एमएफसी के एकमुश्त डाउनपेमेंट पर आस्थगित कर सहायता	(4.32)	0.19	-	(4.13)
	शुद्ध आस्थगित कर संपत्ति/(देनदारियाँ)	**4.68**	**-0.35**	**-**	**4.33**

8 वर्तमान संपत्ति

दरसूची

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
कच्चा माल (लागत या एनआरवी पर मूल्यांकित, जो भी कम हो जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो)		
सामग्री एवं भण्डार		
- हाथ में	5.40	4.32
- तीसरे पक्ष के साथ	-	-
- रास्ते में	-	-
कुल	**5.40**	**4.32**

9 वित्तीय पूंजी

9.1 व्यापार प्राप्तियां

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
वसूलीयोग्य : अरक्षित		
व्यापार प्राप्य 1	78.61	90.68
कुल	**78.61**	**90.68**

1 व्यापार प्राप्य का विवरण

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
रक्षित, वसूलीयोग्य	12.49	-
अरक्षित, वसूलीयोग्य		
(क) संबंधित पक्ष से -		
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड 2	**3.75**	0.19
(बी) दूसरों से3	62.37	90.49
व्यापार प्राप्य जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई	3.96	-
व्यापार प्राप्य - ऋण जोखिम	24.13	-
	106.70	90.68
हानि भत्ता (अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता)	-	-
अरक्षित, वसूलीयोग्य 4	-	
व्यापार प्राप्य जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई	-3.96	-
व्यापार प्राप्य - क्रेडिट जोखिम 4	-24.13	-
	-	-
कुल व्यापार प्राप्य	**78.61**	**90.68**

जिसमें निदेशक सदस्य है, द्वारा देय ऋण शामिल नहीं हैं, सिवाय नीचे बताए गए:

2 नोट क्रमांक 35(घ) देखें

3 अन्य व्यापार प्राप्य में 1.99 करोड़ और 24.13 करोड़ रुपये (ऋण बाधित) रुपये की प्राप्य राशि शामिल है जो विवाद में हैं।

4 हानि भत्ते में 24.13 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है। मल्टीफ़ंक्शनल कॉम्प्लेक्स से संबंधित प्राप्य जिन्हें समाप्त कर दिया गया था, और शेष प्राप्य के लिए कंपनी ने इंड एएस 109 के तहत ईसीएल की गणना की है और 3.91 करोड़ रुपये के लिए ईसीएल को मान्यता दी है।

व्यापार प्राप्य एजिंग शेड्यूल-

विवरण	बिना बिल	अदेय	भुगतान की नियत तिथि से 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया					कुल
			6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - वसूलीयोग्य माना गया			42.08	9.87	11.22	6.03	7.42	76.62
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि			0.27	0.31	0.85	0.83	1.70	3.96
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण जोखिम							-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य को वसूलीयोग्य माना गया							1.99	1.99
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई								-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट जोखिम			3.47	2.91	6.12	3.84	7.79	24.13
कुल			**45.82**	**13.09**	**18.19**	**10.70**	**18.90**	**106.70**

व्यापार प्राप्य एजिंग शेड्यूल-

विवरण	बिना बिल	अदेय	भुगतान की नियत तिथि से 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया					कुल
			6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - वसूलीयोग्य माना गया			21.65	8.08	18.04	19.69	21.23	88.69
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि								-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण जोखिम							-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य को वसूलीयोग्य माना गया							1.99	1.99
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई								-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट जोखिम								-
कुल			**21.65**	**8.08**	**18.04**	**19.69**	**23.22**	**90.68**

9.2 नकद और नकद समतुल्य

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
उपलब्ध नकद	-	0.04
बैंकों में शेष	-	-
चालू खातों में [1]	0.90	2.50
फ्लैक्सी खातों में [1]	30.20	36.80
कुल	**31.10**	**39.34**

[1] दिनांक 31 मार्च 2023 तक 31.10 करोड़ रुपये में से 19.23 करोड़ रुपये ग्राहक से प्राप्त धनराशि है (31 मार्च 2022 39.34 करोड़ रुपये में से 32.57 करोड़ रुपये ग्राहक से प्राप्त धनराशि है) जिस पर उन्हें ब्याज दिया जाता है।

9.3 अन्य बैंक शेष

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
अन्य बैंक शेष		
3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमाराशियाँ 1	105.30	95.21
कुल	**105.30**	**95.21**

[1] '31 मार्च 2023 तक 105.30 करोड़ रुपये में से 58.30 करोड़ रुपये क्लाइंट फंड हैं (31 मार्च 2022 को 95.21 करोड़ रुपये में से 56.21 करोड़ रुपये क्लाइंट फंड हैं) जिस पर ब्याज उन्हें दिया जाता है।

9.4 ऋण

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
वसूलीयोग्य : अरक्षित		
कर्मचारी ऋण [1]		
क. वसूलीयोग्य : रक्षित	0.02	0.02
कुल	**0.02**	**0.02**

[1]ऊपर बताए गए ऋणों और अग्रिमों में कंपनी के अधिकारियों द्वारा देय ऋण शामिल नहीं हैं, जिस फर्म में निदेशक भागीदार है या निजी कंपनी जिसका निदेशक सदस्य है।

9.5 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
वसूलीयोग्य : राक्षित		
12 महीने से कम की शेष परिपक्वता वाली सावधि जमा) 2	0.01	-
12 महीने से कम की शेष परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा (बैंक गारंटी) 3	-	0.27
प्रतिभूति जमा राशि		
- वैधानिक विभागों के साथ -	-	0.02
- दूसरों के साथ	0.03	0.03
बैंक में एफडीआर पर अर्जित ब्याज	3.52	2.58
बयाना राशि	0.20	0.20
दूसरों से वसूली योग्य राशि	2.99	0.17
- बिलयोग्य राजस्व	13.84	1.49
- ग्राहक के पास रक्षित राशि	1.84	1.10
- ग्राहक द्वारा प्रतिधारित राशि	6.54	0.20
कुल	**28.97**	**6.06**

2 दिनांक 31 मार्च 2023 को 0.01 करोड़ रुपये वैधानिक प्राधिकारियों के पास रखी गई सावधि जमा राशि को दर्शाता है (31 मार्च 2022 तक शून्य करोड़ रुपये)।

3 दिनांक 31 मार्च 2023 तक शून्य करोड़ रुपये (31 मार्च 2022 तक 0.27 करोड़ रुपये हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय को जारी बैंक गारंटी के प्रति रखी गई सावधि जमा को दर्शाता हैं)"

10 चालू कर संपत्ति (शुद्ध)

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
आयकर का प्रावधान (अग्रिम कर और टीडीएस का शुद्ध)	-	0.97
कुल	**-**	**0.97**

11 अन्य चालू परिसंपत्तियां

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
ठेकेदार को अग्रिम	6.04	6.94
ठेकेदार को अग्रिम पर अर्जित ब्याज	-	0.41
अन्य		
पूर्व प्रदत्त व्यय	-	0.02
कर्मचारियों को अग्रदाय	-	0.01
जीएसटी इनपुट कर - नेवल	14.35	16.60
कुल	**20.39**	**23.98**

12 बिक्री हेतु प्रतिधारित संपत्ति

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
निपटान के लिए प्रतिधारित संपत्ति 1	0.70	1.12
	0.70	**1.12**

1 नोट 36 देखें

13 इक्विटी शेयर पूंजी

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
10 रुपये मूल्य के 6,50,00,000 इक्विटी शेयर-पूर्ण भुगतान		
(31.03.2022 तक 10 रुपये के 6,50,00,000 इक्विटी शेयर)	65.00	65.00
	65.00	65.00
जारी/अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी		
10 रुपये मूल्य के 6,50,00,000 इक्विटी शेयर-पूर्ण भुगतान		
(31.03.2022 तक 10 रुपये के 6,50,00,000 इक्विटी शेयर)	65.00	65.00
	65.00	65.00

कंपनी में 5% से अधिक हिस्सेदारी रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

(सख्या म)

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
	शेयरों की संख्या	श्रेणी में प्रतिशत धारिता	शेयरों की संख्या	श्रेणी में प्रतिशत धारिता
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड- होल्डिंग कंपनी और 7 नामांकित व्यक्ति	6,50,00,000.00	**100.00**	6,50,00,000.00	**100.00**
कुल	**6,50,00,000.00**	**100.00**	**6,50,00,000.00**	**100.00**

समग्र संख्या बोनस के रूप में जारी किए गए इक्विटी शेयर, नकदी के अलावा अन्य जारी किए गए शेयर और रिपोर्टिंग तिथि से तत्काल पूर्व पांच वर्ष की अवधि के दौरान वापस खरीदे गए शेयर...

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
	संख्या में	संख्या में	संख्या में	संख्या में	संख्या में
नकदी के अलावा इक्विटी शेयर आवंटित	-	-	-	-	-
बोनस के रूप में जारी इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

वर्ष के आरंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों और शेयर पूंजी की संख्या का जोड

विवरण	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
	शेयरों की संख्या	रूपए करोड में	शेयरों की संख्या	रूपए करोड में
वर्ष की आरंभ में जारी/अभिदत्त और प्रदत्त इक्विटी पूंजी बकाया	6,50,00,000.00	65.00	6,50,00,000.00	65.00
जोड़ें: पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण परिवर्तन	-	-	-	-
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि प्रतिधारित	6,50,00,000.00	65.00	6,50,00,000.00	65.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में जारी/अभिदत्त और प्रदत्त इक्विटी पूंजी बकाया	**6,50,00,000.00**	**65.00**	**6,50,00,000.00**	**65.00**

नोट :

इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें/अधिकार:

(i) मतदान

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है जिसका सममूल्य 10 रुपये प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है।

(ii) तरलता

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद, कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

(iii) लाभांश

निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है

प्रमोटर की शेयरधारिता का विवरण इस प्रकार है:-

विवरण	अवधि/वर्ष के अंत में प्रमोटर द्वारा रखे गए शेयर				अवधि/वर्ष के दौरान परिवर्तन प्रतिशत
	क्र.सं	प्रमोटर का नाम *	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	
31 मार्च, 2023 तक	1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और 7 नामांकित व्यक्ति	6,50,00,000	100.00%	-
					-

विवरण	अवधि/वर्ष के अंत में प्रमोटर द्वारा रखे गए शेयर				अवधि/वर्ष के दौरान परिवर्तन प्रतिशत
	क्र.सं	प्रमोटर का नाम *	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	
31 मार्च, 2022 तक	1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और 7 नामांकित व्यक्ति	6,50,00,000	100.00%	-
					-

14 अन्य इक्विटी

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
प्रतिधारित आय	16.37	11.05
सामान्य आरक्षित निधि	88.89	88.89
आवंटन के लिए लंबित आवेदन राशि		
कुल	**105.26**	**99.94**

14.1 प्रतिधारित आय

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
प्रारंभिक जमा	11.05	5.75
जोड़ें: लाभ और हानि विवरण से हस्तांतरित लाभ	5.33	5.30
जोड़ें: परिभाषित लाभ दायित्व के पुनर्माप से उत्पन्न होने वाली अन्य व्यापक आय	-0.01	-
कम: सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण		-
जमा शेष	16.37	11.05

कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया है।

14.2 सामान्य आरक्षित निधि

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
प्रारंभिक जमा	88.89	88.89
जोड़ें: लाभ और हानि के विवरण से स्थानांतरित	-	-
जमा शेष	**88.89**	**88.89**

अन्य रिजर्वों की प्रकृति और उद्देश्य

(क) प्रतिधारित आय

प्रतिधारित आय कंपनी के अवितरित लाभ का प्रतिनिधित्व करती है।

(ख) सामान्य आरक्षित निधि

सामान्य आरक्षित निधि वैधानिक आरक्षित निधि को दर्शाती है, यह कॉर्पोरेट कानून के अनुसार है जिसमें लाभ का एक हिस्सा जनरल रिज़र्व में विभाजित किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, जनरल रिजर्व में किसी भी राशि का हस्तांतरण कंपनी के विवेक पर है।

15 गैर-चालू देयताएं

15.1 अन्य वित्तीय देयताएं

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
वसूलीयोग्य - अरक्षित	27.92	16.62
प्रतिधारण राशि	**27.92**	**16.62**

16. प्रावधान

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
कर्मचारी लाभ के प्रावधान:		
i) उपदाना [1]	0.08	0.05
ii) घटा वेतन	0.15	0.11
कुल	**0.23**	**0.16**

संदर्भ नोट 33 (i)

17. अन्य गैर चालू देयताएं

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	विवरण
अन्य देय	0.01	-
एमएफसी को उप-किराए हेतु देय अग्रिम राशि	17.70	31.17
कुल	**17.71**	**31.17**

18 वित्तीय देनदारियाँ

18.1 व्यापार देय

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम[1]	2.86	1.89
(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा		
(क) ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता	16.03	12.11
(ख) संबंधित पक्ष [2]		
इंटरानेशनल लिमिटेड	0.07	1.53
लिमिटेड		
कुल	**18.96**	**15.53**

[1] नोट 40 और [2] नोट 35 (घ) का संदर्भ लें।

व्यापार देय आयु अनुसूची -

(रूपए करोड में)

विवरण	बिना बिल	अदेय	भुगतान की निर्धारित तारीख से 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया			2.86				2.86
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर अन्य लेनदारों का कुल बकाया			10.95	5.12	0.03		16.10
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का विवादित बकाया							
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का विवादित बकाया							
कुल			**13.81**	**5.12**	**0.03**	-	**18.96**

व्यापार देय आयु अनुसूची -

(रूपए करोड में)

विवरण	बिना बिल	अदेय	भुगतान की निर्धारित तारीख से 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया			1.89				1.89
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर अन्य लेनदारों का कुल बकाया			11.88	1.53	0.01	0.22	13.64
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का विवादित बकाया							-
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का विवादित बकाया							
कुल			**13.77**	**1.53**	**0.01**	**0.22**	**15.53**

18_2 अन्य वित्तीय देयताएं

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
अन्य देनदारियां		
स्टाफ देय	0.17	0.46
जमा, प्रतिधारण धन	15.19	11.39
अन्य		
अन्य व्यय-प्रावधान	24.80	2.30
	-	-
अन्य देय- इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	-	-
ऋण पर देय ब्याज	-	-
कर्मचारियों के पारिश्रमिक, अन्य व्यय आदि की प्रतिपूर्ति के लिए	3.87	3.06
किराये के भुगतान की दिशा में	-	-
कुल	**44.03**	**17.21**

19. अन्य चालू देयताएं

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
अन्य		
सांविधिक बकाया:	2.37	2.18
एमएफसी के उप-पट्टे से अग्रिम राशि	0.87	1.39
अनुबंध देयताएं :		
ग्राहकों से अग्रिम	86.95	103.47
कुल	**90.19**	**107.04**

20. प्रावधान

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
कर्मचारी लाभ के प्रावधान:		
i) ग्रेच्युटी	-	-
ii) वेतन छोड़ें	0.05	-
iii) पीआरपी	0.10	0.06
कुल	**0.15**	**0.06**

21. चालू कर देयताएं

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
आयकर का प्रावधान (अग्रिम कर और टीडीएस का शुद्ध)	3.21	-
पिछले वर्ष की कर देयता	3.81	4.47
कुल	**7.02**	**4.47**

22. प्रचालनों से राजस्व

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व		
(क) परियोजना प्रबंधन परामर्श		
पीएमसी परियोजनाओं से	165.23	141.92
अन्य	-	0.07
- संबंधित पक्ष		
उप- कुल	**165.23**	**141.99**
(ख) एमएफसी के उप-पट्टे से पट्टा किराया		
- [1]अन्य	27.87	14.34
- संबंधित पक्ष		
उप- कुल	**27.87**	**14.34**
(ग) ट्रैक का रखरखाव		
अन्य	18.96	11.91
संबंधित पक्ष	-	-
उप- कुल	**18.96**	**11.91**
(घ) अन्य परिचालन राजस्व		
सेवाओं की बिक्री		
जनशक्ति की आपूर्ति		
- अन्य	-	-
- संबंधित पक्ष	1.36	0.77
उप- कुल	**1.36**	**0.77**
संयंत्र और मशीनरी को पट्टे पर देना		
- अन्य	-	-
- संबंधित पक्ष	5.49	1.84
उप- कुल	**5.49**	**1.84**
कुल	**218.91**	**170.84**

[1] संदर्भ नोट 39 और 45

23. अन्य आय **(रूपए करोड में)**

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	
बैंक ब्याज - सकल	5.93		4.07	
घटा : ग्राहकों को दिया गया बैंक ब्याज	-3.38	2.55	-1.56	2.51
अन्य अग्रिमों/दावों पर ब्याज	0.22	-	0.43	
घटा : ग्राहकों को दी गया ब्याज	-0.22	-	-0.43	-
स्टाफ अग्रिम पर ब्याज		-		0.01
प्राप्य और अग्रिमों पर ब्याज		1.15		4.18
आयकर की धनवापसी पर ब्याज		0.07		-
संपत्ति की बिक्री पर लाभ		-		
विनिमय उतार-चढ़ाव लाभ (शुद्ध)		0.02		0.20
अन्य गैर-परिचालन आय		-		-
- अन्यों से		0.15		0.15
- संबंधित पक्ष से (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड)		-		-
कुल		**3.94**		**7.05**

24. प्रयुक्त सामग्री और भंडारण - **(रूपए करोड में)**

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	
प्रारंभिक जमा	4.05		3.03	
जोड़ें: वर्ष के दौरान खरीद	1.12		1.06	
	5.17		4.09	
कम: समापन शेष	-4.97	0.20	-4.05	0.04
कुल		**0.20**		**0.04**

25. प्रचालनिक व्यय **(रूपए करोड में)**

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
संचालन की लागत	166.66	146.32
संदिग्ध ऋणों पर प्रावधान	28.10	-
कुल	**194.76**	**146.32**

i) प्रचालनों की लागत का ब्यौरा - **(रूपए करोड में)**

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
कार्य व्यय-परामर्श कार्य	8.59	0.46
[1]कार्य व्यय - पट्टे पर दिए गए एमएफसी	6.17	5.74
कार्य व्यय - सीईआरएल ट्रैक रखरखाव	7.36	4.11
कार्य व्यय - जनशक्ति की आपूर्ति	0.99	0.53
कार्य व्यय - ट्रैक मशीन	0.06	0.42
अन्य परियोजनाओं के लिए कार्य व्यय	143.49	135.06
कुल	**166.66**	**146.32**

[1] नोट 45 का संदर्भ लें

26. कर्मचारी लाभ व्यय **(रूपए करोड में)**

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन और पारिश्रमिक	10.87	10.47
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	0.93	0.88
कर्मचारी कल्याण व्यय	0.04	-
कुल	**11.84**	**11.35**

27. वित्तीय लागत **(रूपए करोड में)**

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज व्यय		
कुल	**-**	**-**

28 मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	1.97	0.59
अमूर्त परिसंपत्ति	2.15	2.15
संपत्ति की हानि	0.42	0.75
कुल	**4.54**	**3.49**

29. अन्य व्यय

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
दरें और कर	0.03	-
यात्रा एवं परिवहन	0.37	0.31
मुद्रण और स्टेशनरी	0.07	0.08
डाक शुल्क, टेलीफोन और टेलेक्स	0.03	0.03
कानूनी एवं व्यावसायिक शुल्क	0.89	0.39
अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि [1]	-	-
व्यवसाय प्रचार	0.02	0.02
किराया	0.91	0.97
वाहन संचालन एवं रखरखाव	0.63	0.44
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक (संदर्भ बिंदु (i))	0.03	0.03
विज्ञापन एवं प्रचार	0.08	0.03
बिजली, विद्युत एवं जल शुल्क	0.16	0.17
विविध व्यय	0.20	0.30
वैधानिक देय राशि के विलंबित भुगतान पर ब्याज	0.02	0.01
शुल्क एवं सदस्यता शुल्क	-	0.05
मरम्मत एवं रखरखाव	0.52	0.31
बैंक और अन्य वित्तीय शुल्क	0.02	0.04
सीएसआर[2]	0.40	0.16
कुल	**4.38**	**3.34**

[1] चालू वर्ष के लिए अचल संपत्ति की बिक्री पर घाटा 0.004 करोड़ रूपए है (पिछले वर्ष 0.004 करोड़ रूपए)।

[2] नोट 42 देखें।

(i) सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान : **(रूपए करोड में)**

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
(I) ऑडिट शुल्क - चालू वर्ष	0.01	0.02
(ii) टैक्स ऑडिट शुल्क - चालू वर्ष [2]	-	-
(iii) सीमित समीक्षा शुल्क [2]	0.01	0.01
(iii) यात्रा और जेब से खर्च: [2]	-	-
- स्थानीय	-	-
कुल	**0.02**	**0.03**

[2] इसमें क्रमशः **0.003** करोड़, **0.005** करोड़ और **0.004** करोड़ रुपये के कर लेखापरीक्षा शुल्क, सीमित समीक्षा शुल्क और यात्रा और आउट ऑफ पॉकेट व्यय शामिल हैं। (पिछले वर्ष रु. **0.003** करोड़, **0.008** करोड़, **0.002** करोड़)

30. अन्य व्यापक आय के घटक (ओसीआई)

इक्विटी में प्रत्येक प्रकार के रिज़र्व द्वारा ओसीआई में परिवर्तनों का पृथक्करण नीचे दिखाया गया है

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
परिभाषित लाभ योजनाओं की पुनर्माप [1]	-0.02	-
परिभाषित लाभ दायित्व के पुनर्माप का कर घटक	0.01	-
कुल	**-0.01**	-

[1] चालू वर्ष के लिए परिभाषित लाभ योजना क्रमशः **0.0027** करोड़ रुपये (पिछले वर्ष **0.0006** रुपये) और उस पर कर घटक क्रमशः **0.0007** करोड़ रुपये (**0.0002** करोड़ रुपये) है।

नोट 31. प्रति शेयर आय

इड एएस-33 'प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रकटीकरण।

वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी धारकों के लिए वर्ष हेतु लाभ को विभाजित करके मूल ईपीएस की गणना की जाती है।

विलयित ईपीएस की गणना इक्विटी धारकों हेतु वर्ष के लिए लाभ को विभाजित करके गणना की जाती है, जो वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जमा सभी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या व इक्विटी शेयरों में संभावित द्वारा प्रभावित होते हैं।

(i) प्रति शेयर मूल और विलयित आय (रुपए में)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी धारकों के प्रति लाभ (रु.करोड़ में)	(Ii)	5.33	5.30
मूल और विलयित ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	(Iii)	65,000,000	65,000,000
प्रति शेयर आय (मूल)		0.82	0.82
प्रति शेयर आय (विलयित)		0.82	0.82
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रु.)			

(ii) इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभ (अंश के रूप में प्रयुक्त) (रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभ और हानि के विवरण के अनुसार वर्ष के लिए लाभ	5.33	5.30
ईपीएस की गणना के लिए उपयोग किए गए कंपनी के इक्विटी धारकों हेतु लाभ	5.33	5.30

(iii) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (भाजक के रूप में प्रयुक्त) (संख्या)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
जारी इक्विटी शेयरों का आरंभिक शेष	6,50,00,000.00	6,50,00,000.00
वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयर		
मूल ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**6,50,00,000.00**	**6,50,00,000.00**
विलयित प्रभाव:		
जमा: वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	-	-
विलयित ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की औसत संख्या	**6,50,00,000.00**	**6,50,00,000.00**

नोट 32 इंड एएस-8 द्वारा आवश्यक प्रकटीकरण "लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां"

वर्ष के दौरान कंपनी ने "संपत्ति संयंत्र और उपकरण (पीपीई)" से संबंधित लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है। इसका कंपनी की लाभप्रदता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और संशोधित लेखांकन नीति नीचे दी गई है और संशोधनों को बोल्ड में हाइलाइट किया गया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास, फ्रीहोल्ड भूमि और स्थायी पट्टे पर अर्जित लीजहोल्ड भूमि को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर प्रदान किया जाता है। हालांकि, कुछ मामलों में परिसंपत्तियों के वर्ग में, कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित से भिन्न उपयोगी जीवन का उपयोग करती है। परिसंपत्तियों के उन वर्गों की प्रकृति, अनुमानित उपयोग को ध्यान में रखते हुए, तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर उपयोगी जीवन का मूल्यांकन किया गया

है। परिसंपत्ति से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर परिसंपत्ति। तकनीकी मूल्यांकन अर्थात कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार अनुमानित उपयोगी जीवन का खुलासा खातों के नोट्स में किया गया है।

नोट 33. कर्मचारी लाभ

इंड एएस-19 "कर्मचारी लाभ" के अनुपालन संबंधी प्रकटन निम्नानुसार है:

उपदान

उपदान उन पात्र कर्मचारियों को प्रत्येक पूरे किए गए सेवा वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दस से संगठन से अलग होन (यथा अधिवर्षिता, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र शारीरिक अक्षमता या मृत्यु) पर देय होती है, जिसने 5 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी की है।।

इंड एएस-19 बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी के नियमित कर्मचारियों के लिए उपदान के संबंध में दिनांक 31 मार्च 2023 को 0.08 करोड़ रूपए (वर्ष 2021-22 के लिए 0.05 करोड़ रूपए) का प्रावधान है।

i) वर्ष के दौरान निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन: (रूपए करोड में)

विवरण	उपदान	
	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
अवधि की आरंभ में निर्धारित लाभ दायित्व	**0.05**	0.04
अधिग्रहित समायोजन	-	-
ब्याज लागत	0.00	0.00
सेवा लागत	0.01	0.01
आवर्धित लाभ/हानियों सहित पूर्व सेवा लागत	-	-
प्रदत्त लाभ	(0.01)	-
दायित्वों पर कुल बीमांकक (लाभ) / हानि	0.02	(0.00)
अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	0.08	0.05

ii) योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन **(रूपए करोड में)**

विवरण	उपदान	
	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		
नियोक्ता अंशदान	-	-
प्रदत्त लाभ	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	-	-
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**-**	**-**

iii) तुलन पत्र तथा संबंधित विश्लेषण :

(रूपए करोड में)

विवरण	उपदान	
	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	0.08	0.05
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
तुलन पत्र मे अवित्तपोषित देयता/प्रावधान	(0.08)	(0.05)

iv) आय विवरण में स्वीकृत राशि **(रूपए करोड में)**

विवरण	उपदान	
	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कुल सेवा लागत	0.01	0.01
निवल ब्याज लागत	0.00	0.00
आय विवरण में स्वीकृत राशि	0.02	0.01

v) अन्य वृहत आय: **(रूपए करोड में)**

विवरण	उपदान	
	31 मार्च, 2023 को	**31 मार्च, 2022 को**
निवल संचित अस्वीकृत बीमांकक लाभ/(हानि) आरंभिक	-	-
पीबीओ पर वर्ष हेतु बीमांकक लाभ/(हानि)	(0.02)	0.00
परिसंपत्ति पर वर्ष हेतु बीमांकक लाभ/(हानि)	-	-
वर्ष हेतु अस्वीकृत बीमांकक लाभ/(हानि)	(0.02)	0.00

vi) योजना परिसंपत्यिों की प्रमुख श्रेणियां (कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत में) : नीचे तालिका में दिए गए आंकड़े कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं : **(रूपए करोड में)**

विवरण	उपदान	
	31 मार्च, 2023 को	**31 मार्च, 2022 को**
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	-	-
राज्य सरकारकी प्रतिभूतियां	-	-
उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड	-	-
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	-	-
संपत्ति	-	-
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित फंड	-	-
बैंक राशि	-	-
कुल	-	-

vii) (क) आर्थिक अनुमान :

मुख्य धारणाएं, छूट दर और वेतन वृद्धि दर हैं। छूट दर आम तौर पर देनदारियों से मेल खाने वाली अवधि के लिए लाभ भुगतान की मुद्रा से संबंधित लेखांकन तिथि पर सरकारी बांड पर उपलब्ध बाजार उपज पर आधारित होती है। वेतन वृद्धि दर वेतन वृद्धि के संबंध में कंपनी का

दीर्घकालिक अनुमान है और इसमें मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति, व्यवसाय योजना, मानव संसाधन नीति और दीर्घकालिक आधार पर अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है जैसा कि प्रासंगिक लेखांकन मानक में प्रदान किया गया है।

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
रियायती दर	7.36%	7.22%
भविष्य की वेतन वृद्धि	नियमित- 8.00 % संविदागत- 7.00 %	8.00%

vii) (ख) जनसांख्यिकीय अनुमान :

व्यवसाय और उद्योग की प्रकृति, प्रतिधारण नीति, रोजगार बाजार में मांग और आपूर्ति, कंपनी की स्थिति, व्यवसाय योजना, मानव संसाधन नीति आदि जैसे कारकों पर विचार करके भविष्य में कर्मचारी व्यवसाय का कंपनी का सर्वोत्तम अनुमान निर्धारित किया जाता है, जैसा कि प्रासंगिक लेखांकन मानक में प्रदान किया गया है।

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
(i) सेवानिवृत्ति आय (वर्ष)	60	60
(ii) निशक्तता हेतु प्रावधान सहित मृत्यु दर **	आईएएलएम का 100% (2012 - 14)	आईएएलएम का 100% (2012 - 14)
(iii) आयु संघर्षण	आहरण दर (%)	आहरण दर (%)
30 वर्ष तक	3.00%	3.00%
31 से 44 वर्ष तक	2.00%	2.00%
44 वर्ष से अधिक	1.00%	1.00%

यह नोट किया जाए कि सेवानिवृत्ति से ऊपर की आयु वाले कर्मचारियों के मामले में, मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु, यह माना गया है कि वे तत्काल सेवानिवृत्त हो जाएंगे और लाभ का आकलन वास्तविक सेवानिवृत्ति आयु तक किया जाएगा।

viii) निर्धारित लाभ दायित्वों का संवेदी विश्लेषण: **(रूपए करोड में)**

दिनांक 31.03.2023 को बीओडी पर ग्रेच्युटी योजना का प्रभाव	
(क) रियायत दर में परिवर्तन का प्रभाव	
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	0.08
0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(0.01)
0.50% की कमी के कारण प्रभाव	0.01
(ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव	
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	0.08
0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	0.00
0.50% की कमी के कारण प्रभाव	(0.00)

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलता महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए इनके कारण परिवर्तन के प्रभाव का परिकलन नहीं किया गया है। भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलता लागू नहीं होती है।

ix) अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए संभावित अंशदान : **(रूपए करोड में)**

विवरण	**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु**
सेवा लागत	0.01	0.01
निवल ब्याज लागत	0.01	0.00
अगले वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए संभावित व्यय	0.02	0.01

अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए निर्धारित लाभ योजना का संभावित अंशदान 1.88 लाख रूपए है।

x) निर्धारित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफाइल : **(रूपए करोड में)**

वर्ष	राशि
0 से 1 वर्ष	0.00
1 से 2 वर्ष	0.00
2 से 3 वर्ष	0.00
3 से 4 वर्ष	0.00
4 से 5 वर्ष	0.00
5 से 6 वर्ष	0.00
6 वर्ष से आगे	0.07

जोखिम संभावनाओं का विवरण

मूल्यांकन, कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं, जो प्रकृति में गतिशील होते हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। इस प्रकार, कंपनी को निम्नानुसार विभिन्न जोखिमों का खतरा रहता है

वेतन वृद्धि

वास्तविक वेतन वृद्धि से योजना की देनदारी बढ़ेगी। भविष्य के मूल्यांकन में वेतन वृद्धि दर धारणा में वृद्धि से दायित्व भी बढ़ेगा।

निवेश जोखिम

यदि योजना को वित्तपोषित किया जाता है, तो संपत्ति देनदारियां मेल नहीं खाती हैं और अंतिम मूल्यांकन तिथि पर अनुमानित छूट दर से कम संपत्ति पर वास्तविक निवेश रिटर्न देयता को प्रभावित कर सकता है।

रियायत दर

आगामी मूल्यांकनों में रियायत दर में कमी से योजना से देनदारी बढ़ सकती है।

मृत्यु दर और निशक्तता

वास्तविक मृत्यु और निशक्तता के मामले, जो मूल्यांकन में अनुमान से कम या अधिक सिद्ध होते हैं, देनदारियों को प्रभावित कर सकते हैं।

आहरण

अनुमानित से अधिक या कम सिद्ध होने वाली वास्तविक निकासी और आगामी मूल्यांकनों पर निकासी दरों में परिवर्तन, योजना की देयता को प्रभावित कर सकता है।

(ii) अर्जित अवकाश

छुट्टी के नकदीकरण के संबंध में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) के नियमों का अनुसरण किया गया है, इसलिए, कंपनी के नियमित कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण के प्रावधान को प्रोद्भवन आधार पर बहियों में लेखांकित किया गया है। दिनांक 31 मार्च 2023 के संबंध में प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन इंड एएस-19 के अनुसार कंपनी के नियमित कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण 0.20 करोड़ रूपए (वित्तीय वर्ष 2021-22 में 0.11 करोड़ रूपए) है।

कंपनी के पास विभिन्न परियोजनाओं के लिए अल्पावधि अनुबंध के आधार पर कुछ कर्मचारी भी हैं। नियुक्ति के अनुबंध के अनुसार, विदेशी परियोजना में तैनात संविदागत कर्मचारी केवल अवकाश वेतन के हकदार हैं और उन्हें कोई अन्य सेवानिवृत्ति लाभ देय नहीं है। तदनुसार, लेखा पुस्तकों में अवकाश वेतन के लिए प्रावधान किया गया है।

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड में कार्यरत कुछ अधिकारी प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात हैं और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) के पे-रोल पर हैं। धारक कंपनी से प्राप्त आदेश के आधार पर उनके पीएफ योगदान, उपदान, छुट्टी नकदीकरण और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का लेखांकन किया गया गया है। इंड-एएस-19 के संदर्भ में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान इसकी होल्डिंग कंपनी द्वारा किया जा रहा है।"

i) वर्ष के दौरान निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन: (रूपए करोड में)

विवरण	**उपदान**	
	31 मार्च, 2023 को	**31 मार्च, 2022 को**
अवधि की आरंभ में निर्धारित लाभ दायित्व	0.06	0.04
अधिग्रहित समायोजन	-	-
कुल सेवा लागत	0.00	0.00
निवल ब्याज लागत (आय)	0.02	0.01
पुन-मापन	-	-
निधि के लिए प्रदत्त अंशदान	(0.01)	-
उद्ययोग द्वारा प्रत्यक्ष प्रदत्त लाभ	0.07	0.01
अवधि के अंत में निवल निर्धारित लाभ दायित्व	0.15	0.06

ii) योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन **(रूपए करोड में)**

विवरण	उपदान	
	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक प्रतिफल	-	-
नियोक्ता अंशदान	-	-
प्रदत्त लाभ	-	-
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-

iii) तुलन पत्र तथा संबंधित विश्लेषण : **(रूपए करोड में)**

विवरण	उपदान	
	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	0.15	0.06
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
तुलन पत्र मे अवित्तपोषित देयता/प्रावधान	(0.15)	(0.06)

iv) आय विवरण में स्वीकृत राशि **(रूपए करोड में)**

विवरण	उपदान	
	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कुल सेवा लागत	0.02	0.01
निवल ब्याज लागत	0.00	0.00
अवधि के लिए स्वीकृत निवल बीमांकक (लाभ)/हानि	0.07	0.01
आय विवरण में स्वीकृत व्यय	0.10	0.02

v) योजना परिसंपत्त्यिों की प्रमुख श्रेणियां (कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत में) : नीचे तालिका में दिए गए आंकड़े कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं : **(रूपए करोड में)**

विवरण	उपदान	
	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	-	-
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	-	-
उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड	-	-
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	-	-
संपत्ति	-	-
विशेष जमा योजना		
बीमाकर्ता द्वक्षरा		
बैंक राशि	-	-
कुल	-	-

vi) (क) आर्थिक अनुमान :

मुख्य धारणाएं, छूट दर और वेतन वृद्धि दर हैं। छूट दर आम तौर पर देनदारियों से मेल खाने वाली अवधि के लिए लाभ भुगतान की मुद्रा से संबंधित लेखांकन तिथि पर सरकारी बांड पर उपलब्ध बाजार उपज पर आधारित होती है। वेतन वृद्धि दर वेतन वृद्धि के संबंध में कंपनी का दीर्घकालिक अनुमान है और इसमें मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति, व्यवसाय योजना, मानव संसाधन नीति और दीर्घकालिक आधार पर अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है जैसा कि प्रासंगिक लेखांकन मानक में प्रदान किया गया है।

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
रियायती दर	7.36%	7.22%
भविष्य की वेतन वृद्धि	नियमित -8.00 % संविदागत-7.00 %	8.00%

vi) (ख) जनसांख्यिकीय अनुमान :

व्यवसाय और उद्योग की प्रकृति, प्रतिधारण नीति, रोजगार बाजार में मांग और आपूर्ति, कंपनी की स्थिति, व्यवसाय योजना, मानव संसाधन नीति आदि जैसे कारकों पर विचार करके भविष्य में कर्मचारी व्यवसाय का कंपनी का सर्वोत्तम अनुमान निर्धारित किया जाता है, जैसा कि प्रासंगिक लेखांकन मानक में प्रदान किया गया है।

विवरण	**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु**
(i) सेवानिवृत्ति आय (वर्ष)	60	60
(ii) निशक्तता हेतु प्रावधान सहित मृत्यु दर **	आईएएलएम का 100% (2012-14)	आईएएलएम का 100% (2012-14)
(iii) आयु संघर्षण	आहरण दर (%)	आहरण दर (%)
30 वर्ष तक	3%	3%
30 से 44 वर्ष तक	2%	2%
44 वर्ष से अधिक	1%	1%
(iv) अवकाश		
अवकार प्राप्ति दर	2.50%	2.50%
सेवा में अवकाश व्यपगत दर	शून्य	शून्य
निकासी पर अवकाश व्यपगत दर	शून्य	शून्य
सेवा में अवकाश नकदीकरण दर	शून्य	शून्य

यह नोट किया जाए कि सेवानिवृत्ति से ऊपर की आयु वाले कर्मचारियों के मामले में, मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु, यह माना गया है कि वे तत्काल सेवानिवृत्त हो जाएंगे और लाभ का आकलन वास्तविक सेवानिवृत्ति आयु तक किया जाएगा।

vii) निर्धारित लाभ दायित्वों का संवेदी विश्लेषण: **(रूपए करोड़ में)**

(क) रियायत दर में परिवर्तन का प्रभाव	
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**0.15**
0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(0.00)
0.50% की कमी के कारण प्रभाव	0.03
(ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव	
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**0.15**
0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	0.03
0.50% की कमी के कारण प्रभाव	(0.00)

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलता महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए इनके कारण परिवर्तन के प्रभाव का परिकलन नहीं किया गया है। भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलता लागू नहीं होती है।

viii) अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए संभावित अंशदान : **(रूपए करोड में)**

विवरण	**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु**
सेवा लागत	0.03	0.01
निवल ब्याज लागत	0.01	0.00
अगले वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए संभावित व्यय	0.04	0.01

ix) निर्धारित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफाइल : **(रूपए करोड़ में)**

वर्ष	**राशि**
0 से 1 वर्ष	0.00
1 से 2 वर्ष	0.00
2 से 3 वर्ष	0.00
3 से 4 वर्ष	0.00
4 से 5 वर्ष	0.00
5 से 6 वर्ष	0.00
6 वर्ष से आगे	0.13

जोखिम संभावनाओं का विवरण

मूल्यांकन, कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं, जो प्रकृति में गतिशील होते हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। इस प्रकार, कंपनी को निम्नानुसार विभिन्न जोखिमों का खतरा रहता है -

वेतन वृद्धि

वास्तविक वेतन वृद्धि से योजना की देनदारी बढ़ेगी। भविष्य के मूल्यांकन में वेतन वृद्धि दर धारणा में वृद्धि से दायित्व भी बढ़ेगा।

निवेश जोखिम

यदि योजना को वित्तपोषित किया जाता है, तो संपत्ति देनदारियां मेल नहीं खाती हैं और अंतिम मूल्यांकन तिथि पर अनुमानित छूट दर से कम संपत्ति पर वास्तविक निवेश रिटर्न देयता को प्रभावित कर सकता है।

रियायत दर

आगामी मूल्यांकनों में रियायत दर में कमी से योजना से देनदारी बढ़ सकती है।

मृत्यु दर और निशक्तता

वास्तविक मृत्यु और निशक्तता के मामले, जो मूल्यांकन में अनुमान से कम या अधिक सिद्ध होते हैं, देनदारियों को प्रभावित कर सकते हैं।

आहरण

अनुमानित से अधिक या कम सिद्ध होने वाली वास्तविक निकासी और आगामी मूल्यांकनों पर निकासी दरों में परिवर्तन, योजना की देयता को प्रभावित कर सकता है।

(iii) पेंशन

इरकॉन आईएसएल के नियमित कर्मचारियों को देय पेंशन के संबंध में, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) की नीति अपनाई गई है और तदनुसार, पेंशन की एनपीएस योजना में अंशदान किया जा रहा है और इसे नियमित आधार पर अनुमोदित मान्यता प्राप्त निधि में जमा किया जा रहा है।

नोट सं. 34 (क) लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत विदेशी विनिमय :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभ या हानि	0.02	0.20
अन्य वृहत आय[1]	(0.01)	0.00
कुल	**0.01**	**0.20**

[1] चालू वर्ष के लिए निर्धारित लाभ योजना 0.01 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 0.0019 करोड़ रुपये) है।

(ख) विदेशी मुद्रा में आय (क्रमिक आधार पर):

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कार्य प्राप्ति	**2.54**	0.70
बैंक का ब्याज	-	-
अन्य ब्याज	-	-
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव (निवल)	**0.02**	0.20
अन्य	-	-
कुल	**2.56**	0.90

(ग) विदेशी मुद्रा में व्यय (आकस्मिक आधार पर): **(करोड़ रुपए में)**

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालनिक व्यय	**0.99**	0.51
परामर्श शुल्क	-	-
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव से हानि (निवल)	-	-

[1]प्रशासनिक और अन्य व्यय	-	1.74
कुल	**0.99**	2.25

[1] प्रशासनिक व्यय में म्यांमार परियोजना संबंधी व्यय शामिल हैं, जो स्थानीय मुद्रा (क्यात) में किया गया है, हालांकि यह भुगतान ग्राहक अर्थात विदेश मंत्रालय (एमईए) से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय मुद्रा में प्राप्त हुआ है

(घ) आयात का सीआईएफ मूल्य*:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	**31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए**
सामग्री	-	-
उपभोग्य सामग्रियों, घटकों और पुर्जों	-	-
कुल	-	-

(ड.) प्रयुक्त सामग्री और भंडारण :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	**31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए**		**31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए**	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
आयातित				
स्वदेशी				
कुल	-	-	-	-

नोट 35 : संबंधित पक्ष संव्यवहार

इंड एएस-24 "संबंधित पक्ष का प्रकटन" के अनुपालन में प्रकटन निम्नानुसार हैं:

क) संबंधित पक्षों की सूची

कंपनी की संपूर्ण इक्विटी शेयर पूंजी धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के अधिकारक्षेत्र में है।

ख) संबंधित पक्षों के संबंध और नाम हैं:

संबंध की प्रकृति		संबंधित पक्ष का नाम
i. धारक कंपनी		इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
ii। प्रमुख प्रबंधन कर्मी:	निदेशक:	श्री योगेश कुमार मिश्रा (अध्यक्ष) (01.10.2021 से 09.10.2022) और श्री पराग वर्मा (अध्यक्ष) 10.10.2022 से
		श्री अभिजीत कुमार सिन्हा (निदेशक) 01.04.2022 से
		श्री सुरिंदर कुमार सिंह (निदेशक)
		श्री राजीव कुमार सिन्हा (निदेशक) 07.12.2022 से
	अन्य	श्री अजय पाल सिंह (सीईओ)
		श्रीमती पूजा चौरसिया (सीएफओ) (01.04.2022 से 28.02.2023) और श्रीमती प्रीति शुक्ला (सीएफओ) 01.03.2023 से
		श्रीमती मनीषा गोला, कंपनी सचिव (01.04.2022 से 25.05.2022) और सुश्री स्वाति पोद्दार, कंपनी सचिव (17.08.2022 से 13.03.2023)

ग) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को पारिश्रमिक निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	2022-23	2021-22
क)	अल्पकालिक लाभ	**0.57**	0.54
ख)	नियोजन पश्चात लाभ*	**0.06**	0.05
ख)	अन्य दीर्घकालिक लाभ	**0.15**	0.12
	कुल	**0.77**	0.72

कंपनी के निदेशकों को धारक कंपनी द्वारा नियुक्त / नामित किया जाता है और कंपनी द्वारा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। इसलिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव का पारिश्रमिक ऊपर दिखाया गया है।

घ) संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	लेन-देन		बकाया राशि	
		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को पारिश्रमिक (उपर्युक्त ख)	**नोट सं.35 (ग) के अनुसार**		**0.00**	0.00
1.1	होल्डिंग कंपनी से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद	**0.90**	0.98	**-0.07**	-1.53
1.2	होल्डिंग कंपनी से राजस्व आय	**6.85**	2.61	**3.75**	0.19
1.3	व्यय की प्रतिपूर्ति अर्थात वेतन और मजदूरी, पीएफ अंशदान, यात्रा आदि के रूप में कर्मचारियों को पारिश्रमिक।	**5.23**	3.33	**-3.87**	-3.06

नोट 36 : संपत्तियों की हानि

वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी भारतीय लेखांकन मानक नियम, 2015 और कंपनी और कंपनी संशोधन नियम, 2016 के नियम-III के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-133 के तहत अधिसूचित इंडएएस-36 "संपत्ति की हानि" के संदर्भ में शुद्ध वसूली योग्य मूल्य और वहन लागत के आधार पर वसूली योग्य राशि की गणना करके व्यक्तिगत संपत्तियों की हानि पर आकलन किया है।

तदनुसार 0.42 करोड़ रुपये (31 मार्च 2022 के लिए 0.75 करोड रूपए) की हानि के लिए प्रावधान किया गया है।

इंड एएस 105 के अनुसार प्रकटन

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	
	सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक
संयंत्र और मशीनरी	**1.12**	**0.70**

वित्त वर्ष 2022-23 में तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति में **0.40** करोड़ रुपये की कमी आई है

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	
	सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक
संयंत्र और मशीनरी	**1.12**	**1.12**

नोट 37: प्रावधान, आकस्मिकताएं

(i) आकस्मिक देयता

इंड-एएस 37 'प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों' के अनुसार आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

क) न्यायालय में लंबित कर्मचारियों से संबंधित मामलों के लिए आकस्मिक देयता 2.55 करोड़ रूपए (वित्तीय वर्ष 2021-22 **हेतु** 2.93 करोड़ रूपए) हैं। उक्त देयता पर दावित ब्याज की राशि निर्धारण योग्य नहीं है।

(ii) पूंजी प्रतिबद्धता

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
पूंजी प्रतिबद्धता	-	-

नोट 38 राजस्व

(क) राजस्व का विघटन

प्रचालनिक सेगमेंट और उत्पाद या सेवाओं के प्रकार में ग्राहकों के साथ अनुबंधों से कंपनी के राजस्व का विघटन नीचे प्रस्तुत है:

(रूपए करोड़ में)

उत्पाद या सेवाओं का प्रकार	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए						
	इंड एएस 115 के अनुसार राजस्व			निष्पादन दायित्व को मापने की विधि		अन्य राजस्व	लाभ एवं हानि विवरण / सेगमेंट रिपोर्टिंग के अनुसार कुल
	घरेलू	विदेशी	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
भवन	165.23	-	**165.23**	**165.23**		-	**165.23**
सड़क	-	-	-	-		-	-
अन्य	18.96	1.36	**20.32**	**20.32**		33.36	**53.68**
कुल	**184.19**	**1.36**	**185.55**	**185.56**	-	**33.36**	**218.91**

वर्ष के दौरान इंड एएस 115 के तहत स्वीकृत कुल राजस्व में से, समयावधि में 185.56 करोड़ रुपये और समय बिंदु पर शून्य करोड रूपए को स्वीकार किया गया है (नोट 22 का संदर्भ लें)।

(रूपए करोड़ में)

उत्पाद या सेवाओं का प्रकार	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए						
	इंड एएस 115 के अनुसार राजस्व			निष्पादन दायित्व को मापने की विधि		अन्य राजस्व	लाभ एवं हानि विवरण / सेगमेंट रिपोर्टिंग के अनुसार कुल
	घरेलू	विदेशी	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
भवन	141.99		141.99	141.99		-	141.99
सड़क	-	-	-	-		-	-
अन्य	11.91	0.77	12.68	12.68		16.17	28.85
कुल	**153.90**	**0.77**	**154.67**	**154.67**	-	**16.17**	**170.84**

वर्ष के दौरान इंड एएस 115 के तहत स्वीकृत कुल राजस्व में से, समयावधि में 154.67 करोड़ रुपये और समय बिंदु पर शून्य करोड रूपए को स्वीकार किया गया है (नोट 22 का संदर्भ लें)।

(ख) संविदा शेषः

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
व्यापार प्राप्य (नोट 9.1)	78.61	90.68
संविदा परिसंपत्तियां (नोट 9.5 ग)	22.22	2.79
संविदा देयताएं (नोट 19)	86.95	103.47

(i) व्यापार प्राप्य पर ब्याज निर्धारित नहीं किया जाता है और ग्राहकों के प्रोफाइल में शामिल हैं रेल मंत्रालपय, सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम, भारत तथा विदेश में राज्य स्वामित्व वाली कंपनियां। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 15 से 24 महीने है। सामान्य भुगतान शर्तों में शामिल हैं मोबिलाइजेशन अग्रिम, 45 से 60 दिन की ऋण अवधि के लिए मासिक प्रगति भुगतान।

(ii) संविदा परिसंपत्तियों को उस अवधि के लिए स्वीकार किया जाता है, ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं या सेवाओं के लिए विनिमय में कंपनी के अधिकार के प्रतिनिधित्व के लिए सेवाओं का निष्पादन किया गया है। इसमें निर्माण संविदाओं के अंतर्गत ग्राहकों से देय शेष राशियां शामि हैं, जो उस समय उत्पन्न होती हैं जब कंपनी संविदाओं की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करती है, तथापि, राजस्व को इनपुट विधि के अंतर्गत उस अवधि के लिए स्वीकार किया जाता है। पूर्व में संविदा परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार की गई किसी राशि को संलग्न शर्तों को पूरा किए जाने पर व्यापार प्राप्यों के रूप में पुनःवर्गीकृत किया जाता है यथा बिलिंग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक भावी सेवा।

वर्ष के दौरान संविदागत शेषों में संचलन

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
वर्ष के आरंभ में संविदा परिसंपत्तियां	2.79	2.79
वर्ष के अंत में संविदा परिसंपत्तियां	22.22	2.79
निवल वद्धि/कमी	19.43	-

वर्ष 2022–23 के लिए, संविदागत परिसंपत्तियों में 19.43 करोड रूपए (वित्तीय वर्ष 2021–22 को 0.00 करोड रूपए) का संचलन हुआ है।

(iii) निर्माण संविदाओं से संबंधित संविदा दायित्व ग्राहकों से देय शेष राशियां है, और ये उस समय उत्पन्न होती हैं जब इनपुट विधि के अंतर्गत विशिष्ट माइलस्टोन भुगतान निर्धारित तिथि को स्वीकृत राजस्व से अधिक हो जाता है और दीर्घकालीन संविदा परियोजनाआं में अग्रिम प्राप्त होता है। अग्रिम रूप में प्राप्त राशि, ग्राहकों द्वारा इनवाइस तैयार किए जाने पर निर्माण अवधि में समायोजित कर दी जाती है।

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
वर्ष के आरंभ में संविदा देयताएं	103.47	85.59
वर्ष के अंत में संविदा देयताएं	86.95	103.47
निवल वद्धि/कमी	(16.52)	17.88

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022–23 और 2021–22 में (16.52 करोड रूपए) की निवल वृद्धि और 17.88 करोड रूपए की निवल कमी हुई है, जो मुख्य रूप से वर्ष के दौरान किए गए कार्यों के प्रति ग्राहक से प्राप्त अग्रिम भुगतान के समायोजन के कारण हैं।

(ग) स्वीकृत राजस्व की राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
वर्ष के आरंभ में संविदागत दायित्वों में शामिल राशि	103.47	85.59
पिछले वर्षों में संतुष्ट निष्पादन दायित्व	31.14	64.60

च) संविदा को प्राप्त करने की लागत

दिनांक 31 मार्च, 2023 को परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृत राशि शून्य रूपए (31 मार्च, 2022 को शून्य रूपए) है।

वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में परिशोधन की राशि शून्य रूपए (वित्तीय वर्ष 2021-22 में शून्य रूपए) है।

छ) निष्पादन दायित्व

कंपनी के कार्यनिष्पादन दायित्वों के बारे में जानकारी नीचे दी गई है:

31 मार्च को शेष प्रनिष्पादन दायित्व (असंतुष्ट या आंशिक रूप से असंतुष्ट) को आवंटित लेनदेन मूल्य निम्नानुसार हैं:

(रूपए करोड में)

	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
एक वर्ष या कम में	155	150
एक वर्ष से अधिक और दो वर्ष तक	315	300
दो वर्ष से अधिक		
कुल	470.00	450.00

नोट 39 पट्टे

क) पट्टेदार के रूप में कंपनी

पट्टेदार के रूप में कंपनी ने विभिन्न पट्टे अनुबंधों में प्रवेश किया है, जिसमें कार्यालय स्थल, गेस्ट हाउस और वाहनों के पट्टे शामिल हैं। इंड एएस-116 को स्वीकार करने से पूर्व, कंपनी ने अपने प्रत्येक पट्टों (पट्टेदार के रूप में) को आरंभ तारीख को वित्तीय पट्टे या प्रचालनिक पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया था।

कंपनी के पास 12 महीने या उससे कम अवधि के पट्टे के साथ कार्यालयों और गेस्ट हाउस के पट्टे भी प्राप्त किए हैं। कंपनी इन पट्टों के लिए 'अल्पकालिक पट्टा' स्वीकृति छूट प्राप्त करती है।

परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार

वर्ष के दौरान स्वीकृत और संचलित परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार की वहन राशि शून्य है।

पट्टा देयता

वर्ष के दौरान स्वीकृत और संचलित पट्टा देयताओं की वहन राशि शून्य है।

अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय (संदर्भ नोट 29) 0.91 करोड रूपए है (0.97 करोड रूपए)।

ख) ऋणदाता के रूप में कंपनी

बहु-उद्देशीय परिसरों के लिए प्रचालनिक पट्टे:
"i) कंपनी ने विभिन्न उप-पट्टेदारों को 23 एमएफसी को उप-पट्टे पर दिया है, जिनमें से तिरुवल्ला और राजगीर में 2 एमएफसी के उप-पट्टा समझौते को समाप्त कर दिया गया है और इन एमएफसी की पट्टे पर दी गई संपत्ति वर्ष 2019-20 में आरएलडीए को वापस कर दी गई है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान मैसूर, कन्नूर, हैदराबाद और बिलासपुर में चार एमएफसी को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा उपरोक्त तीन एमएफसी के अलावा एमएफसी इंदौर, मदुरै और जोधपुर को 01.05.2023 को समाप्त कर दिया गया था।

दिनांक 01.05.2023 को समाप्त किए गए एमएफसी के साथ दिनांक 31.03.2023 को समाप्त किए गए तीन एमएफसी के मामले में, दिनांक 31.03.3023 को समाप्त अवधि के लिए लेखा बहियों में एमएफसी की प्राप्य के प्रति पूर्ण प्रावधान 24.13 करोड़ रुपये लिया गया है।

शेष एमएफसी और कंपनी के अन्य देनदारों के लिए 31.03.2023 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लेखा बहियों में ईसीएल पद्धति के सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुसार 3.96 करोड़ रुपये के संदिग्ध ऋण का प्रावधान मान्यता प्राप्त है।

ii. गैर-रद्दीकरण पट्टे के अंतर्गत देय/प्राप्य भावी न्यूनतम पट्टा किराया निम्नानुसार है:

(रूपए करोड़ में)

पट्टा किराया	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक वर्ष से पांच वर्ष तक	पांच वर्ष से अधिक
प्राप्य	**14.16 (20.25)**	**77.98 (117.39)**	**389.22 (590.76)**
देय	**शून्य** (शून्य)	**शून्य** (शून्य)	**शून्य** (शून्य)

ख. वर्ष के लिए पट्टायुक्त एमएफसी के संबंध में मूल्यह्रास /परिशोधन का प्रकटीकरण :

(रूपए करोड में)

संपत्तियों का विवरण	2022-23	2021-22
सकल संपत्ति की राशि	**96.77**	96.77
संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	**18.10**	15.95
वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन	**2.15**	2.15

उपर्युक्त एमएफसी के लिए , कंपनी को उप-पट्टाधारक से एकमुश्त भुगतान और मासिक किराये की प्राप्ति हुई/होगी। पट्टे के तहत कुल राजस्व 27.87 करोड़ रूपए (14.34 करोड़ रूपए) स्वीकार किया गया है।

उप-पट्टेदार से प्राप्त/प्राप्य एकमुश्त डाउन पेमेंट को प्रो-राटा आधार पर पट्टा अवधि पर सीधी-रेखा के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में आय के रूप में पहचाना जाता है"

नोट 40: सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 द्वारा अपेक्षित अनुसार सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के संबंध में सूचना: (रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
(1) प्रत्येक लेखांकन वर्ष को समाप्त वर्ष को किसी आपूर्तिकर्ता को शेष अप्रदत्त मूल राशि व उसपर ब्याज	2.86	1.89
सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को देय मूल राशि	2.86	1.89
उपर्युक्त पर ब्याज	शून्य	शून्य
(2) प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की शर्तों के अनुसार रीजन द्वारा प्रदत्त ब्याज की राशि और निर्धारित तिथि के पश्चात आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान की राशि।	शून्य	शून्य
(3) किए गए भुगतान (वर्ष के दौरान जिसका भुगतान किया गया है किन्तु निर्धारित तिथि के पश्चात) में विलंब की अवधि के लिए देय	शून्य	शून्य

और प्रदत्त ब्याज की राशि किन्तु सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज को शामिल किए बिना।		
(4) प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में संचित तथा शेष अप्रदत्त ब्याज की राशि।	शून्य	शून्य
(5) आगामी वर्षों में भी देय एवं प्रदत्त ब्याज की शेष राशि, उस तिथि तक, जब कि सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के खंड 23 के अंतर्गत कटौतीयोग्य व्यय के अस्वीकार्य के प्रयोजन हेतु लघु उपक्रम को वास्तव में इन देय राशियों का भुगतान किया गया हो।	शून्य	शून्य

नोट 41. खंड रिपोर्टिंग

इंड एएस 108 प्रचालनिक सेगमेंट के अनुसार प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:

प्रचालनिक सेगमेंट को एक उद्यम के घटकों के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके लिए अलग–अलग वित्तीय जानकारी उपलब्ध हैं, जिसका नियमित रूप से मूल्यांकन किया जा रहा है। मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप खंडों की रिपोर्ट की जाती है। कंपनी ने भौगोलिक परिप्रेक्ष्य से रिपोर्ट करने योग्य परिचालन खंड का निर्धारण किया है।

परियोजना के भौगोलिक स्थल के आधार पर दो प्रचालनिक सेगमेंट हैं घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय

(रुपए करोड में)

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	2022-23	2021-22	**2022-23**	2021-22	**2022-23**	2021-22
सेकमेंट राजस्व						
बाहरी ग्राहकों से राजस्व	**2.54**	0.70	**216.37**	170.14	**218.91**	170.84
जमाः एकीकृत संयुक्त प्रचालनों टर्नओवन में कंपनी का भाग		-	-	-	-	-
कुल प्रचालन राजस्व	**2.54**	0.70	**216.37**	170.14	**218.91**	170.84
ब्याज आय		-	**3.78**	6.70	**3.78**	6.70
अन्य आय	**0.02**	0.20	**0.14**	0.15	**0.16**	0.35
अंतःसेगमेंट		-		-	-	-
कुल राजस्व	**2.56**	0.90	**220.29**	176.99	**222.85**	177.89
सेगमेंट परिणाम					-	

प्रावधान पूर्व लाभ, मूल्यह्रास, ब्याज और कर	**1.57**	(1.34)	**34.90**	20.65	**36.47**	19.31
घटा :प्रावधान और पश्चलिखित		-	**24.80**	2.47	**24.80**	2.47
घटाः मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि	**0.24**	0.01	**4.30**	3.48	**4.54**	3.49
घटाः ब्याज	-	0.00	-	-	-	0.00
कर पूर्व लाभ	**1.33**	(1.35)	**5.80**	14.70	**7.13**	13.35
घटाः कर व्यय	**0.39**	(0.37)	**1.41**	8.42	**1.80**	8.05
कर पश्चात लाभ	**0.94**	(0.98)	**4.39**	6.28	**5.33**	5.30
घटा : अन्य वृहद आय	-	-	**0.01**	-	**0.01**	-
कर पश्चात लाभ	**0.94**	(0.98)	**4.38**	6.28	**5.32**	5.30

ग. अन्य सूचना

(रुपए करोड में)

विवरण	**अंतरराष्ट्रीय**		**घरेलू**		**कुल**	
	2022-23	2021-22	**2022-23**	2021-22	**2022-23**	**2021-22**
कुल परिसंपत्तियां	**7.08**	4.62	**369.39**	356.91	**376.47**	361.53
कुल देयताएं	**0.17**	0.37	**206.04**	196.22	**206.21**	196.59
इक्विटी विधि द्वारा लेखांकित संयुक्त उपक्रमों में निवेश	**0.00**	0.00	**0.00**	-	-	-
वित्तीय प्रलेखों, आस्थगित कर परिसंपत्तियों, निवल निर्धारित लाभ परिसंपत्तियों के अतिरिक्त गैर चालू परिसंपत्तियां	**0.00**	0.00	**0.00**	-	-	-

वर्ष की समाप्ति पर पूंजीगत व्यय (पीपीपी, सीडब्ल्यूआईपी, निवेश परिसंपत्ति, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों, विकासाधीन और प्रयोग अधिकारी अमूर्त परिसंपत्तियों में संवर्धन)	**0.00**	0.00	**7.78**	12.10	**7.78**	12.10

परियोजना के भौगोलिक स्थल के आधार पर दो प्रचालनिक सेगमेंट हैं घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय

(रूपए करोड में)

विवरण	प्रचालन आय		सेगमैन्ट परिसम्पतियां		स्थिर परिसंपतियां जोड़कर	
	2022-23	2021-22	**2022-23**	2021-22	**2022-23**	2021-22
परामर्श परियोजनाएं	165.23	141.99	211.05	165.63	0.09	0.08
जनशक्ति की आपूर्ति	27.87	14.34	116.82	153.49	-	-
एमएफसी को उपपट्टे पर देना	18.96	11.91	13.16	10.90	0.07	
संयंत्र और मशीनरी को पट्टे पर देना	5.49	1.84	30.75	29.01	7.62	12.02
रेलपथ अनुरक्षण	1.36	0.77	2.54	0.34	-	
अन्य		-	2.15	2.16	-	-
कुल	**218.91**	170.84	**376.47**	361.53	**7.78**	12.10

नोट 42: कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय (सीएसआर)

भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करना आवश्यक है। अपनी सीएसआर नीति के अनुसार वित्तीय वर्ष। वर्ष के लिए सीएसआर व्यय का विवरण इस प्रकार है:

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक सकल राशि		0.28		0.27
ख) वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि1		0.28		0.27

ग) 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:	**नकद में**	**कमी** [2]		**कुल**
i) किसी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-		-
ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	0.28	-		0.28
घ) 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:	**नकद में**	**कमी**		**कुल**
i) किसी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	0.01	0.11	—	0.12
ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	0.14	0.02	—	0.15
	31 मार्च 2023 को		**31 मार्च 2022 को**	
ई) खर्च/अव्ययित दायित्वों से संबंधित विवरण:				
i) सार्वजनिक ट्रस्ट में योगदान		0.28		0
ii) चैरिटेबल ट्रस्ट में योगदान		-		0.15
iii) इसके संबंध में अव्ययित राशि:				-
- चालू प्रकल्प				-
- चालू परियोजनाओं के अलावा		0.00		0.12

सीएसआर पर आईसीएआई दिशानिर्देश नोट के अनुसार

चालू परियोजनाओं और चालू परियोजनाओं से इतर की परियोजनाओं का ब्यौरा

अनुच्छेद 135 (6) के मामले में (चालू परियोजनाएं)						
आरंभिक शेष		वर्ष के दौरान व्यय हेतु अपेक्षित राशि	वर्ष के दौरारन खर्च की गई राशि		समापन शेष	
कंपनी सहित	पृथक अव्ययित सीएसआर खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	पृथक अव्ययित सीएसआर खाते से	कंपनी के साथ	पृथक अव्ययित सीएसआर खाते में
स्वयं	-	0.28	0.28	-	0	-

अनुच्छेद 135 (5) के मामले में (चालू परियोजनाएं से इतर)				
आरंभिक शेष	6 महीने के भीतर अनुसूचि VII मेंनिर्दिष्ट निधि में जमा राशि	वर्ष के दौरान व्यय हेतु अपेक्षित राशि	वर्ष के दौरारन खर्च की गई राशि	समापन शेष
	-	-	-	-

अन्य प्रकटन :

विवरण	**31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु**	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण, उदाहरण के लिए, प्रासंगिक लेखा मानक-1 के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
जहां एक संविदात्मक दायित्व में शामिल होने से उत्पन्न दायित्व के संबंध में प्रावधान किया जाता है, प्रावधान में गतिविधियां	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**

नोट 43 क: उचित मूल्य मापन

(i) वित्तीय माध्यमों का श्रेणीवार वर्गीकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को इन वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर मापा जाता है और उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। तीन स्तरों को माप के लिए महत्वपूर्ण आदानों के अवलोकन के आधार पर परिभाषित किया गया है:

स्तर 1: समान संपत्ति या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (अनुचित)

स्तर 2: स्तर 1 के भीतर शामिल किए गए उद्धृत मूल्य के अतिरिक्त अन्य इनपुट जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति या देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं।

स्तर 3: संपत्ति या देयता के लिए अप्रचलित इनपुट

क) दिनांक 31 मार्च, 2023 तक श्रेणियों के अनुसार वित्तीय साधनों के मूल्य और उचित मूल्य इस प्रकार हैं:

(रूपए करोड में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ हानि के माध्यम से उचित मूल्य ('एफवीटीपीएल') पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
म्युचुवल फंड में निवेश	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
परिशोधित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश	-	-	-	-
कर मुक्त बांडों में निवेश	-	-	-	-
(ii) व्यापार प्राप्य	78.61	.	.	78.61
(iii) ऋण	0.03	.	.	0.03
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	32.26			32.26
कुल	**110.90**	**.**	**.**	**110.90**

(रूपए करोड में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित मूल्य पर वित्तीय देयताएं				
(i) कर्ज	-	-	-	-
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	71.95	-	-	71.95
कुल	**71.95**			**71.95**

ख) दिनांक 31 मार्च 2022 को श्रेणियों द्वारा वित्तीय माध्यमों का वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्नानुसार है:

(रूपए करोड में)

विवरण	**वहन मूल्य**	**उचित मूल्य**		
		स्तर 1	**स्तर 2**	**स्तर 3**
लाभ हानि के माध्यम से उचित मूल्य ('एफवीटीपीएल') पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
म्युचुवल फंड में निवेश	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
परिशोधित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश	-	-	-	-
कर मुक्त बांडों में निवेश	-	-	-	-
(ii) व्यापार प्राप्य	90.68			90.68
(iii) ऋण	0.05			0.05
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8.99			8.99
कुल	**99.72**			**99.72**

(रूपए करोड में)

विवरण	**वहन मूल्य**	**उचित मूल्य**		
		स्तर 1	**स्तर 2**	**स्तर 3**
परिशोधित मूल्य पर वित्तीय देयताएं				
(i) कर्ज	-	-	-	-
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	33.83	-	-	33.83
कुल	33.83			33.83

"प्रबंधन ने मूल्यांकन किया कि नकदी और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य, व्यापार देयताएं और अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियां अल्पावधि के कारण बड़े पैमाने परइन माध्यमों के अल्पकालीन परिपक्वता के कारण किया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य उस राशि में शामिल है, जिस सहमत पक्षों के बीच मौजूदा लेनदेन में माध्यम के रूप में आदान-प्रदान किया जा सकता है। उचित मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों और मान्यताओं का उपयोग किया गया था:

i) म्यूचुअल फंड इकाइयों में निवेश का उचित मूल्य निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) पर आधारित है, जैसा कि तुलन पत्र की तारीख में प्रकाशित विवरणों में इन म्यूचुअल फंड इकाइयों के जारीकर्ताओं द्वारा कहा गया है। एनएवी उस मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है, जिस पर जारीकर्ता म्यूचुअल फंड आगे की इकाइयाँ जारी करेगा और जिस मूल्य पर जारीकर्ता ऐसी इकाइयों को निवेशकों से भुनाएगा।

* वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2021-22 के दौरान, स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के उचित मूल्य माप के बीच कोई स्थानान्तरण नहीं हुआ।

ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियां, ऋण और अन्य वित्तीय देनदारियां हैं। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में एनएचएआई से रोकड़ और रोकड़ समतुल्य और वसूली योग्य राशियां शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन से प्राप्त होते हैं। कंपनी की गतिविधियाँ विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों को प्रस्तुत करती हैं: जैसे बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम।

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। बाजार जोखिम में विदेशी मुद्रा जोखिम ब्याज दर जोखिम शामिल है। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में कर्ज, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और अन्य गैर-डेरिवेटिव वित्तीय साधन शामिल हैं।

i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचालन कर रही है और अमेरिकी डॉलर के संबंध में विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाली विदेशी मुद्रा जोखिम (क्योंकि विदेशी मुद्रा में प्राप्तियों और भुगतान आमतौर पर मेल खाते हैं) की संभावना है। कंपनी की महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा जोखिम स्वाभाविक रूप से सुरक्षित है।

ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो बाजार के ब्याज दर में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। कंपनी अपने ब्याज जोखिम का प्रबंधन कंपनियों की नीतियों और जोखिम उद्देश्य के अनुसार करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में बैंकों के पास जमा राशि शामिल है। इन वित्तीय साधनों पर ब्याज दर का जोखिम बहुत कम है, क्योंकि वित्तीय साधनों की अवधि के लिए ब्याज दर निर्धारित है।

ख) ऋण जोखिम

कंपनी का ग्राहक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत एनएचएआई है। तदनुसार, कंपनी का ग्राहक ऋण जोखिम कम है। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 15 से 24 महीने है। सामान्य भुगतान शर्तों में मोबिलाइजेशन अग्रिम, 45 से 60 दिनों की क्रेडिट अवधि के साथ मासिक प्रगति भुगतान और परियोजना के अंत में जारी किए जाने वाले कुछ अवधारण पैसे शामिल हैं। कुछ मामलों में बैंक/निगमित गारंटी के साथ प्रतिधारण प्रतिस्थापित किया जाता है। कंपनी के पास संगठन के भीतर विभिन्न स्तरों पर अतिदेय ग्राहक प्राप्तियों की एक विस्तृत समीक्षा तंत्र है जो वसूली हेतु उचित ध्यान केंद्रित करता है।

व्यापार और अन्य प्राप्य

ऋण जोखिम के प्रति कंपनी का खतरा मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। ग्राहक की जनसांख्यिकी, जिसमें उद्योग और उस देश का डिफ़ॉल्ट जोखिम शामिल है, जिसमें ग्राहक प्रचालन करता है, का भी ऋण जोखिम मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है।

ऋण जोखिम का खतरा

(रूपए करोड़ में)

विवरण	**31-03-2023**	**31-03-2022**
वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए जीवनकाल संभावित ऋण घाटा (एलईसीएल) के प्रयोग द्वारा राशि का मापन किया जाता है		-
गैर चालू निवेश	-	-
अन्य चालू निवेश	0.01	0.03
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	3.29	2.93

चालू निवेश	-	-
रोकड और रोकड समतुल्य	31.10	39.34
अन्य बैंक शेष	105.30	95.21
चालू ऋण	0.02	0.02
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	15.13	4.57
वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए सरलीकृत परिदृश्य के प्रयोग द्वारा राशि का मापन		
व्यापार प्राप्त	78.61	90.68
संविदगत परिसंपत्तियां	13.84	1.49

सरलीकृत परिदृश्य के प्रयोग द्वारा घाटा प्रावधानों के मापन में परिवर्तन का सार

विवरण	**31-03-2022**	**31-03-2020**
आरंभिक प्रावधान	-	-
वर्ष के लिए प्रावधान	3.96	-
वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
बट्टा खाता राशि	-	-
समापन प्रावधान	**3.96**	-

वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा स्वीकृत घाटा प्रावधान 3.96 करोड रूपए (31 मार्च, 2022 : शून्य करोड़ रूपए)।

जीवनकाल संभावित ऋण घाटा (एलईसीएल) के प्रयोग द्वारा मापित घाटा प्रावधान में परिवर्तन का सार

विवरण	**31-03-2023**	**31-03-2022**
आरंभिक प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
बट्टा राशि	-	-
(विनिमय लाभ)/घाटा	-	-
समापन प्रावधान	-	-

रिपोर्टिंग अवधि को दौरान अनुमान तकनीकों या मान्यताओं में अनुमानों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया था।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने 3.96 करोड रूपए (31 मार्च 2022 : शून्य लाख रूपए) के घाटा प्रावधानों को स्वीकार किया है।

ग) तरलता जोखिम

"कंपनी पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखकर और पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों के माध्यम से वित्तपोषण तक पहुंच प्राप्त करके तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है। राजकोष विभाग, नियमित रूप से अनुमानों की तुलना में नकदी और नकदी समकक्षों की स्थिति की निगरानी करता है। परिपक्वता का आकलन और तरलता की स्थिति की समीक्षा करते समय, वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के प्रोफाइल और तुलनपत्र तरलता अनुपात के रखरखाव पर विचार किया जाता है।

कंपनी की निवेश नीति और रणनीति पूंजी के संरक्षण और कंपनी की तरलता आवश्यकताओं का समर्थन करने पर केंद्रित है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन, इसकी निवेश नीति की देखरेख करता है और इसके निवेश उद्देश्यों को प्राप्त करता है। कंपनी आमतौर पर सावधिक जमा योजनाओं में निवेश करती है। नीति में निवेश को आम तौर पर निवेश ग्रेड की आवश्यकता होती है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य मूल हानि के संभावित जोखिम को कम करना है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 तक महत्वपूर्ण वित्तीय देनदारियों के बारे में विवरण प्रदान करती है

(रुपये में करोड़)

विवरण	**31 मार्च, 2023 तक**			
	एक वर्ष से कम	**1-2 साल**	**2 साल और उससे अधिक**	**कुल**
उधारी	-	-	-	-
व्यापार देनदारियां	13.81	5.12	0.03	18.96
अन्य वित्तीय देनदारियां	44.03	27.92		71.95
	57.84	**33.04**	**0.03**	**90.91**

(रुपये में करोड़)

विवरण	**31 मार्च, 2022 तक**			
	एक वर्ष से कम	**1-2 साल**	**2 साल और उससे अधिक**	**कुल**
उधारी				-
व्यापार देनदारियां	13.77	1.53	0.23	15.53
अन्य वित्तीय देनदारियां	17.21	16.62		33.83
	30.98	18.15	0.23	49.36

घ) अत्यधिक जोखिम संकेन्द्रण

संकेन्द्रण की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कई प्रतिपक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों, या एक ही भौगोलिक क्षेत्र में गतिविधियों में लगे होते हैं, या उनमें आर्थिक विशेषताएं होती हैं जो आर्थिक, राजनीतिक या अन्य स्थितियों में परिवर्तन से समान रूप से प्रभावित होने वाली संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की उनकी क्षमता का कारण बनती हैं। संकेन्द्रण, किसी विशेष उद्योग को प्रभावित करने वाले विकास के लिए कंपनी के कार्यनिष्पादन की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाती है।

जोखिम के अत्यधिक संकेन्द्रण से बचने के लिए, कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में एक विविध पोर्टफोलियो के अनुरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश शामिल हैं। क्रेडिट जोखिमों में चिह्नित संकेन्द्रणों को तदनुसार, नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है।

निम्नलिखित तालिका शीर्ष पांच परियोजनाओं से सृजित राजस्वों के संबंध में ब्यौरा प्रस्तुत करती है:

(रुपए करोड़ में)

विवरण	**समाप्त वर्ष हेतु**
	31-03-2023
शीर्ष 5 परियोजनाओं से राजस्व	
हरयाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एचवीएसयू)	63.54
एमएफसी का उप-पट्टा	27.87
छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)	18.96
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी)	18.44
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई)	13.05

	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
शीर्ष 5 परियोजनाओं से राजस्व	
हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एचवीएसयू)	64.11
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)	23.74
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (एलपीएजे)	19.02
एमएफसी का उप-पट्टाकरण	14.34
छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)	11.91

ग) पूंजी प्रबंधन

कंपनी का उद्देश्य अपनी पूंजी को इस प्रकार से प्रबंधित करना है कि एक चालू संस्था के रूप में जारी रहने की उनकी क्षमता सुनिश्चित और सुरक्षित रहे ताकि कंपनी शेयरधारकों को अधिकतम प्रतिफल प्रदान कर सके और अन्य हितधारकों को लाभ पहुंचा सके। कंपनी ने निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश का भुगतान इस प्रकार किया है:-

लाभांश:

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31-03-2023	31-03-2022
प्रदत्त लाभांश	-	-
कुल	-	-

इसके अलावा, कंपनी आर्थिक स्थितियों में बदलाव और वित्तीय अनुबंधों की आवश्यकताओं के मद्देनजर समायोजन करने के लिए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है।

ऋण इक्विटी अनुपात :- **(रुपए करोड़ में)**

विवरण	31-मार्च-23	31-मार्च-22
ऋण	-	-
दीर्घावधि के ऋण	-	-
इक्विटी (नोट संख्या 13)	65.00	65.00
अन्य इक्विटी (नोट संख्या 14)	105.26	99.94
कुल इक्विटी	**170.26**	**164.94**
ऋण इक्विटी अनुपात	-	-

नोट 44 अन्य प्रकटन

क) दिनांक 20.02.2015 की मद सं. 10/15 के तहत निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार कंपनी ने भारत के विभिन्न क्षेत्रीय रेलों से पुराने ट्रैक मशीनों की खरीद और अवसंरचनात्मक क्षेत्र में कंपनी की क्षमता निर्माण में मदद करने के लिए उन्हें प्रचालनिक बनान हेतु अपनी शेयर पूंजी 25.00 करोड रूपए तक बढ़ा दी है। कुल अनुमानित व्यय 25 करोड़ रुपये है जिसमें से 31 मार्च 2023 तक 21.53 करोड रूपए (31 मार्च 2022 तक 13.92 करोड़ रुपये) की राशि को वहन किया गया है।

ख) देनदारों, अग्रिमों और लेनदारों के तहत दिखाई गई कुछ शेष राशियां, यदि कोई हो, पुष्टि / विनियोजन / समायोजन के अधीन हैं। कंपनी ने उपरोक्त में शामिल पक्षों की पुष्टि के लिए पत्र भेजे थे।

ग) प्रबंधन के मतानुसार, वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋण और व्यापार के साधारण प्रक्रिया में प्राप्ति पर अग्रिम का मूल्य, उस मूल्य से कम नहीं होगा जिस पर ये तुलन पत्र में दर्शाए गए हैं।

घ) कंपनी के पास बैंकों और अन्य पक्षों से शेष राशि की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रणाली है। जहां तक व्यापार/अन्य देय और ऋण और अग्रिमों का प्रश्न है, शेष पुष्टिकरण पत्र, पक्षों को भेज दिए गए थे। कुछ व्यापार प्राप्तियों, अन्य परिसंपत्तियों, व्यापार और अन्य देय राशियों की शेष राशि पुष्टि/समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन है। समाधान निरंतर आधार पर किया जाता है। हालाँकि, प्रबंधन को ऐसी लंबित पुष्टियों/समाधानों से कोई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

ड.) चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ तुलनीयता बढ़ाने के लिए तुलनात्मक अवधि के वित्तीय विवरणों में कुछ पुनर्वर्गीकरण और पुनर्रचना की गई है। इन पुनर्वर्गीकरणों का संचालन के रिपोर्ट किए गए परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
च) पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से अलग करने के लिए प्रकोष्ठ () के तहत दिखाया गया है।
छ) आंकड़े करोड़ में निकटतम रुपये तक पूर्णांकित हैं।

नोट 45 कोविड-19 प्रकटन

"कंपनी द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति, तरलता, संचालन, कार्य बल आदि के संबंध में कोविड -19 महामारी और लॉकडाउन के प्रभाव की सक्रिय रूप से निगरानी की जा रही है, हालांकि, कोविड-19 महामारी की पहली और दूसरी लहर ने उपभोक्ताओं, खाद्य और पेय पदार्थों और होटल उद्योग को प्रभावित किया है और दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एमएफसी से शून्य रुपये (31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 3.73 करोड़ रुपये) के पट्टा किराये को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इसके अलावा, समझौते पर प्राकृतिक आपदा खंड के लागू होने के कारण, आरएलडीए को 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष हेतु वर्ष 2022-23 में शून्य रुपये का भुगतान (वर्ष 2021-22 में शून्य रुपये) भुगतान नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप लाभ और हानि खाते पर शून्य रुपये (वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 3.73 करोड़ रुपये) का शुद्ध प्रभाव पड़ा है । इस प्रकार, दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के परिणाम पिछली अवधि के परिणामों के साथ तुलनीय नहीं हैं।

अन्य प्रचालनिक सेगमेंट के लिए, कंपनी को मौजूदा आर्थिक स्थितियों के आधार पर व्यापार के सामान्य क्रम में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त संपत्ति, उपयोग के अधिकार, अग्रिम, व्यापार प्राप्य आदि सहित अपनी संपत्ति की वहन राशि की वसूली की संभावना है। कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन की गहनता से निगरानी करना जारी रखेगी, जबकि वर्क फ्रॉम होम, ई-ऑफिस आदि के माध्यम से इसकी कार्य क्षमता में सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।"

नोट 46

अतिरिक्त विनियामक सूचना : निगमित मामला मंत्रालय ने कुछ प्रकटीकरणों के संबंध में, जो दिनांक 01 अप्रैल 2021 से लागू हैं, दिनांक 24 मार्च 2021 की अधिसूचना के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-।।। में संशोधन किया है। कंपनी ने वित्तीय विवरणों में उक्त संशोधन के अनुसार परिवर्तनों को शामिल किया है और नीचे दिए गए प्रकटीकरण उक्त संशोधन के अनुपालन में किए गए हैं:

(i) कंपनी का दिनांक 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत हटाई गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं है।

(ii) कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

(iii) दिनांक 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 तक कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के विरूद्ध कोई कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है।

(iv) कंपनी के पास दिनांक 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में अलग से प्रकटन करने के लिए कोई पूर्व अवधि की त्रुटि नहीं है।

(v) कंपनी के पास दिनांक 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में वैधानिक अवधि के बाद आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए किसी भी शुल्क या संतुष्टि का कोई मामला नहीं है।

(vi) वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2021-22 के दौरान, कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी भी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (इकाइयों) को इस आशय के साथ धनराशि प्रदान या उधार या निवेश नहीं की है कि मध्यस्थ करेगा:

"(क) प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से या उसकी ओर से किसी भी प्रकार से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार या निवेश करना

कंपनी (अंतिम लाभार्थी) या

कंपनी (अंतिम लाभार्थी) या"

(ख) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसी ही कोई गारंटी प्रदान करेगा।

(vii) वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2021-22 के दौरान, कंपनी को इस आशय के साथ विदेशी संस्थाओं (वित्तपोषण पक्षों) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (इकाइयों) से कोई निधि प्राप्त नहीं हुआ है (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कि कंपनी यह करेगी:

"(क) प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार या निवेश करना

वित्तपोषण पक्ष (अंतिम लाभार्थी) या "

(ख) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करेगा,

(viii) कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और अन्य संबंधित पक्षों को ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है।

(ix) कंपनी के पास दिनांक 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 तक कोई अचल संपत्ति नहीं है।

(x) कंपनी को वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2021-22 में किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(xi) कंपनी को बैंक के साथ वर्तमान परिसंपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए, कंपनी द्वारा बैंक और लेखा बहियों के साथ दायर विवरण का मिलान लागू नहीं है।

(xii) कंपनी का वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2021-22 में कोई लेनदेन नहीं है, जहां कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार का उपयोग उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया है जिसके लिए इसे बैलेंस शीट की तारीख में लिया गया था।

(xiii) कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष और दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान व्यवस्था की किसी भी योजना में प्रवेश नहीं किया है।

(xiv) कंपनी ने ऐसे किसी भी लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है जो लेखा बहियों में दर्ज नहीं है, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकटन किया गया हो (जैसे खोज या सर्वेक्षण या कोई अन्य प्रासंगिक) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान।

(xv) कंपनी को दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष और दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कोई अनुदान और दान प्राप्त नहीं हुआ है।

(xvi) कंपनी के पास दिनांक 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 तक कोई पूंजीगत कार्य-प्रगति, निवेश संपत्ति, अमूर्त संपत्ति और विकास के तहत अमूर्त संपत्ति नहीं है। वर्ष 2022-23 और 2021-22 के दौरान, कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ख) हाल की घोषणाएं

कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय ("एमसीए") समय-समय पर जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित करता है, और 31 मार्च 2023 को एमसीए ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 में संशोधन किया, जो निम्नानुसार है:

इंड एएस 1- वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति - इस संशोधन में संस्थाओं को अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के स्थान पर अपनी सामग्री लेखांकन नीतियों का प्रकटन करने की आवश्यकता है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संशोधन का प्रभाव नगण्य है।

इंड एएस 8- लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटि - इस संशोधन ने 'लेखा अनुमान' की एक परिभाषा प्रस्तुत की है और संस्थाओं को लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन से लेखांकन नीतियों में परिवर्तन को अलग करने में मदद करने के लिए इंड एएस-8 में संशोधन शामिल किया है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और उसके स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

इंड एएस 12 - आयकर - इस संशोधन ने प्रारंभिक मान्यता छूट के दायरे को सीमित कर दिया है, इसलिए यह उन लेनदेन पर लागू नहीं होता है, जो समान और अस्थायी मतभेदों को जन्म देते हैं। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और उसके स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

नोट सं.47 : दिनांक 23.03.2022 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधन इंडएएस पर प्रकटीकरण और कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में संशोधन के अनुसार प्रकटीकरण:

i. निम्नलिखित लेखांकन अनुपातों का प्रकटन किया गया है:

विवरण	न्यूमरेटर	डिनॉमिनेटर	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	मार्च 31, 2021	% परिवर्तन	25% से अधिक परिवर्तन का कारण
वर्तमान अनुपात	वर्तमान किराया संपत्ति	वर्तमान देनदारियां	1.69	1.81	2.03	-6.98%	लागू नहीं
ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी		लागू नहीं			
कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए आय = करों के बाद शुद्ध लाभ + गैर-नकद परिचालन व्यय	ऋण सेवा = ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन चुकौती		लागू नहीं			
इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल	करों के बाद शुद्ध लाभ - वरीयता लाभांश	औसत शेयरधारक की इक्विटी	0.03	0.03	0.04	-2.62%	लागू नहीं
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बेचे गए सामान की लागत	औसत सूची	0.04	0.01	0.93	278.60%	समापन इंवेंटरी में वृद्धि के कारण
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	शुद्ध क्रेडिट बिक्री = सकल क्रेडिट बिक्री - बिक्री रिटर्न	औसत व्यापार प्राप्य	2.59	1.98	2.67	30.92%	बिक्री में वृद्धि के कारण
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	शुद्ध ऋण खरीद = सकल ऋण खरीद - खरीद वापसी	औसत व्यापार देय	9.73	8.01	9.41	21.43%	लागू नहीं

शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात	शुद्ध बिक्री = कुल बिक्री - बिक्री रिटर्न	कार्यशील पूंजी = वर्तमान संपत्ति - वर्तमान देनदारियां	1.99	1.46	1.53	36.57%	बिक्री में वृद्धि के कारण
शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ	शुद्ध बिक्री = कुल बिक्री - बिक्री रिटर्न	0.02	0.03	0.03	-21.52%	लागू नहीं
नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और करों से पहले की कमाई	नियोजित पूंजी = मूर्त निवल मूल्य + कुल ऋण + आस्थगित कर देयता	0.08	0.15	0.17	-48.42%	लाभ में कमी के कारण
निवेश पर वापसी	ब्याज (वित्त आय)	निवेश	0.051	0.03	0.04	59.81%	वर्ष के दौरान ब्याज दर में वृद्धि के कारण

हमारी संलग्न समसंख्यक रिपोर्ट के अनुसार
कृते के.एम.जी.एस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन–004730एन

सीए संदीप जिंदल
(साझेदार)
स.सं.095051

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 मई 2023

निदेशक मंडल के कृते और की ओर से

प्रीति शुक्ला
सी.एफ.ओ

अजय पाल सिंह
सी.ई.आ

मनीषा गुप्ता
कंपनी सचिव

अभिजीत कुमार सिन्हा
निदेशक
(डिन : 09213782)

पराग वर्मा
अध्यक्ष
(डिनः 05272169)

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से गैर–समीक्षा प्रमाणपत्र

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड** का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम के अनुच्छेद 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 18 मई 2023 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों का अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील अभिलेखों को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्रमुख रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों के प्रश्नों तक सीमित है और यह कुछ लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण नहीं आया है, जिसके कारण इस अधिनियम की धारा 143(6)(ख)के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनूपूरक टिप्पणी प्रस्तुत नहीं होती है।

कृते एवं की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
ह/-
(डॉ निलोत्पल गोस्वामी)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक
रेल वाणिज्यिक, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 07.08.2023

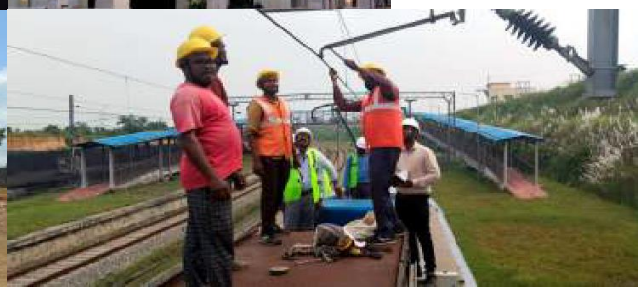

INFRA & SERVICES

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड
(इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
रजि. ऑफ: सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017, भारत कॉर्पोरेट ऑफ: बी-40ए,
सेक्टर-1, नोएडा-201306, यूपी
दूरभाष. : 01202970406
ई-मेल: Info@irconisl.com | वेब: www.irconisl.com